खण्ड-151, अंक-3
बुधवार, 25 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(16 मार्च, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 151 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १६ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसराऊल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाजरसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
दलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री

भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री

लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी , श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मक़बूल शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान, आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १६ मार्च, १९५५

तारांकित प्रश्न

श्रीनगर-गढ़वाल के कोढ़ी आश्रम पर वार्षिक व्यय

*१—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रीनगर-गढ़वाल के कोढ़ी आश्रम में कितने कोढ़ी हैं और राज्य सरकार का वार्षिक कितना रुपया इस आश्रम पर खर्च होता है?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—कुष्ठ चिकित्सालय श्रीनगर (गढ़वाल) में इस समय १४ रोगी रहते हैं। सरकार से इस आश्रम को ४,१०० रुपया वार्षिक सहायता दी जाती है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि उस चिकित्सालय का संचालन किसके द्वारा होता है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—एक स्थानीय बोर्ड के द्वारा।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि उस चिकित्सालय में वार्षिक कुल कितना व्यय होता है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि उस चिकित्सालय में कुल कितने भवन बने हुए हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उसके लिए भी नोटिस की जरूरत होगी। मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि उस चिकित्सालय में कुल कितने चिकित्सक हैं—डाक्टर या कंपाउंडर?

श्री बलदेवसिंह आर्य—श्रीनगर में जो राजकीय चिकित्सालय है उसी के डाक्टर कुष्ठ रोगियों को भी देखते हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस चिकित्सालय के रोगी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले यात्रा मार्ग पर बैठ कर यात्रियों से भीख मांगा करते हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय के पास इस बात की शिकायत आयी थी कुछ ऐसा प्रबन्ध करने के लिए जिससे आम पब्लिक के मार्ग पर वह न बैठा करें? और उसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। सरकार के पास ऐसी शिकायत आयी है कि वे सड़कों पर बैठते हैं। उस कुष्ठ आश्रम को दूसरी जगह बदल दिया जाय, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

गढ़वाल जिले में आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता

*२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गढ़वाल में आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को क्या-क्या सहायता दी जाती है?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—गढ़वाल जिले में आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नांकित सहायता दी जाती है:—

(१) बीमारी से सुरक्षित व उन्नतशील किस्मों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना और उनका वितरण।

(२) नये किस्म के बीजों को मंगाकर उनको सरकारी फार्म (भरसार) में जांच करके किसानों को देना।

(३) आलू के बीज का उधार खाते पर वितरण।

(४) फसल की बुआई आदि के सम्बन्ध में वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करना।

(५) बीमारी तथा कीट आदि से फसल की रक्षा के लिये आवश्यक परामर्श देना तथा कीट नाशक दवा आदि का यथासम्भव प्रबन्ध कर देना।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कितना बीज उधार खाते में दिया गया?

श्री अध्यक्ष—कब से कब तक, कुछ समय का निर्धारण आपने नहीं किया?

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कौन सा बीज आलू का गढ़वाल के अन्दर उत्पादन के लिए दिया जाता है?

श्री फूल सिंह—कई तरह का बीज है। कहीं पटना है कहीं दूसरा है। कौन इलाका है, यह बताएं तो बताऊं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जिला गढ़वाल में कितने स्थान ऐसे हैं जहां पर आलू का बीज वितरण किया जाता है?

श्री फूल सिंह—सूचना की आवश्यकता है।

*३-५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[१३ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

कुटीर उद्योगों के लिये स्वीकृत अनुदानों और ऋण की धनराशियों का वितरण

*६—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कुटीर उद्योगों के ग्रांट और लोन की धनराशियों का वितरण अपने द्वारा न करके जिला प्लानिंग कमेटियों द्वारा करवाने का विचार रखती है?

श्री फूल सिंह—जी नहीं।

पर्वतीय प्रदेश में मरे जानवरों के चमड़े का उपयोग

*७—श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट—क्या सरकार को विदित है कि पर्वतीय प्रदेश में मरे जानवरों का चमड़ा अधिकतर अज्ञानतावश बिना काम में लाये ही पशु-पक्षियों के खाने को छोड़ दिया जाता है?

श्री फूल सिंह—सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

*८—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार इसके लिये पर्वतीय प्रदेश में कोई लेदर फैक्टरी खोलने का विचार करेगी ताकि लोग फ्लेइंग टैनिंग आदि काम सीख सके ?

श्री फूल सिंह— प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेंद्र सिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न को सूचना समझ कर इस पर विचार करेंगे ?

श्री फूल सिंह—अवश्य।

दोहरीघाट में सरकारी अस्पताल खोलने की मांग

*९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोहरीघाट टाउन एरिया तथा जनता की ओर से दोहरीघाट में सरकारी अस्पताल खोलने की मांग उसके पास आई है? अगर हां, तो उस सिलसिले में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां। आशा है कि दोहरीघाट में एक चिकित्सालय शीघ्र खोला जा सकेगा।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस अस्पताल के निर्माण का कार्य क्या सरकार अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, जैसा कि उत्तर में बताया गया है अगले वर्ष यह आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुल जायगा, ऐसा विचार है।

श्री झारखंडे राय—क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें कितने बैड्स होंगे और कितने व्यय का अनुमान है?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह अस्पताल उसी प्रकार का अस्पताल होगा जैसे देहाती क्षेत्रों में राज्य के अस्पताल हैं यानी उन अस्पतालों में ४ बेड्स होते हैं या ६ बेड्स होते हैं और इसी प्रकार के अस्पताल प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में खुले हुये हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतान का कष्ट करेंगे कि इस अस्पताल के निर्माण के सिलसिले में वहां की जनता की ओर से किसी प्रकार की सहायता की बात कही गयी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के जहां पर अस्पताल की व्यवस्था का विचार किया जाता है सरकार इस बात की आशा जनता से प्रकट करती है कि जहां तक अस्पताल के मकान का सिलसिला है उसके लिये यदि कोई मकान मुफ्त मिल जाय तो उस स्थान को लकर अस्पताल खोल दिया जाता है या चन्दा इकट्ठा करके या सरकार स्वयं अपनी ओर से रुपया देकर वहां पर इमारत के निर्माण की व्यवस्था की जाती है। तो इस स्थान के लिए भी वहां के लोगों से हम इस बात की आशा रखते हैं कि सरकार अस्पताल की इमारत के निर्माण के लिये उनसे कहे कि पैसा दो जिसके द्वारा इमारत आदि का निर्माण हो सके।

गोंडा जिले में उत्तर राप्ती भाग से राप्ती के दक्षिणी भाग में शराब ले जाने पर रोक

*१०—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या मादक कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिला के उत्तर राप्ती भाग की शराब की भट्ठियों से राप्ती के दक्षिणी भाग में शराब लाने पर रोक है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—जी हां, क्योंकि राप्ती के उत्तर का क्षेत्र आउटडिस्टिल (कच्ची भट्ठी) और दक्षिण का क्षेत्र डिस्टिलरी प्रणाली के अन्तर्गत है ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या मननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये दो प्रणालियां एक ही जिले में कब से चालू हुईं और उसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—कब से चालू हुईं इसके लिये नोटिस की जरूरत है लेकिन जहां तक दो प्रणालियों का ताल्लुक है जहां पर डिस्टिल्ड लिकर की आमदरफ्त आसानी से नहीं हो सकती वहां पर आउड डिटिस्ल्ड प्रणाली यानी वहीं पर शराब बना कर बेचने का अधिकार ठेकेदारों को दिया जाता है। दूसरी प्रणाली के मातहत लाइसेंस लेने के बाद डिस्टिलरी के जरिये से ठेकेदार को शराब सप्लाई की जाती है ।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि थारू जाति के लोग जो वहां रहते हैं उनको अपने इस्तेमाल के लिये कच्ची शराब बनाने का अधिकार है ?

श्री गिरधारी लाल—मुझे इस वक्त इसकी इत्तिला नहीं है ।

तुलसीपुर जिला गोंडा, में पेपर मिल खोलने का सुझाव

*११—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या उद्योग मंत्री को पता है कि गोंडा जिले के उत्तरी भाग में स्थित जंगलों और पहाड़ियों में बनकस नाम की घास अधिकता से पाई जाती है जो तुलसीपुर रेलवे स्टेशन तथा उसके पड़ोस के रेलवे स्टेशनों से पंजाब स्थित जगाधरी पेपर मिल में कागज बनाने के लिये भेजी जाती है ?

श्री फूल सिंह—गोंडा तथा बहराइच जिलों के संरक्षित बनों में जो कि बन विभाग के गोंडा क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, लगभग ४,००० मन प्रति वर्ष बनकस घास की उपज होती है। सन् १९५३ में २२०७ वैगन (४,४१,००० मन) बनकस घास कुल गोंडा क्षेत्र (रेलवे का गोंडा डिवीजन) से बाहर भेजी गई। इसका मुख्य भाग श्री गोपाल पेपर मिल्स, जगाधरी, पूर्वी पंजाब, को भेजा गया था ।

*१२—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या उद्योग मंत्री तुलसीपुर में एक पेपर मि खुलवाने की व्यवस्था करके उत्तर राप्ती भाग के पिछड़े हुये भाग में उद्योग को प्रोत्साह और हजारों आदमियों को रोजी देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री फूल सिंह—जी नहीं ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि उत्तर राप्ती गोंडा जिले में सबसे पिछड़ा हुआ भाग है तथा वहां पर बनकस उद्योग द्वारा कागज मिल खोलने में सुविधा होगी और लोगों को रोजगार मिल सकेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यहां पर मिल खोलने के लिये उतना रा मेटीरियल नहीं जितना कि एक मिल को मिलना चाहिये, इसलिये यहां पर मिल खोलने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता ।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि यहां पर कागज की मिल खोलने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे दिया गया ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार प्रदेश में कहीं कागज की मिल खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कागज की मिल खोलने पर सरकार अवश्य विचार कर रही है और इस विषय में उसने कुछ उद्योगपतियों से योजना मांगी है । जब योजना सरकार के पास आ जायगी तो अवश्य सरकार कागज की मिल खोलने पर विचार करेगी कि वह स्वयं मिल खोले या किसी उद्योगपति के द्वारा खुलवाये, यदि स्वयं सरकार के पास खोलने के साधन न हुए ।

श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके इस बात का पता लगायेंगे कि इतनी दूर यू० पी० से पंजाब तक बनकस ले जाने में हर साल सैकड़ों बैगन बनकस आग लगने की दुर्घटना से जल जाया करता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बात की सूचना सरकार के पास तो नहीं है लेकिन जैसा मैंने अभी उत्तर में बतलाया कि जितना बनकस अभी पंजाब की मिल में जाता है वह सिर्फ गोंडा जिले के एक ही स्थान से उस मिल में नहीं जाता है बल्कि उस मिल में और स्थानों से भी बनकस जाता है और तब वह मिल चलती है । इसलिये इतना बनकस अभी एक मिल चलाने के लिये काफी नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कागज मिल खोलने पर सरकार विचार कर रही है, वह कहां-कहां खोलने के लिए अनुमान है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो कोई निर्णय नहीं हुआ है । कुछ रा मेटिरियल्स तराई में हैं और वे रा मेटिरियल्स भी इतने नहीं हैं कि एक मिल उस रा मेटिरियल्स से चलाई जा सके । कुछ और भी चीजें हैं जिनके ऊपर अनुसंधान हो रहा है और उनके ऊपर विचार-विनिमय किया जा रहा है । यदि उनके द्वारा कागज बनाया जा सका तो उसको और उस मेटिरियल्स को जोड़ कर जो कि मिलता है एक मिल खोलने की व्यवस्था पर विचार किया जायगा ।

होम्योपैथी चिकित्सा की उच्च शिक्षा के लिये विदेश जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति

*१३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार होम्योपैथी चिकित्सा की उच्च शिक्षा के लिये विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों को वजीफे देने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी छात्रवृत्ति देने का विचार है और उसकी मासिक या सालाना क्या रकम होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय पर कोई निर्णय तो नहीं हुआ है । इस साल के बजट में कुछ रकम रखने का विचार था परन्तु किन्हीं कारणों से वह रकम नहीं रखी जा सकी । अगले वर्ष दो एक छात्रवृत्ति देने के विषय पर सरकार विचार कर रही है और फिर अगले वर्ष यानी सन् १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष के बजट में कदाचित् इस का प्रबन्ध कर सकेंगे ।

होम्योपैथिक कालेजों को सरकारी मान्यता

*१४—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार होम्योपैथिक कालेजों को मान्यता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसके क्या नियम होंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, नियम शीघ्र प्रकाशित होंगे ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास इस प्रकार के कुछ कालेजों के प्रार्थना-पत्र सरकार की मान्यता प्राप्त करने के सिलसिले में आये हैं, यदि हां, तो किन-किन कालेजों के ?

श्री चन्द्र भानु गुप्त—अभी सरकार के पास तो कोई ऐसा पत्र नहीं आया है लेकिन लखनऊ में एक कालेज है जिसको सरकार ने स्वयं मान्यता दी है और जिसको चलाने के सिलसिले में अगले वर्ष के बजट में कुछ पैसा भी सरकार ने उस संस्था को देने का निर्णय किया है ।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होम्योपैथिक कालेज कितने हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार का अभी जिस कालेज से परिचय है वह लखनऊ का एक कालेज है और उसी को सरकार ने इस साल कुछ रुपया दे कर मान्यता प्रदान की है ।]

नागरी लिपि के संशोधित रूप के हिन्दी टाइपराइटर्स का क्रय

*१५—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस ने नागरी लिपि के संशोधित रूप के कितने टाइप राइटर्स हिन्दी में काम करने के लिये खरीदे हैं ?

श्री फूल सिंह—सरकार ने आज तक नागरी लिपि के संशोधित रूप के ३२ टाइपराइटर्स खरीदे हैं ।

श्री राम दुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उपरोक्त टाइप राइटर पर्याप्त संख्या में प्राप्त करने में क्या कठिनाई है ?

श्री फूल सिंह—प्राविन्शियल मार्केटिंग फेडरेशन से सरकार ने १२०० टाइप राइटर्स खरीदने की बात तय की थी, लेकिन साथ ही उनसे वह भी तय हुआ था कि वह उनके की-बोर्ड बदल देंगे, वह अब तक ३२ के की-बोर्ड बदल चुके हैं और बाकी के भी बदलने का काम शुरू कर दिया है ।

*१६—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[१३ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर सदर अस्पताल की मरम्मत तथा सामान आदि के लिये सहायता

*१७—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर सदर अस्पताल की मरम्मत तथा सामान इत्यादि के लिये सन् ५२-५३ तथा ५३-५४ में कुल कितना धन दिया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सूचना इस प्रकार है--

मरम्मत के लिये

१९५२-५३	१६,३८५ रुपया ।
१९५३-५४	१९,२०२ रुपया ।

सामान के लिये

१९५२-५३	५,२४८ रु० ८ आना ।
१९५३-५४	३,२४५ रु० १० आना ।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस अस्पताल में मोटर गेरज बनाने के लिए सहायता प्रदान की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--सन् ५३-५४ में उसके लिये १,९२० रुपया मंजूर हुआ था किन्तु वह नहीं बन सकी और सरकार ने १,७६७ रु० और मंजूर किया है ।

श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार को मालूम है कि इस अस्पताल में इमारत की कमी के कारण मरीज बरामदों में लिटाये जाते हैं, यदि हां, तो उसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--सरकार को इसकी सूचना नहीं है लेकिन माननीय सदस्य को ऐसी सूचना है तो यह मुमकिन हो सकता है ।

ग्रामीण दाइयों को ट्रेनिंग आदि की सुविधायें

*१८--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहातों में जो दाइयां बच्चा पैदा कराने का कार्य करती है उनको सरकार की तरफ से सुविधायें दी गई हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां, जो दाइयां सरकारी जच्चा-बच्चा केन्द्रों से शिक्षा प्राप्त की होती हैं उनको आवश्यक सुविधा दी जाती है । और जो ऐसी शिक्षित नहीं होती हैं उनमें से भी कुछ को अगले वर्ष से सरकार सुविधा देने का विचार कर रही है ।

*१९--श्री बाबू नन्दन--यदि हां, तो क्या और किन-किन जिलों में ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--ग्रामीण दाइयों को धात्री के विषय में पूरी शिक्षा देने के लिये सरकार ने उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित किये हैं । इन केन्द्रों पर दाइयों को पूर्ण शिक्षा ९ मास तक दी जाती ह और इस शिक्षण काल में उन्हें २०-१५ रु० प्रतिमास छात्रवृत्ति मिलती है । शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त इन्हें एक बक्स निःशुक्ल दिया जाता है जिसमें आवश्यक औजार और दवायें मौजूद रहती हैं । यह दवायें समाप्त हो जाने पर निकटवर्ती केन्द्र से फिर उपलब्ध की जा सकती हैं ।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो दाइयां शिक्षित नहीं हैं उनको अगले साल से कौन-कौन सुविधायें सरकार प्रदान करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके मुताबिक अगले आर्थिक वर्ष में ऐसी दाइयों को जो कि पुराने जमाने से इस काम को करती चली आई हैं उनको हर जिले में मिड-वाइफरी के किट्स देने की व्यवस्था है, इस तरह से हर जिले में २५ मिड-वाइफरी किट्स दिए जायंगे । ऐसी दाइयों को वह चेस्ट्स दिए जायंगे ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस समय प्रान्त में कितनी दाइयां हास्पिटल्स में ट्रेनिंग ले रही ह ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिस हिसाब से यह ट्रेनिंग दी जा रही है, अगले कितने वर्षों में प्रान्त की सभी दाइयां ट्रेनिंग पा जायंगी ?

श्री अध्यक्ष—उनको संख्या का हिसाब नहीं मालूम है, नोटिस चाहा है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार के पास कोई ऐसी गणना है जिससे मालूम हो जाय कि इस समय प्रान्त में कितनी दाइयां काम कर रही हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कुल कितने जच्चा-बच्चा केन्द्र हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मेरे पास इस समय सूचना नहीं है ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के किस-किस जिलों में दाइयों की ट्रेनिंग हो रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, प्रत्येक जिले में चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर है और हर एक सेन्टर पर ऐसी ट्रेनिंग की व्यवस्था है ।

पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा स्वीकृत पी० एम० एस० श्रेणी के डाक्टरों का परीक्षणकाल

*२०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष पब्लिक सर्विस कमीशन ने पी० एम० एस० श्रेणी में कितने डाक्टरों को स्वीकार किया था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१५५ ।

*२१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त डाक्टरों में से कितने पहले ही सर्विस में थे और कितनों की नियुक्ति स्वीकृति के बाद की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१४७ डाक्टर पहले ही सर्विस में थे । आठ डाक्टर बाहरी स्वीकृत किये गये ।

*२२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो डाक्टर पहले से नियुक्त हैं उनका Probation period कब आरम्भ हुआ था और कब समाप्त होगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—नियुक्त डाक्टरों का परीक्षण-काल २० अप्रैल, १९५४ को रक्खा गया जो १९ अप्रैल, १९५५ को पूर्ण हो जायगा ।

देवरिया जिले में एन० ई० एस० ब्लाक खोलने की आवश्यकता

*२३—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या नियोजन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में एन०ई० एस० ब्लाक खोला गया है ? यदि हां, तो अब तक उसपर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं ।

* २४--श्री रामेश्वरलाल--क्या नियोजन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया तहसील में भी एन० ई० एस० ब्लाक खोलने पर वह विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह--जी नहीं। सन् १९५४-५५ में एन० ई० एस० ब्लाकों की संख्या सीमित थी और बहुत से जिलों में एक ही ब्लाक था चूंकि देवरिया जिले में दो सामूहिक विकास केन्द्र और एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोले जा चुके हैं, इसलिये वहां नया ब्लाक नहीं खोला गया।

श्री रामेश्वर लाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि देवरिया तहसील जो देवरिया का केन्द्र स्थान है वहां भी इस तरह की संस्थाओं का कोई कार्य चल रहा है ?

श्री फूल सिंह--यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन यह तय हुआ था कि हर जिले में दो-दो ब्लाक्स हों। जहां दो ब्लाक्स से कम थे वहां पर दो-दो कर दिये गये और जहां दो या दो से अधिक थे वहां नहीं किये गये।

श्री रामेश्वर लाल--श्रीमन्, इस प्रश्न से पूर्व जो प्रश्न मैंने पूछा था वह यही था कि यह जो ब्लाक्स खोले जाते हैं उन स्थानों के चुनाव का आधार क्या है ?

श्री फूल सिंह--जो ब्लाक खोले जाते हैं वे जिला प्लानिंग कमेटी के मशविरे से खोले जाते हैं और माननीय सदस्य उसके मेम्बर हैं।

सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त एलोपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने

*२५--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जिससे यह पता चले कि सन् १९५२ ई० के अन्त तक प्रदेश में कहां कहां एलोपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने सरकारी अथवा सरकारी सहायता-प्राप्त थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--आवश्यक सूचना संलग्न सूची "अ" में दी हुई है। यह सूचना १९५२-५३ तक की है।

(देखिये नत्थी "क", आगे पृष्ठ २६८-२९२पर)

*२६--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सन् १९५२ और सन् १९५४ ई०के बीच में सरकार ने कहां-कहां नये दवाखाने स्थापित किये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--आवश्यक सूचना संलग्न सूची "ब" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ २९३-२९४ पर)

*२७--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--इन दवाखानों के लिये कहां-कहां नई इमारतें बनीं और उन पर अलग-अलग कितना-कितना व्यय हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--७७ स्थानों पर जो संलग्न सूची (स) में दिये हैं। नये ग्रामीण अंग्रेजी चिकित्सालय सरकार ने बनवाये हैं। इनका औसत खर्चा लगभग ५० हजार रुपया प्रति चिकित्सालय मय क्वार्टर इत्यादि के पड़ा है। पहाड़ी व बुन्देलखन्ड व मिर्जापुर के दूर इलाकों में ८० हजार रुपया तक पड़ा है। वास्तिवक खर्चे की पूर्ण सूचना अभी प्राप्त नहीं है।

कुछ बड़े बड़े अस्पतालों का भी पुर्ननिर्माण हुआ है। वह यह हैं--रायबरेली, गोंडा, बेवरिया, खुर्जा, और फिरोजाबाद। वास्तविक खर्च की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। लगभग ५० लाख रुपया खर्च अवश्य हुआ है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ २९५-२९७ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार इसका कारण बतालाने की कृपा करेगी कि देहातों में आयुर्वेदीय चिकित्सालयों की अपेक्षा एलोपैथी के अधिक चिकित्सालय क्यों खोले गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ग्रामीण लोग अधिक अंग्रेजी चिकित्सालयों की मांग करते हैं इसलिये उनकी मांग के मुताबिक उनको अंग्रेजी चिकित्सालय दिये जाते हैं, इसी कारण से गांवों में अंग्रेजी चिकित्सालयों की सूची अधिक है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो इमारतों के बनाने पर और ५० हजार रुपया का खर्चा जवाब में बताया गया है तो क्या सरकार यह बतायेगी कि जो इमारतें बनी हैं यह एलोपैथिक अस्पतालों के लिये बनी हैं या आयुर्वदिक अस्पतालों के लिये बनी हैं ? अगर दोनों के लिये बनी हैं तो अलग-अलग कितनी हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह जो इमारतें बनी हैं यह आमतौर से एलोपैथिक चिकित्सालयों के लिये बनी हैं ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस साल सरकार ग्रामों में कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरीज खोलने जा रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—५५-५६ के आर्थिक वर्ष में सरकार ३५ एलोपैथिक-२९ मरदाने और ६ जनाने अस्पताल खोलने जा रही है और २० यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने जा रही है ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज में जो देहातों में खोली जायगी उनमें आयुर्वेद चिकित्सा के जानने वाले भेजे जायंगे या एलोपैथिक चिकित्सा के जानने वाले भेजे जायंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—आयुर्वेद के चिकित्सक ही आयुर्वेद के औषधालषों में भेजे जायंगे ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ५३ तक कितने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों की अलग-अलग संख्या क्या थी ?

श्री अध्यक्ष—सन् ५२ तक का सवाल है । आप आगे नहीं बढ़ सकते ।

श्री गेंदासिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि सरकार जो नये अस्पताल खोलने जा रही है उसमें जन संख्या का भी ध्यान रक्खा जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, अस्पताल खोलते वक्त इन सभी चीजों का खयाल रक्खा जाता है ।

मल्ल विद्या (कुश्ती) की उन्नति व प्रचार

*२८—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने भारत की प्राचीन मल्ल विद्या (कुश्ती) की उन्नति एवं प्रचार के लिये १९५२-५३ तथा १९५४ में किस वर्ष कितना धन दिया है ?

श्री फूल सिंह—केवल मल्ल विद्या (कुश्ती) की उन्नति व प्रचार के लिये अलग से कोई अनुदान नहीं दिया गया, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मल्ल विद्या की उन्नति के हेतु कितना व्यय किया गया ।

नोट—तारांकित प्रश्न २८ व २९ श्री जगन्नाथ बख्श दास ने पूछे ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि क्या सरकार मल्ल विद्या का विधायकों में प्रचलनार्थ इस साल भी गत साल की तरह कुश्ती प्रतियोगिता विधायकों में कराने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं, लेकिन अगर आप (उपमंत्री से) जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में कितने अखाड़े चल रहे हैं और उनमें कितना रुपया सरकार ने इस वर्ष दिया है ?

श्री फूल सिंह–हर साल १ लाख ४० हजार रुपया फिजिकल कल्चर विधान के मातहत खर्च हो रहा है और इस साल कुछ और भी रुपया देने का विचार है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि माननीय रणंजय सिंह को वर्ष भर में एक बार इन सारे अखाड़ों का निरीक्षण करने का मौका मिले ?

(प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

राज्य में व्यायामशाला स्थापित करने का विचार

*२९—श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९ फरवरी, १९५४ को इस सदन में पारित संकल्प के अनुसार वह कब और कहां उच्चकोटि की व्यायामशाला स्थापित करने का विचार कर रही है ?

श्री फूल सिंह—यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

झांसी जिले में नयी पौधशालाओं की स्थापना

*३०—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुन्देलखंड के किन-किन जिलों में नई पौधशाला (नरसरी) कायम की गई है और कौन-कौन से वृक्ष की पौधें बोई गई हैं ?

श्री फूल सिंह—झांसी जिले में पौधशालाएं कायम की गई हैं । इन में अमरूद, पपीता कागजी नीबू, इमली, जामुन, बेर, नीम, संतरा, आम, मौसम्बी, अशोक, मौलसिरी, मोरपंखी, गोल्ड मोहर तथा तरकारियां जैसे टमाटर, गोभी,प्याज आदि के पौधे लगाये गए हैं ।

*३१—श्री जगपति सिंह—इन पौधशालाओं के वृक्षों व रकबे की तादाद क्या है और प्रत्येक पौधशाला में पिछले तीन वर्षों में कितना खर्च पड़ा ?

श्री फूल सिंह—सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९८–२९९ पर)

श्री जगपति सिंह—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि इन जिलों में जनता को किस प्रकार पेड़ वितरित किये जाते हैं ?

श्री फूल सिंह—सब्जियों के पेड़ प्रायः निःशुल्क दिये जाते हैं, बाकी दाम लेकर दिये जाते हैं ।

श्री जगपति सिंह—क्या सरकार ऐसी पौधशालायें बुन्देलखंड इलाके के अन्य जिलों में भी कायम करने का विचार करती है ?

श्री फूल सिंह—हर जिला प्लानिंग कमेटी को आदेश दिये गये हैं कि जहां-जहां सुविधा हो वहां ऐसी पौधशालायें स्थापित की जांय । इन पौधशालाओं के लिये जमीन और पानी की आवश्यकता होती है । जहां-जहां पानी और जमीन उपलब्ध है वहां सहकारी समितियां ऐसी पौधशालायें स्थापित करती हैं ।

आजमगढ़ जिले के सरदहा, सिंहवारा तथा भीमवर ग्रामों में गन्ना पेरने के कारखानों द्वारा खरीदे गये गन्ने का भाव

*३२—श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के सरदहा, सिंहवारा और भीमवर ग्रामों में गन्ना पेरने के कारखाने हैं ? यदि हां, तो उनमें किसानों का गन्ना किस भाव पर खरीदा जाता है ?

श्री फूल सिंह—जी हां, वहां गन्ना पेरने की मशीन है । उसमें गन्ना १ रुपये मन खरीदा जा रहा है ।

*३३—श्री उमा शंकर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह तीनों फैक्टरियां, फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत नियन्त्रित की जाती हैं ?

श्री फूल सिंह—जी नहीं।

श्री उमा शंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जब उसने गन्ने की कीमत प्रान्त में निश्चित कर दी है तो इन मशीन मालिकों ने कम कीमत पर गन्ना क्यों खरीदा ?

श्री फूल सिंह—वह दर वैकुअम पैन फैक्टरियों के लिये लागू है ।

श्री उमा शंकर—क्या इस तरह की छोटी छोटी मशीनें जो इस प्रान्त में हैं वह जिस भाव पर चाहें उस भाव पर गन्ना खरीद सकती हैं इसकी छूट सरकार ने दे रखी है ?

श्री फूल सिंह—छूट का सवाल नहीं, उस नियम में वह आती नहीं । लेकिन सरकार यह कोशिश करती है कि उसका दाम जहां तक हो सके ज्यादा मिले ।

श्री उमा शंकर—क्या सरकार इन मशीनों के चलाने वाले मालिकों के लिये गन्ने की कीमत निश्चित करेगी ?

श्री फूल सिंह—इस साल तो शायद यह ठीक न होगा क्योंकि गन्ना इतना ज्यादा है कि अगर उसका दाम बढ़ा दें और यह फैक्टरियां बन्द हो जांय तो गन्ना सब पड़ा रहेगा ।

श्री उमा शंकर—क्या सरकार का अगले साल कीमत निश्चित करने का विचार है ?

श्री फूल सिंह—अभी कोई ऐसा विचार नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—[१३ अप्रैल, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। विशेषाधिकार समिति की इस सत्र के लिये इस प्रकार मैंने नियुक्ति की हैं :—

श्री हरगोविन्द पंत, उपाध्यक्ष	सभापति
श्री रामनरेश शुक्ल	
श्री फूल सिंह	
आचार्य जुगल किशोर	
श्री महावीर प्रसाद	
श्री राधा मोहन सिंह	
श्री अब्दुल मुईज खां	
महाराजकुमार बालेन्दुशाह	
श्री रामनारायण त्रिपाठी	
श्री गेंदा सिंह	

जो पहले सदस्य थे उन्हीं को मैंने रखा है सिर्फ माननीय चरण सिंह जी ने यह इच्छा प्रकट की थी कि उनको समयाभाव के कारण इसमें से मुक्त कर दिया जाय। उनके स्थान पर श्री राम नरेश शुक्ल को रखा गया है।

१९५५–५६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—— अनुदान संख्या ३४–लेखा शीर्षक ५४–दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब अनुदान संख्या ३४–लेखा शीर्षक :५४–दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि पर विचार जारी रहेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बहुत से इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया.....

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि बाद में मुझे कुछ कहने का मौका होगा ?

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री रामसन्दर पांडेय—प्रसन्नता है मुझे कि उधर के बैठने वालों ने भी हमारी बहुत सी बातों का समर्थन किया है और माननीय राम अवध सिंह, गोरखपुर, श्री सीताराम शुक्ल, बस्ती, श्री राम जी सहाय, देवरिया, श्री काटजू साहब, इलाहाबाद और श्री राम कुमार शर्मा, मिर्जापुर ने तो इस अनुदान का स्वागत करते हुये "लेकिन" शब्द का बहुत प्रयोग किया है और मैं समझता हूं कि "लेकिन" शब्द और "परन्तु" शब्द ऐसे हैं जो सरकार के कामों की कटु और तीखी आलोचना करते हैं। माननीय राम अवध सिंह जी ने तो यहां तक कह डाला है कि सरकार की ओर से जो भी सहायता प्रदान की जाती है उनके गोरखपुर जिले के अधिकारी और कर्मचारी सही माने में जनता को लाभ होने नहीं देते और इसी तरह से कुछ रामजी सहाय जी ने भी इशारा किया कि वह पैसा जो सरकार जनता की भलाई के लिये देती है उसे ऐश आराम में खर्च कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, यदि इधर के बैठने वाले सम्मानित सदस्य कुछ सरकार की अलोचना करें, उनके कर्मचारियों की अलोचना करें तब तो माननीय राजस्व मंत्री जी यह कहते हैं कि उधर के बैठने वालों का तो काम केवल विरोध करना ही रह गया है। अगर सरकार की ओर के बैठने वाले

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

सदस्य उन्हीं बातों को दोहराते हैं जिनको आज हम तीन साल से दोहराते चाले आ रहे हैं तो मेरा खयाल है कि माननीय राजस्व मंत्री जी को उधर ध्यान देना चाहिये। लेकिन तकलीफ होती है जब माननीय गेंदा सिंह या हम उनके अधिकारियों की शिकायतें करते हैं तो ठीक उसके विपरीत माननीय राजस्व मंत्री जी उनकी तारीफ करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी परेशानी होती है जब कि एक तरफ इधर-उधर के बैठने वाले सदस्य किसी अधिकारी की सही शिकायत करें और माननीय राजस्व मंत्री जी उसकी तारीफ करें। तो आप सहज ही में समझ सकते हैं कि शिकायत करने वाले सदस्य की क्या दशा होती है? और शिकायत करने वाले उधर के सदस्यों को मना भी किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आप यहां नहीं थे और मेरा खयाल है कि गोरखपुर के माननीय सदस्य राम अवध सिंह जी जब बोल रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको रोका.

श्री अध्यक्ष—कल कोई बात अगर कुछ हुई थी तो उसी वक्त आपको रोकना था इस वक्त उसका जिक्र करना ठीक नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात का सदैव खयाल रखना चाहिये कि माननीय सदस्यों की किसी अधिकारी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। एक बात जरूर है कि निगाह में फ़र्क है। हम समझते हैं कि जनता अपनी गाढ़ी कमाई सरकार के खजाने में जमा करती है और वह रुपया अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के भत्ते वगैरह पर खर्च करती है, अगर वह सरकारी कर्मचारी ठीक तरह से अपना काम नहीं करते हैं तो हमारी आलोचना ठीक होती है। लेकिन सरकार की ओर से उनकी तारीफ की जाती है। अध्यक्ष महोदय, हमको इस बात का बहुत दुःख है कि हम जो बात कहते हैं ठीक उसके विपरीत माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं, इसका बहुत बुरा प्रभाव इस प्रदेश पर पड़ रहा है। माननीय राजस्व मंत्री जी मानें या न मानें, लेकिन जो बात हम कहते हैं उसको तीन, चार दिन, एक साल, ६ महीने के बाद फिर उन्हीं बातों को माननीय राजस्व मंत्री जी कबूल करते हैं और अमल में लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा होता कि जो बातें हम लोगों की ओर से या उधर के बैठने वाले सदस्यों की ओर से तथ्य की कही जाती हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ माननीय राजस्व मंत्री जी को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिय, लेकिन ऐसा होता नहीं।

एक बात माननीय राजस्व मंत्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कही कि ७ मई. से १ मार्च तक देवरिया में और प्रान्त के कई जिलों में टेस्ट वर्क जारी रखे गये। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि टेस्ट वर्क क्यों जारी किया गया? टेस्ट वर्क के माने तो यह होते हैं कि जांच कार्य, सहायता कार्य तो जब देवरिया, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर ऐसे जिलों में जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, ऐसे-ऐसे स्थानों में हजारों मजदूर चार आने, पांच आने और छः आने मजदूरी पर काम करते हों और सिवाय टेस्ट वर्क में काम करने के कोई दूसरी मजदूरी प्राप्त करने का साधन वहां न हो, तो वहां के मजदूरों को मार्च के महीने में एकाएक टेस्ट वर्क बन्द कराकर उनको मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं, माननीय राजस्व मंत्री जी से, पूछना चाहता हूं कि १ मार्च, सन् ५५ को देवरिया में, आजमगढ़ में या और जिलों में जो टेस्ट वर्क बन्द कर दिया गया, उसमें कितने मजदूर उस दिन टेस्ट वर्क पर काम कर रहे थे, क्या यह सही नहीं है कि पहली मार्च को २० हजार मजदूर देवरिया में और ऐसे ही और जिलों में भी टेस्ट वर्क पर काम कर रहे थे? तो क्या कारण है कि एकाएक टेस्ट वर्क बन्द करके उनको जो चार पांच आने मजदूरी मिलने का साधन था, वह भी छीन लिया गया? यह कहा जाता है कि चैत के महीने में, मार्च में, किसान रबी की कटिया वगैरह में समय लगाते हैं। मैं जानना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से कि वह २०, २५ हजार मजदूर, जो टेस्ट वर्क में लगे थे, वह ५ सेर, ६ सेर की मजदूरी छोड़ कर चार आने, पांच आने

मजदूरी पर टेस्ट वर्क में क्यों लगे थे ? मेरा विश्वास है कि उनको मजबूर किया जा रहा है मरने के लिए। मैं आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह से मजदूरों और गरीब लोगों के साथ सरकार को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाय कि इन २०, २५ हजार मजदूरों को जो मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है प्रदेश के कुछ और लोग हैं, जिन्हें भी मजबूर होना पड़ेगा उनके साथ मरने के लिए। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि टेस्ट वर्क बन्द कर दिया गया तो उनकी रोजी का कोई साधन नहीं रह जायगा। उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बिना उनकी रोजी का साधन जुटाये उनकी मजदूरी छीन ली। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ कहा जाता है, माननीय वित्त मंत्री का भाषण छापकर के सदन में वितरित किया गया और माननीय राजस्व मंत्री जी भी कहने में अघाते नहीं हैं कि अब इस प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो गई है, केवल तीन चार प्रतिशत लोग बेकार हैं इस प्रदेश के गांवों में। मैं पूछना चाहता हूं कि एक-एक जिले में जहां बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस हजार मजदूर चार आने, पांच आने और छः आने मजदूरी पर काम करने के लिये तैयार हों, तो इसके क्या माने होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह से मजदूरों के साथ, उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में किसी भी प्रदेश से मजदूरी कम नहीं है। मैंने आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से कई बार पूछने की कोशिश की और कल माननीय राजस्व मंत्री जी जवाब देने खड़े भी हुए थे, लेकिन जवाब नहीं दे सके कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश से हमारे प्रदेश की टेस्ट वर्क की मजदूरी क्यों कम है ? मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिये। मेरा विश्वास है कि टेस्टवर्क में वही आदमी काम करने जाते हैं जिनके पास रोजी का कोई साधन नहीं होता, जिनके पास खेती नहीं होती, नौकरी-चाकरी नहीं होती और न कोई उद्योगधंधा होता है, मजबूर होकर वह लोग और अच्छे से अच्छे लोग वहां काम करने जाते हैं। काम भी इस तरह का है कि सुबह आठ बजे से शाम को पांच बजे, छः बजे तक काम करें और मजदूरी मिले चार आना, पांच आना और वह भी ठीक वक्त पर न मिले। इसी सदन में माननीय राजस्व मंत्री जी ने बीसों बार कहा कि मजदूरी हफ्ते में एक बार देने का आदेश है लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे पास सबूत है कि मजदूरी २८, २८ दिन और २१, २१ दिन पर भी नहीं दी जाती है। मजदूर अगर अपनी मजदूरी मांगता है तो उलटे उस पर मार पड़ती है और उस पर जब भाषण या प्रश्न किया जाता है तो राजस्व मंत्री जी उससे इन्कार कर देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की शाबाशी अधिकारियों को और कर्मचारियों को क्यों दी जाती है ? अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी बदकिस्मती हमारे प्रदेश में यह है कि सरकार कहती है कि हमने इतना रुपया जिलाधीशों को दे दिया है कि बाढ़ आने का वह ठीक इन्तजाम कर देंगे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ही माने लेता हूं—हालांकि वह रिपोर्ट हम लोगों की ओर से ग़लत मानी जाती है—उसमें बताया गया है कि १,५५३ पशु पिछली बाढ़ में मरे और २७ व्यक्ति मरे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री, माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त ने कहा था कि इस प्रदेश में एक भी पशु और एक भी व्यक्ति हम बाढ़ में नहीं मरने देंगे।

श्री चरणसिंह—भूखों नहीं मरने देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो क्या बाढ़ से मर जाने देंगे ? दीनदयालु शास्त्री जी कहते हैं कि उसमें सरकार के अधिकार की बात नहीं है। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री,

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

सदन या सरकार को यह कबूल करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिये कि बाढ़ से आदमी मर जाय, बाढ़ से पशु मर जाय और उसमें आपको अधिकार न हो? बाढ़ से पशु या आदमी क्यों मरते हैं? उसका एक ही कारण है कि आप बाढ़ आने के पहले पशुओं और आदमियों की जिन्दगी बचाने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं करते। पशुओं और आदमियों को रक्षा के लिए नाव का इन्तजाम होना चाहिये, चारे का इन्तजाम होना चाहिये। जब इन वस्तुओं का इन्तजाम नहीं होता तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को बड़ी ईमानदारी के साथ लेनी चाहिये कि आपकी ही गलती से, सरकार की ही गलती से लोग मरते हैं और मकान ढहते हैं।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, जब माननीय रामसुन्दर जी पांडेय, ३१ आदमियों के बाढ़ से मरने का जिक्र कर रहे थे.....

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—२७ आदिमयों का।

श्री चरण सिंह—२७ ही सही। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दो सही, चव्वन सही लेकिन उन्होंने इस सिलसिले में माननीय पन्त जी के उस बयान का हवाला दिया कि उन्होंने एक बार यह ऐलान किया था कि एक भी आदमी सूबे में मरने नहीं दिया जायगा, तो यह आदमी क्यों मरने दिये गये? बाढ़ से मरें तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, बिजली गिर जाय तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मतलब यह है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी, मेजर मिस्हैपिनिंग से कोई आदमी मर जाय तो भी पन्त जी की जिम्मेदारी! अध्यक्ष महोदय, मुझे फारसी आती नहीं, जिसकी एक कहावत में केवल दो लफ्ज याद आ रहे हैं कि "चश्म बद दूर"। कैसे यह बात लगी माननीय पन्त जी की इस मामले में और कैसे उसको जोड़ा जाय? कौन सा तर्क है? तो श्रीमन्, और मामले में तो शायद दो राय हो भी सकती हों, लेकिन बाढ़ से आदमी क्यों मरने दिये गये, बारिश क्यों होने दी गयी, एक साथ एकदम, जिससे कि बाढ़ आ गयी और लोग बह गये, अपने खेत में काम कर रहे थे या जंगल में ऐसी जगह कि जहां पानी चढ़ आया, उसको पन्त जी के वादे से जोड़ा जाना—इसके पीछे जो दलील है, खयाल है और बुद्धि है उसको सौ-सौ बार नमस्कार। श्रीमन्, इसी दलील से और भी बातें कही जाती हैं। उसी बुद्धि से एक बात यह कही गयी कि माननीय राजस्व मंत्री राज कर्मचारियों का बड़ा डिफेंस करते हैं। श्रीमन्, यह बात नहीं है। मैं डिफेंस कितना ही करूं और कितनी ही सच्ची बात कहूं, अगर एक माननीय सदस्य यहां यह कह दें कि तकाबी में एक तहसील में कुछ लोगों से रिश्वत ली गयी तो अखबार में तो वही छपेगा कि डिपार्टमेंट बड़ा करप्ट है, बड़ा करप्ट है, बड़ा करप्ट है। डिपार्टमेंट के शत प्रतिशत आदमी कंडेम किये जायेंगे। जब रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस बहस को पढ़ेंगे तो मैं चाहे कितना ही डिफेंस करूं लेकिन मेरी बात छपने वाली नहीं है। लेकिन जो ईमानदार हैं और १८ हजार लेखपालों में से बहुत से ईमानदार हैं, ७-८ हजार कलेक्शन एजेन्सी में लगे हुये हैं, वह भी ज्यादातर ईमानदार हैं, चकबन्दी में जो लोग हैं, उनके लिये भी मुझे गर्व है कि वह ईमानदार हैं और जो नायब तहसीलदार और कानूनगो हैं वह भी ईमानदार हैं तो कम से कम जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वास्ट मेजोरिटी लेखपालों की ईमानदारी से काम कर रही है, उनके दिल पर क्या असर होगा? क्योंकि सही बात को ट्रैविल करते देर लगती है लेकिन गलत बात या मजम्मत करने वाली बात बहुत जल्दी जाती है तो कम से कम उनको यह तो मालूम होगा कि मिनिस्टर तो सही बात कहता था, इसलिये मैं उनको डिफेंस करता हूं और यह भी बात है कि शत प्रतिशत आदमी बेईमान नहीं हुआ करते हैं। अगर किसी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत लाई जाय और उस पर कोई कार्यवाही न हो तब तो शिकायत की जा सकती है।

श्रीमन्, ऐसा न करके दो-चार आदमियों की गल्ती को लेकर बात की जाती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ५० हजार आदमी काम कर रहे हैं तो मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं कि उनसे गल्ती न होती होगी। मैंने इसका कभी दावा नहीं किया है। लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि उनकी गल्तियों को कम करूं और उनकी गल्ती साबित हो जाने पर सजा देने का मैं दावा करता हूं और उसकी हमने कोशिश की है। इसमें यह बतलाया जाना चाहिये था कि इस रूल को बदला जाय या आपने यह गल्ती की है। लेकिन डेइन डे आउट, सीजन इन ऐंड सीजन आउट, ईयर इन ऐंड ईयर आउट, हमेशा इस तरह की बात कहने से न तो जनता का ही हित होता है और न राज कर्मचारियों का ही हित होता है।

श्रीमन्, अब मैं बहुत मुख्तसर में कल जो दो चार बातें रह गई थीं उनको आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र जो गोरखपुर से आते हैं उन्होंने यह फरमाया था कि बहुत सी नाव पड़ी सड़ रही हैं और राज्य का नुक्सान हो रहा है। तो मैंने अभी राज्य कर्मचारियों से फौरन तहकीकात करने के लिये कहा है। वैसे ८२ नावों के जरिये इम्दाद करने की कोशिश की गई थी। ६३ नावें किराये की थीं उनसे हमारा वास्ता नहीं था, जिन्हें कंट्री बोट कहते हैं और जो काठ की देशी नाव होती हैं। गवर्नमेंट के पास १९ नावें थीं। उनमें से एक मोटर वोट थी। कल जो मेरे मित्र ने कहा उससे मालूम होता था कि वह सारी की सारी मोटर बोट थीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी मोटर बोट कहां से आ गईं। ज्यादा से ज्यादा एक मोटर बोट होगी और कंट्री बोटों के खराब होने की कोई बात नहीं है। वह तफसील से बतलायें कि नावें कहां-कहां पड़ी सड़ रही हैं ?

टैस्ट वर्क आफिसरान ने शुरू नहीं किया, यह बात ठीक है। हमने उनको रुपया दिया लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह कहा कि हमने जारी करने की कोशिश की लेकिन लेबर नहीं आई। एक बार मुझ से शायद रामअवध सिंह जी ने कहा था। मैंने उनसे दुबारा कहा कि हमारे नुमायन्दे ऐसा कहते हैं। लेकिन दूसरी बार फिर यही जवाब आया कि हमने कोशिश की, लेकिन लेबर नहीं आती। श्रीमन्, बहुत सी बार ऐसा होता है, मस्लन कपड़े के तकसीम करने की बात है या और कोई काम करने की बात है, उस समय लोग अपनी मजबूरियों की वजह से वहां पहुंच नहीं पाते हैं। इसी प्रकार टेस्ट वर्क के सम्बन्ध में भी यही हो सकता है कि जिस दिन उन्होंने कोशिश की हो उस दिन श्री रामअवध सिंह जी वहां न हों। कोई उन्होंने तारीख तो मुकर्रर नहीं की थी। और इसकी मैं क्या तहकीकात कराऊं, आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे यह बतला दीजिये कि किस पर एतबार किया जाय ? या तो फिर यह तय कर दिया जाय कि जो बात माननीय एम० एल० ए० उस इलाके के कहें वही ठीक समझी जाय। लेकिन अगर इस तरह से शुरू कर दिया जायगा तो जो गैर एम० एल० ए० हैं उनको शिकायत होगी कि उनकी बात ही नहीं मानी जाती है। इतना तो मैं समझता हूं कि सन् ५२ में जितने टेस्ट वर्क्स में मैं गया था, मैं रामअवध सिंह जी की बात सही माने लेता हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि जब टेस्ट वर्क्स में काम हो रहा था तो श्री शिब्बनलाल सक्सेना और के० एम० पी० पी० के तमाम लोग मिलते थे लेकिन हमारे आदमी नहीं मिलते थे। और डी० एम० वहां के एक बड़े तजुर्बेकार मैजिस्ट्रेट माने जाते रहे हैं। मैं और तफसील मांग लूंगा कि कौन सी तारीख को क्या कोशिश की और कितने लोग आये।

जहां तक लो वेजेज का ताल्लुक है मैं अनेक बार कह चुका हूं कि टेस्ट वर्क्स में तनख्वाह रुपये पैसे के टर्म्स में निश्चित नहीं होती। वह गल्ले की मिकदार के हिसाब से होती है। पहले १८ छ० १४ छ०, और १० छः के हिसाब से दी जाती थी। इसका नियम यह है कि नजदीक के बाजार में सस्ते से सस्ता गल्ला जितने पैसे में आता है

[श्री चरण सिंह]

उतनी तनख्वाह दी जाय। १४ छ० स्त्री को, १० छ० बच्चे को और १८ छ० पुरुष को। फिर १८ के २४, १४ के २० और १० के १६ छटांक कर दिये गये। जितना गल्ला वह खा सकता था उससे दूना गल्ला जितने पैसों में आ सकता है उतनी तनख्वाह दी जा रही है। मैंने दूसरे सूबों का मुकाबला नहीं किया, वहां के फेमीन कोड को मैंने नहीं देखा। एक साहब ने कहा कि अलग-अलग तनख्वाह दी जाती हैं, कहीं कम और कहीं ज्यादा तो यह तो गल्ले के भाव पर है जहां जिस भाव गल्ला मिलेगा उस हिसाब से तनख्वाह दी जाती है।

एक बात माननीय रामजी सहाय ने यह कही कि कुछ रुपया नुमाइश पर खर्च कर दिया गया। मैंने कल ही डी० एम० को टेलीफोन किया है लेकिन वह मौके पर नहीं मिले। अब मैं उनको तहरीर में लिखने वाला हूं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? अगर यह खयाल है कि कलेक्टर जो कुछ कहता है ग़लत है तो मैं समझता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन नामुमकिन हो जायगा। हो सकता है कि गलतफहमी हो। इसलिये बहुत सी बातें तो उनसे मालूम होने पर यह मालूम होता है कि ग़लतफहमी पर मबनी हैं।

श्रीमन्, माननीय रामजी सहाय ने राप्ती पर बांध भी बांधने की बात कही थी। यह बात बहुत दिनों से चल रही है लेकिन बांध बांधा जाय या न बांधा जाय यह काम फ्लड कंट्रोल बोर्ड का है। यह मामला उनके सामने पेश है। लेकिन इसके सिलसिले में दो रायें हैं। गोरखपुर वाले कहते हैं कि न बांधा जाय हमें नुकसान होगा, और देवरिया वाले कहते हैं कि बांधा जाय हमको फायदा होगा। तो यह मामला फ्लड कंट्रोल बोर्ड के जेरेगौर है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसका मतलब नहीं है। एक चिट्ठी मेरे पास बद्री प्रसाद मिश्र ने भेजी थी वह भी मैंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड को भेज दी है। देवरिया बेशक बहुत गरीब जिला है जो अक्सर बाढ़ से पीड़ित होता है, लेकिन वही नहीं, गोरखपुर, बहराइच और बस्ती आदि भी जिले हैं जो कमोबेश बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। देवरिया में गालिबन उनमें सबसे ज्यादा आर्थिक दृष्टि से एक आध परसेंट लो जाकर बैठता है। पूर्वी इलाके में सब से खराब जाकर बैठता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन सरकार ने जितनी देवरिया की मदद करने की कोशिश की है, अगर वह सारा मैं बतला दूं तो जो दूसरे जिलों के सज्जन हैं, उनको शायद शिकायत होगी। मैंने कल भी कहा था माननीय गेंदा सिंह जी से कि जो आपकी वजह से रुसवाई हो रही है गवर्नमेंट की, कुछ इसका भी लिहाज कीजिये। उन्होंने लिहाज तो कुछ किया। ज्यादा देवरिया का जिक्र नहीं किया। लेकिन मुख्तसरन जो हमने पिछले साल २३, २४ अप्रैल को फैसला किया था देवरिया जिले के जिलाधीश और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट और एक आध अफसरों को और बुलाकर, वह मैं बहुत मुख्तसरन आपकी इजाजत से सुनाना चाहता हूं।

५७ लाख की सड़कें बनाने के लिए मंजूर किया गया जिसमें से २० लाख इस साल खर्च होने के लिए मंजूर हुआ। चूंकि उसका रुपया बजट में नहीं था इसलिये कुछ देर हुई आर्डर निकलने में। कंटेंजेंसी फंड से रुपया लेकर पी० डब्ल्यू० डी० को आर्डर्स गये हुए हैं और वहां काम शुरू हो गया है। यह काम अगले साल भी जारी रहेगा चाहे यह रुपया इस साल खर्च हो या न हो। पडरौना रोड पर कप्तानगंज के पास पुल करीब-करीब मुकम्मल होने जा रहा है। हमने पहले ही निर्णय किया था कि वहां पर पुल बना दिया जाय। तीसरे, गंडक नहर बनायी जाय। उस पर दस लाख रुपया इस साल खर्च होगा। वहां काम शुरू है। वह देवरिया से निकलकर गोरखपुर जायगी। इस पर पचास लाख रुपये खर्च होंगे जिसमें १० लाख इस साल खर्च किया जा रहा है। देवरिया–कसिया–पडरौना–खडेड़ा रेलवे लाइन बनाने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया से सिफारिश की जाय, तो देवरिया–कसिया–पडरौना लाइन की

बाबत मालूम हुआ है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के जो प्राजेक्ट्स हैं उसमें इसको भी शामिल करने का उनका इरादा है। बर्थ कंट्रोल क्लीनिक्स खोले जायं—यह है असली इलाज। बर्थ कंट्रोल के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना, सुविधाएं बतलाना, इसके लिए वहां पर क्लीनिक्स खोले जायं ताकि आबादी जिस रफ्तार से बढ़ती है उस रफ्तार में कुछ कमी आये। डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐण्ड हेल्थ सर्विसेज को हमने लिखा है और वह इस मसले पर विचार कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—कुछ हुआ इस सिलसिले में?

श्री चरण सिंह—मैं अपने दोस्तों से, माननीय गेंदा सिंह और उनके साथियों से कहूंगा कि आप संयम कीजिये। एन० ई० एस० ब्लाक या कम्युनिटी सेंटर खोलने के लिए कहा गया। हमारे प्लानिंग विभाग को लिखा तो मालूम हुआ कि दो कम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक्स वहां पर चल रहे हैं और एक एन० ई० एस० ब्लाक चल रहा है। इसलिए चौथा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। प्लानिंग विभाग ने हमको यह जवाब दिया। ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलपमेंट वर्कर्स के लिए खोले जायं। इसके लिए हमने प्लानिंग विभाग को लिखा तो उन्होंने कहा कि वहां ट्रेनिंग सेंटर्स काफी हैं और आवश्यकता नहीं है। शुगर मिलों के ट्यूबवेल्स से सिंचाई में मदद ली जाय। कोई कानूनी अड़चन इस सिलसिले में नहीं है। लेकिन निजी ट्यूबवेलों के रेट को कंट्रोल करने के लिए कोई नियम नहीं है। उनको इर्रीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाये जाने का विचार है। मैसोनरी वेल्स को ३०० से १,००० कर दिया जाय—तो १,००० तो नहीं लेकिन ५०० कर दिये गये हैं। फजलीनगर एरिया में कुछ ट्यूबवेल बनाये जायं। दो ट्यूबवेल तो बन रहे हैं और ६ और बनेंगे। ग्यारह हजार के स्थान पर सोलह हजार गैलन एक रुपये में दिया जाय। इसमें भी हमने सिफारिश की थी। लेकिन उन्होंने लिखा कि नहीं, ट्यूबवेल का खर्चा बड़ा होता है, इसलिए उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर वहां करते हैं तो पूरे सूबे भर में करना पड़ेगा। दो परशियन व्हील्स डिमांस्ट्रेशन के लिए मांगे गये थे। हमने दो की जगह ३० परशियन वील्स दिये हैं ताकि लोग सीख कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। काटेज इंडस्ट्रीज के लिए २९ खादी स्पिनिंग सेंटर्स, ६ गुड़ डेवलपमेंट सेंटर्स, चल रहे हैं। इसके अलावा, टयूशनल क्लासेज स्कीम के अधीन ६ क्लासेज चल रहे हैं। दो हैण्डलूम प्रोडक्शन सेंटर्स चल रहे हैं। बैस्केट मेकिंग क्लास भी चलाने का इरादा है। फ्रूट प्रिजर्वेशन करने के लिए सरकार विचार कर रही है। वाटरवेज के द्वारा ट्रांस्पोर्ट हो, उस रास्ते से भी काम लिया जा सके। गंगा-ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रान्सपोर्ट बोर्ड, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कायम किया है जिसमें हमारे चीफ इंजीनियर हैं। इलाहाबाद से आगे गंगा में नाव के जरिये से सामान आने जाने के लिये ट्रान्सपोर्ट के साधन बनाने पर विचार हो रहा है। देवरिया में तकावी की वसूलयाबी रोक दी गई है। और इसके अलावा जो और भी उन्नति के साधन वहां पर हो सकते हैं उसके लिये फ्लड कंट्रोल बोर्ड देख रहा है।

इसके अलावा सारे सूबे में टेस्ट वर्क के लिये २४ लाख रुपया सारे सूबे में खर्च किया गया लेकिन सिर्फ देवरिया जिले पर, १३॥ लाख रुपया खर्च हुआ है। इसके अलावा ग्रेचुट्स रिलीफ जैसे फ्लड, सूखा, ओला वगैरहा के लिये सारे सूबे में ७ लाख २६ हजार ८२१ रुपया खर्च हुआ है लेकिन अकेले देवरिया जिले पर १,३८ हजार रुपया खर्च किया गया है। तकावी के लिये सारे सूबे को ४९ लाख रुपये के करीब दिया गया जिसमें अकेले देवरिया जिले को ६॥ लाख दिया गया। और भी ग्रेचुट्स रिलीफ की शक्ल में लड़कों की फीस में रियायत के लिये १,३६, हजार रुपया सारे प्रान्त को दिया गया जिसमें ५६,९०२ रुपया केवल देवरिया को दिया गया है। इस तरह से आप अनुमान कर सकते हैं कि अकेले देवरिया पर कितना खर्च किया गया है। जहां तक सम्भव हो सकता है हम स्वयं इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहां की दशा को सुधारा जाय। हम मानते हैं कि

[श्री चरणसिंह]

देवरिया जरूर गरीब जिला है लेकिन जितना गवर्नमेंट उसके लिये कर सकती है उतना करने में कोई कसर और कोताही छोड़ी नहीं जा रही है। देवरिया ही नहीं और भी जितने इसके अलावा जो जिले हैं उनमें भी यह कोशिश की जा ती है कि वहां पर भी काम किया जाय किन्तु हमारी भी कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं उनको देखते हुये ही हमको काम करना पड़ता है। क्योंकि आखिर रुपया आये कहां से और रुपये के भेजने की बात है तो उसके लिये हमारी कोशिश रहती है पर फिर भी आत्मसम्मान का तकाजा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और वे स्वयं मेहनत करें ताकि उनको पैसा मिले। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को पेश करता हूं।

श्री राम सुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं अपने कटमोशन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिये आय-व्ययक में अनुदान संख्या ३४—दुर्भिक्ष सहायता (लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि) के अन्तर्गत १७,८१,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५५–५६ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों पर विचारार्थ समय विभाजन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि अनुदान संख्या ३० पर १ घंटा १५ मिनट, अनुदान ३१ पर १ घंटा, ३२ अनुदान पर आधा घंटा और ४६ पर १ घंटे का समय दिया जाय।

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—श्रीमन्, यह बहुत अच्छा हो यदि चारों विभागों को एक साथ ही ले लिया जाय। इसमें सदस्यों को बहुत आराम रहेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—नहीं साहब, अलग-अलग लिया जाय यह हमारा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—वैसे सब की राय हो जाय तो अनुदानों को एक साथ लिया जा सकता है किन्तु यदि सब नहीं चाहते हैं तो प्रत्येक अनुदान अलग-अलग ही ले लिया जायगा।

१९५५–५६ के आय-व्यय में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या ३०–लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य– निर्माण कार्यों पर लागत

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक: ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तर्गत ४,०८,२२,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, मैं बहुत ज्यादा समय सदन का शुरू में नहीं लेना चाहता। जब माननीय सदस्य आलोचना करेंगे या कुछ प्रश्न उठायेंगे, उसके उत्तर में ज्यादा कहूं तो बेहतर होगा। मैं यह मानता हूं कि जो साहित्य बजट के सम्बन्ध में सदस्यों को दिया गया है, जो एक पुस्तिका हमारे विभाग की ओर से मेज पर रक्खी गयी है उसका अध्ययन माननीय सदस्यों ने कर लिया होगा। कम से कम इतना मैं जरूर निवेदन करूंगा कि जो

माननीय सदस्य यहां पर कुछ कहें वे उसको जरूर देख लें। उसको दुहराना तो मैं आवश्यक नहीं समझता लेकिन सरसरी तौर से दो एक बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

हमारे यहां सड़कों के बारे में काफी प्रगति दिखाई देती है। हमारा प्रदेश इसमें काफी आगे है। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजना में हमारा टारगेट था वह ४ साल में ही करीब-करीब पूरा हो चुका है और एक आध मदों में हम आगे भी बढ़ गये हैं और जो काम हम अगले साल करेंगे वह अगली पंचवर्षीय योजना के मातहत होगा।

पुलों की बाबत भी उसमें जिक्र किया गया है। ५ पुल बन चुके हैं और २२ पुल बन रहे हैं इसके अलावा १४ पुलों को और शीघ्र ही हाथ में लेने का विचार है।

मैं खास तौर से माननीय सदस्यों का ध्यान सड़कों के माडर्नाईजेशन की ओर दिलाऊंगा। इसकी महत्ता खास तौर से इस लिये और भी ज्यादा है कि उसके द्वारा धूल से तो हम मुक्त हो ही जाते हैं बल्कि उसके द्वारा हमारी सड़कों की जिन्दगी भी बढ़ जाती है। इसके बनाने में प्रति मील ३० हजार रुपया लगता है और उसकी आयु करीब १६ साल के करीब हो जाती है, साथ ही स्टेट को काफी कम खर्चा उसके ऊपर उसके सुधार के लिये करना पड़ता है। दूसरी तरह की कंकड़ की सड़कें हैं जिनके बनाने में प्रतिमील १० हजार रुपया लगता है तथा वे १ साल के अन्दर और अगर ज्यादा ट्रैफिक हुआ तो और भी जल्दी खराब हो जाती हैं। औसत दर्जे डेढ़ दो साल में तो खराब हो ही जाती हैं। हमारे पास रुपये की इतनी कमी होती है कि हर दूसरे साल तो उसकी मरम्मत नहीं कर पाते हैं, ५ साल में कर पाते हैं और उस वक्त में सड़क बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तथा जनता को भी उस पर काफी कष्ट होता है। इसके अलावा शिकायत भी आती है कि पी० डब्ल्यू० डी० सड़कों की ओर ध्यान नहीं देती है, लेकिन यह हमारी मजबूरी है और पैसे की कमी के कारण हमें ऐसा करना पड़ता है। अगर हम कुछ कर्जा लेकर, १५-२० करोड़ रुपया लगा कर एक साथ सड़कों का माडर्नाइजेशन करा दें तो उससे बचत भी होगी और जो सूद हमें देना पड़ेगा उसके बाद भी बचत होगी। अब केवल केपीटल आउट ले का सवाल रह जाता है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। जो साल चल रहा है उसमें करीब ८०७ मील सड़क माडर्नाइज हो चुकी है और जितनी केन्द्र की सड़कें हमारे प्रान्त से होकर जाती हैं वे करीब करीब सभी माडर्नाइज हो चुकी हैं और स्टेट रोड्स भी करीब ३,८०० मील के माडर्नाइज हो चुकी है। इस तरह से हमारी सच्ची प्रगति में समझता हूं कि यही है कि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस तरफ दिया और दूसरी तरफ जो हम रखरखाव पर खर्च करते हैं उससे न विभाग को सन्तोष होता है और न जनता को सन्तोष हो सकता है। इसके अलावा जो रिफ्यूजीज के क्वार्टर्स बने हैं उनका भी इसके अन्दर जिक्र है। इंडस्ट्रियल होम्स भी बने हैं जो करीब १०,००० के करीब बन चुके हैं और उनमें करीब ५० हजार आदमियों का निर्वाह हो सकता है। और जो छोटी-मोटी चीजें हैं उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। जो एपेंडिक्स है उसमें दिया हुआ है कि कौन सा काम इस साल लिया जा रहा है और पिछले साल से कौन सा काम किया जा रहा है।

दो एक बात मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य तो डिस्कशन में भाग ले नहीं सकते हैं। जो लोग भाग न लें उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे चाहे यहां, चाहे बाहर हमेशा अपने सुझावों और अपनी आलोचना से हमें अनुगृहीत करते रहेंगे। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो दिक्कतें हमारे सामने हैं उनसे हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और जो आलोचनायें हों वह अगर हमारी मजबूरियों की, जो हमारे सामने दिक्कतें हैं और जो अनिवार्य दिक्कतें हैं उनको सामने

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

रख कर की जायेंगी तो उससे हम और हमारा विभाग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेगा। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता हूं कि माननीय सदस्य सिर्फ इसलिये आलोचना करेंगे कि आलोचना करने में उनको आनन्द आता है बल्कि उनका उद्देश्य यह होगा कि विभाग पर इसका अच्छा असर पड़े और विभाग इससे लाभ उठा सके। ऐसी आलोचना के लिये जरूरी है कि वह थोड़ी रचनात्मक दृष्टि से हो, जो हमारे सामने दिक्कतें हैं उनका ख्याल रखें। साथ ही जिम्मेदारी जरूर सरकार की है और मैं निःसंकोच यह कह सकता हूं कि जितनी गलतियां होती हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी है ही लेकिन हमारा सारा काम जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन्हीं की मार्फत होता है। मैं जो स्पीच अपने से पहले के, पूर्व वक्ता का सुन रहा था उस विषय में मैं खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यहां के भाषण का यह प्रभाव पड़ता है कि जो ईमानदारी के साथ, प्रयत्न के साथ और समझदारी के साथ विभाग का काम करते हैं, अगर थोड़ा सा ऐसे आदमियों का उत्साह भंग होता है और उनके मन में यह ख्याल उठता है कि चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न करें कोई ख्याल करने वाला नहीं है, कोई उसे समझने वाला नहीं है तो उसका यह प्रभाव पड़ेगा कि वास्तव में कोई भी उन्नति हम नहीं कर सकेंगे। मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी जिस समय इस विभाग में आया था और दूसरी चीजें देखता था तो शंकित था लेकिन आज मैं देख कर आया हूं और मैं समझता हूं कि इस दो महीने में किस किस्म का काम हो रहा है उसका अन्दाज करने के लिये मैं काफी देख चुका हूं। एक काफी सही अन्दाजा मैं आज कर सकता हूं। उसके आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर काफी अच्छा काम हुआ है और उससे हम सन्तोष ले सकते हैं। पिछले वक्त में हमारे यहां काफी खराब काम रहा, खास तौर पर लड़ाई के बाद और लड़ाई के जमाने में, क्योंकि समय कम मिलता था, काम एक दम से आ पड़ता था, आदमी टेम्पोरेरी थे, नये-नये आदमी थे, तो उस दौरान में जरूर काम खराब रहा। हमारे विभाग की भी मजबूरी थी और कभी-कभी खराब सामान होने पर भी मजबूर होकर उसे खराब काम कराना पड़ा।

सामान ठीक नहीं मिलता था, काम कराना लाजिमी था और इस वजह से उस वक्त जो कुछ भी बदनामी विभाग की हुई उसे आउटलिव करने के लिए मैं बहुत नम्रता से माननीय सदस्यों से याचना करूंगा कि इधर अब जो काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है उसके लिये यथोचित प्रोत्साहन दें और विभाग को निरुत्साहित न करें। बहुत से दोष हैं, जो अनिवार्य हैं और जिन्हें जब तक हम अपने विभाग में काफी संख्या में आदमी और खर्च नहीं बढ़ाते हैं हम दूर नहीं कर सकते। एक-एक आदमी को कई-कई मील की दूरी में घूम कर काम देखने पड़ते हैं और उसके लिए यह नामुमकिन हो जाता है कि वह हर जगह, हर वक्त मौजूद रहे, मुमकिन नहीं है कि जो चीजें उसकी गैरहाजिरी में होती हैं उनको वह कंट्रोल कर सके और अच्छे-अच्छे प्रबन्ध करने वाले भी इस चीज को हर समय कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ी चीजें किसी हद तक खराब हो सकती हैं लेकिन अधिक खराबी तभी हो सकती है जब इन्तजाम करने वाले खुद ही उसमें शामिल हों। जैसे खराब ईंटों का सवाल है, पहले उनको शिकायत थी, वह खराब लगती रह सकती हैं अगर विभाग के लोग भी उसमें शामिल रहें। इसीलिए अब विभाग ने एक नीति बना दी है कि प्लास्टर न किया जाय और केवल प्वाइंटिंग से ही काम चलाया जाय, इसका नतीजा यह हुआ है कि किसी वक्त भी पता लग सकता है कि किस प्रकार की ईंट लगाई गई है, इसलिये खराब ईंट लगने की सम्भावना अब करीब-करीब खत्म हो रही है। अगर कहीं खराब ईंट लगती है तो वह निरीक्षण की कमी की वजह से या जान बूझ कर किसी आदमी की गलती से ही लगती है लेकिन दूसरी चीजों में एक आदमी के लिए नामुमकिन हो जाता है जब उसको दूर-दूर जगह जाकर निरीक्षण करना पड़ता है और वह सब जगह नियंत्रण नहीं रख पाता है। आज भी जिस प्रगति से काम हो रहा है उसमें अगर हम

निरीक्षण का खर्च बढ़ावें तब भी हमें काफी खर्च बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनसे मालूम होता है कि यहां विभाग का व्यय उत्तरोत्तर बहुत कम हो गया है। सन् ५२-५३ में वह करीब-करीब ७ यानी ६.९ था, फिर वह ६.८ हुआ और अब इस साल वह करीब-करीब ४.२ रह गया है। दूसरे सूबों से अगर मुकाबला किया जाय, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं वैसे ही पढ़ता हूं, वह कहीं ७ है, किसी जगह १५ भी है और मामूली तौर से ८.७ के करीब हैं। कुछ प्रान्त हमारे से अच्छा प्रबन्ध करते थे, बिहार जहां साढ़े ५ था वहीं दूसरे साल ५.८ हो गया और इस साल फिर कम हो कर वहां वह ४.४ रह गया है। सिर्फ २ सूबे ऐसे हैं जिनका खर्च काम के अनुपात से कहा जा सकता है कि अधिक नहीं है। अगर हम निरीक्षण ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमें खर्च भी उसके लिये बढ़ाना होगा और यह निर्णय करना होगा कि खर्च बढ़ा कर लाभ अधिक होता है या नहीं, या थोड़े निरीक्षण से ही काम चलाया जाय और जो थोड़ी बहुत गलतियां कभी-कभी रह जाती हैं उनको हम तसलीम करें।

जो बुरा काम करने वाले लोग हैं उन पर भी सख्ती करने की काफी कोशिश की गई है। इधर सन् ४७ के बाद से करीब-करीब ११२ आदमियों के ऊपर ऐक्शन लिया गया है, जिसमें से ४० को बरखास्त किया गया है, करीब १९ के प्रोमोशन रोके गए हैं, कुछ को रिवर्ट किया गया है और कुछ को रिजाइन करके जाना पड़ा है और इनके अलावा २१ के करीब ऐसे केसेज हैं जो अभी खत्म नहीं हुए हैं।

इसलिए ऐसी दृष्टि से जैसा कि मैंने कहा, अगर हमें सुझाव दिए जायंगे तो हम उनसे अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे; मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा और जो कुछ माननीय सदस्य कहेंगे उसको सुनकर बाद में जो कुछ कहना मेरे लिए आवश्यक होगा वह कहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन से चाहूंगा कि वह इस मांग को स्वीकार करे।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ३० के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। श्रीमन्, यह अनुदान ४ करोड़ ८ लाख २२ हजार ५०० रुपए का है। इस अनुदान के द्वारा जो मांग की गई है इसमें बहुत सी मदें हैं और उनमें निर्माण की मदें हैं जैसे-सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण गवर्नर महोदय के रखरखाव आदि से सम्बन्धित मदें हैं, इसमें पशु चिकित्सालयों और चिकित्सालयों से भी सम्बन्धित धन है। इस अनुदान से सम्बन्धित दो तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो कुछ खास अधिकारियों के पास कुछ निधि सुरक्षित है। जैसे चीफ इंजीनियर के मातहत २ लाख ४५ हजार १ सौ रुपये के लगभग धन सुरक्षित रखे गये हैं और इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस और शिक्षा संचालक जैसे लोगों के पास भी इसी तरह से काफी धन सुरक्षित हैं। मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी भी प्राधिकारी के पास धन सुरक्षित रहना चाहिये, क्योंकि मैं देखता हूं और आज यह कहने के लिये विवश हूं कि बड़े से बड़े प्राधिकारी जिनको प्रान्त की कैबिनेट में रहने का सौभाग्य प्राप्त था उनके मातहत सुरक्षित धन का किस प्रकार दुरुपयोग होता है और कांग्रेस पार्टी के प्रचार में व्यय होता है। मुझसे प्रश्न हो सकता है और सदन यह जानना चाहेगा कि यह कैसे? वैसे तो मैं बार-बार कह चुका हूं और आज भी कह सकता हूं कि हमारे जिले में कांग्रेस की सभाओं में बड़े-बड़े अफसर जाते हैं....

श्री अध्यक्ष--आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा यह विश्वास है कि सुरक्षित निधि जो अधिकारियों के पास है वह उनके मातहत नहीं होनी चाहिये और उसकी हमारे इस तर्क से पुष्टि होती है कि बड़े-बड़े अधिकारी उस सुरक्षित निधि का दुरुपयोग करते देखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठ जायं। मैं आपका ध्यान नियम १८२ की तरफ ले जाना चाहता हूं।

"182 (2) (vi) A member while speaking or answering a question shall not utter treasonable or defamatory words but he may, with the permission of the speaker, quote them for the purposes of his argument."

पहली बात इसमें यह है कि भाषण में माननीय सदस्य "shall not utter defamatory words और उसमें यह जरूर होना चाहिये कि "he must be strictly relevant to the matter" इस कारण आप जो कह रहे हैं उसे जारी रखने की मैं इजाजत नहीं दूंगा जब तक कि उस विषय की रेलिवेंसी न हो। भाषण तो डिफेमेटरी अवश्य ही नहीं होना चाहिये। यह बात मिनिस्टर के लिये भी लागू है जो इस सदन का सदस्य है। आप बहस के लिये भी जो कहें वह रेलिवेंट भी हो और डिफेमेटरी न हो। निधि जो सुरक्षित रखी गई है उसी सिलसिले में आप आर्गूमेंट्स देना चाहें तो दे सकते हैं लेकिन इस तरह से कहने में तो दुरुपयोग का आक्षेप मिनिस्टर्स पर भी आ सकता है और यह उचित नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी निधि कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथ में विशेष कार्यों के लिये रखी गयी है लेकिन उसके उचित उपयोग होने की सम्भावना कम है, इसलिये मैं इसका विरोधी हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में निवेदन किया था कि उनके द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका के अध्ययन के पश्चात् ही वक्ता महोदय अपने विचार प्रकट करें। मैंने उस पुस्तिका को पढ़ा है वघोच में एक पुल बनाने का उसमें जिक्र है। सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के वक्त उसके लिये रुपया मंजूर किया गया था लेकिन कुछ दिन हुए माननीय राजवंशी राय जी के पास एक पत्र आया था जिससे मालूम हुआ था कि माननीय पन्त जी के आश्वासन देने के बाद भी उनको रुपया प्राप्त नहीं हुआ है। २५ हजार रुपया जो वहां की संस्थाओं ने दिया है वह पड़ा हुआ है और काम ठप्प पड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी उधर ध्यान देंगे।

श्रीमन्, पुलिस लाइन हरदोई में ४० कान्सटेबिलों के आवास गृह के लिये ४०,००० रु० की व्यवस्था इस अनुदान द्वारा की गई है और साथ ही वहां डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के आवास गृह के लिये २९,००० रु० रक्खे गये हैं। ४० आदमियों के लिये ४० हजार रुपया यानी एक आदमी के लिये १ हजार रुपया और दूसरी तरफ एक आदमी के लिये २९ हजार रुपया! मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिलों में पुलिस के रहने के लिये जो मकान बनाये गये हैं उनमें ८,१० आदमी एक-एक कमरों में रक्खे जाते हैं और वे पशुओं से भी बदतर जिन्दगी व्यतीत करते हैं, जब कि पुलिस के चौकीदार और हवलदार की ड्यूटी २४ घंटे की रहती है, कम से कम उनके रहने की व्यवस्था तो अच्छी होनी ही चाहिये। इसलिये निवेदन करूंगा कि ४० व्यक्तियों पर ४० हजार रुपया और एक व्यक्ति पर २९ हजार रुपये की व्यवस्था करना यह तो बड़ा अप्रजातांत्रिक प्रतीत होता है।

श्रीमन्, गवर्नर महोदय के बंगले के चारों तरफ सड़क बनाने व उसके रखरखाव के लिये २ लाख ८४ हजार रुपये की व्यवस्था की गई है और साथ ही बन्दरिया बाग में मंत्रियों और उप मंत्रियों के बंगलों के चारों तरफ सड़क बनाने के लिये भी इसमें व्यवस्था है। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि पक्षपातपूर्ण नीति इस सरकार और केबिनेट की चल रही है। मुझे आपसे कहना है कि मुझे रहने के लिये आवास तक प्राप्त नहीं हुआ है मैं बाहर बरामदे में पड़ा हुआ हूं, दूसरी तरफ ४० सदस्य इस सदन में ऐसे हैं जिनको एक-एक कमरे के स्थान पर दो-दो कमरे मिले

हुए हैं या एक-एक आदमी के स्थान पर दो-दो आदमियों के स्थान मिले हुये हैं। चाहे वे उपमंत्री हों या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी लेकिन यह सब देख कर एक कड़ुवाहट सी पैदा होती है। जो रसगुल्ला खाने वाला हो वह मीठी जबान में बोल सकता है लेकिन जिन्हें मिर्च खानी पड़ती हो उन्हें तो कड़ुआ बोलना ही पड़ेगा। सरकार मंत्रियों, उपमंत्रियों और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का बहुत ध्यान रखना चाहती है लेकिन हम विधायक जो इस विधान सभा के सदस्य हैं उनको जगह नहीं मिलती, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी कोई ध्यान नहीं देते।

उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों के चारों तरफ सड़कों के सुधार के लिये इसमें ३० हजार रुपयों की व्यवस्था है। चीनी मिलों के जोन्स में सड़कें पक्की करने के लिये ६,५०,००० रु० की व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि मिलों के पास रोड फंड के हिसाब में किसानों से १ पैसे मन रुपया जो कटता है उसमें लाखों रुपया जमा है। मैं निवेदन करूंगा कि वह रुपया सड़कों पर खर्च किया जाय और मिलों द्वारा काटे गये रुपयों का हिसाब लिया जाय। चीनी मिलों को अपने प्रान्त में काफी मुनाफा है और किसानों के मुनाफे की तरफ जब ध्यान नहीं है तो सरकार को मिलों पर अतिरिक्त कर लगाना चाहिये, सड़कें बनाने के लिये, क्योंकि किसान लोग उन्हीं मिलों के लिये गन्ना बोते हैं और उन्हें ले जाकर बेचते हैं। मिलों से पैसा लेकर सड़कें बनाई जायं।

श्रीमन्, मेडिकल कालेज, लखनऊ के विस्तार की भी बात है। मैं भी चाहता हूं कि इसका विस्तार हो। कम से कम विधान सभा के सदस्यों को चिकित्सा सम्बन्धी कुछ सुविधा हो। मैं देखता हूं कि जो सरकारी पक्ष के लोग हैं वे अपने इलाके में डींग मारते हैं चलो तुम्हारी दवा करा देंगे और अक्सर ऐसे आदमी यहां आते रहते हैं। श्री अक्षयबर सिंह जी का एक आदमी आठ दिन से यहां पड़ा हुआ है, रोज खाना खाने वह आता है शायद आज भी वह आया हो, लेकिन अभी तक वह भर्ती नहीं हो पाया। मैं जानता हूं कि आवास गृह की कमी है और मैं चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रकार दिये गये आश्वासन की रक्षा हो और जिन लोगों को वह इस प्रकार का आश्वासन दे कर लायें उनके रहने की व्यवस्था वह चाहे दांत का इलाज कराना चाहें अथवा आंख का उसका प्रबन्ध किया जाय।

श्रीमन्, देहातों में एक दो अस्पतालों से सम्बन्धित भी इसमें अनुदान हैं। मैं कैसे कहूं कि उन पर खर्च न होना चाहिये लेकिन खर्च के साथ-साथ निर्माण विभाग की कुछ कमजोरियों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। निर्माण विभाग में ठेकों से जो काम होता है उसकी बड़ी खराब हालत है। ५० फीसदी कंट्रेक्टर ऐसे हैं कि जो निर्माण विभाग के कर्मचारियों के संबंधी हैं और जो उनसे प्रोत्साहन पाकर और पैसा पाकर काम करते हैं। श्रीमन्, यह मेरा दावा है और मैं देवरिया और गोरखपुर के बारे में कम से कम जरूर जानना हूं। मैंने इस प्रकार का एक सवाल भी यहां किया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। इस लिए यह एक अवसर है जिस पर मुझे यह बात कहनी पड़ती है कि जो सड़के बनी हैं, और जिनका पास करना अधिकारियों के हाथ में है और उनसे ऊंचे अफसरों के हाथ में है वह सब एक दूसरे से हाथ मिलाये बैठे रहते हैं, और उनसे मुनाफा कमाते हैं और इसलिये वहां उन सड़कों पर काम कच्चा होता है। भीखमपुर की सड़क इसी तरह की बनी लेकिन वह बिलकुल बेकार है। देवरिया में जितने पुल बने हैं वह सब उजाड़ कर आज फिर बनाये जा रहे हैं। यह धन का दुरुपयोग हो रहा है। यह उस काम का और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है जो किसानों के, गरीबों के पास से इकट्ठा किया गया है और यह देख कर किसे दुख न होगा। मैं जानता हूं कि निर्माण होना चाहिये लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि निर्माण पर जिस रेश्यो से पैसा खर्च होता है उस अनुपात से काम नहीं होता। यह मेरा दावा है और इस लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ठेका देने में काफी विचार करने की आवश्यकता है।

[श्री रामेश्वर लाल]

श्रीमन्, मैं पशु चिकित्सा पर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजनन केन्द्रों के लिये जहां उनको यंत्रों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है, उसके साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि उनके चारों तरफ हाता बनाया जाय क्योंकि ऐसा न करने से बड़ी अड़चन होती है। देवरिया में और पडरौना में एक चिकित्सालय है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि एक चिकित्सालय पुरुषों के लिये भी हो। और देवरिया के पशु चिकित्सालय के लिये बाउन्ड्री की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में मैंने प्रश्न भी किया है लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं कि वहां बाउन्ड्री की बड़ी आवश्यकता है और उसको जल्दी ही बन जाना चाहिये।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने मित्र श्री रामेश्वर लाल जी को इस बात के लिये बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम एक बात तो इस पूरे बजट में स्वीकार की कि कम से कम इस विभाग में काम तो हुआ और काफी काम हुआ है और बहुत अच्छा विभाग है। यह उनके शब्द हैं। रही कुछ थोड़ी सी शिकायत जो उन्होंने अन्त में की। उसी के बारे में माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में आरम्भ में ही यह कहा था कि जहां कहीं ऐसी कोई शिकायत हो या कोई गलती हो तो वह माननीय मंत्री जी तक पहुंचाई जाय और इस बात के लिये उन्होंने कहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि उन ऐसा व्यक्ति कभी ऐसी बातें बरदाश्त नहीं करेगा और संबंधित व्यक्तियों को अवश्य उसका फल भुगतना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माण विभाग में हमारे प्रान्त में सन् १९४७ से लेकर आज तक बहुत काफी काम हुआ है। जिस तरफ आप देखें उस तरफ सड़कों की शक्ल बदलती चली जा रही है। यह अपनी जगह पर सच है और माननीय मित्र को भी शायद उन सड़कों पर चलने का अवसर मिला हो।

मैं बताना चाहता हूं कि मेन्टेनेन्स के खर्चे में से इधर ४, ५ वर्षों के अन्दर लगभग ३०० मील सड़क को तारकोल की सड़क बना दी। एक सड़क जिसका मुझे स्वयं भी अनुमान है लखनऊ-इलाहाबाद जाती है जिस पर पहले चलने का मौका मिला था, उस सड़क की हालत ४,५ वर्षों में एकदम बदल गई और उसके ऊपर सरकार को और अन्य स्थानों से कोई खर्च नहीं करना पड़ा, केवल मेन्टेनेन्स में से वह सड़क बना दी। इसी प्रकार प्रान्त के अन्दर ऐसी कई सड़कें हैं जिनका नाम किताब के अन्दर है और जिनको तारकोल की सड़क बना दिया गया। हमारे प्रान्त में २० पुल बन चुके हैं और २९ पुलों पर काम लगा हुआ है और इस वर्ष में २९ पुल और बनाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र नारायणदत्त जी तिवारी भले ही शिकायत करेंगे कि साहब कोई सड़क नहीं बनी, लेकिन मैं उन्हें पहले से क्या बता सकूंगा। ढाई करोड़ रुपया जो केन्द्र से मिला हुआ है उसमें से १ करोड़ ६० लाख रुपया केवल पहाड़ों में सड़क के बनाने में लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहाड़ों के जीवन से जो परिचित हैं, यह ठीक है अपनी जगह पर कि सड़कों का होना बहुत जरूरी है वहां पर और वहां भी काफी इस प्रकार खर्च किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी निर्माण के कार्य सारे प्रान्त भर में हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बनारस के गंगा घाटों के ऊपर ३४ लाख रुपया इस साल के बजट में रखा गया है, वहां पर घाटों के बनाने की आवश्यकता से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। काशी से हमारा सांस्कृतिक सम्बन्ध आज से नहीं सदियों से है और जो काशी नगरी की शोभा घाटों से थी, जो उससे रक्षा हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुये इस विभाग ने जो ध्यान उधर दिया इससे इस प्रान्त की जनता इस सरकार की आभारी है। पूरे कार्यों का विवरण अगर उठा करके देखा जाय तो चारों तरफ अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन इस पुस्तिका के पढ़ने के बाद और इसकी सुन्दर तस्वीरों को देखने के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस पुस्तिका के लेखक ने एक बड़ी भूल की है। यह वह कि एक सड़क की तस्वीर देना भूल गया, अब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि उस सड़क की तस्वीर इसमें आ जाती, आज फोटोग्राफी के जमाने में जब कि चित्रकला बहुत बढ़ गई है तो विभाग के कार्यों का पूरा चित्र आज सदन के सम्मुख आ जाता। एक सड़क हमारे जिले में है जेठवारा-लालगोपाल गंज सड़क, मैं आपके द्वारा श्रीमन्, मंत्री जी से और उनके विभाग से प्रार्थना करूंगा कि वे अगर कर सकें तो यू० एन० ओ० के किसी प्रतिनिधि को निमंत्रण भेज दें और वह आ करके इस सड़क का निरीक्षण कर ले और जब उसकी मोटर गाड़ी सड़क के तीन फीट, चार फीट के गड्ढे में गिरेगी तो उसे भारत के पतन और उत्थान का नक्शा नजर आ जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सड़क जिस बोर्ड के हाथ में हो, लेकिन इधर ३, ४ वर्षों से सरकार बनाने का विचार कागज पर कर रही है और वह कागज की रफ्तार प्रतिवर्ष कुछ आगे जाती है, फिर पीछे लौट जाया करती है और कितनी दूर आगे जाती है पता नहीं चलता ? फिर बीच में रस्सी कौन काट देता है यह भी नहीं पता चल पाया.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आपका तीर ठीक स्थान पर लग नहीं रहा है, आप कागज पर ही वार कर रहे हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं चाहता यह था कि कोई एक इंटरनेशनल व्यक्ति जा कर निरीक्षण करता तो बहुत से दृश्य देखने को मिलते। यह सड़क ऐसे एरिया से जाती है जहां अन्न का उत्पादन है और साथ ही साथ बस्ती बड़ी घनी है। लेकिन लोगों को कोई रोजगार नहीं है और न इसके न बनने के कारण ही ज्ञात हैं। हालत यह है कि वहां चोर डाकुओं का भी काफी आतंक है। तो उस आतंक में जब पुलिस वाले मोटर लेकर दौड़ते हैं तो उनकी मोटर तो उलट जाती है और डाकू महाशय हंसते हुये चले जाते हैं। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जरा जो ये सड़कें या और निर्माण कार्य हों, तो उसमें कुछ जिलों का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरब से जो स्कीम शुरू होती है वह जौनपुर में खत्म हो जाती है और पश्चिम से जो स्कीम चलती है व फर्रुखाबाद तक आकर खत्म हो जाती है। केन्द्रीय जिले जो हैं, वह बहुत ही इग्नोर किये जा रहे हैं इस लिये आपके द्वारा प्रार्थना यह है कि सरकार को केवल पूरब और पश्चिम के ही दृष्टिकोण से अब इस प्रान्त का निर्माण नहीं करना चाहिए बल्कि उन जिलों का भी ध्यान रखना चाहिए जो कि न पूरब में हैं, न पश्चिम में हैं, जो न केवल रोटी खाते हैं न केवल चावल खाते हैं। तो मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि इस जिले के लिये भी विशेष ध्यान रखा जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग को न केवल इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष अपने बजट में काफी नये कामों को, काफी अच्छे कामों को लिया है, न केवल इस लिये उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कार्य की प्रगति को जितना हो सका निरन्तर बढ़ाया बल्कि श्रीमन्, इसलिये भी मैं मुबारकवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को इस बात का गर्व है कि हमारे प्रान्त में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना व्यय का मुकाबिला देश के किसी भी दूसरे प्रदेश के साथ किया जा सकता है और मुझे इस बात की खुशी है कि स्थापना व्यय के जैसे आंकड़े माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं वह यह सिद्ध करते हैं कि हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में जो कुछ भी भ्रान्तियां, जो कुछ भी बातें, आम किम्वदन्तियां, हमारे प्रदेश में या देश में प्रसारित हों, वह हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोग अपने इस कार्य में पूर्ण कुशलता के साथ कार्य सम्पन्न करने में दत्तचित हैं। श्रीमन्, अभी जो कटौती का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में हमारे समाजवादी मित्र की ओर से प्रस्तुत किया गया उसके सम्बन्ध में तो मुझे इतना ही कहना चाहिए कि उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी से वह मांगें की जो कि उनके मन्त्रालय से सीधे-सीधे सम्बन्ध नहीं रखतीं। अस्पताल के चारों तरफ बाउन्ड्री होनी चाहिए, यह मेडिकल हेल्थ विभाग देखे, वह मांग करे,

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

उसके मंत्री और केबिनेट और यह हाउस उसे मंजूर करें, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री बनवा देंगे। लेकिन बिना मंजूरी के माननीय मंत्री जी न दीवार खिंचवा सकते हैं, न तार लगा सकते हैं, तो यह तो विभागीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की तरफ भिन्न-भिन्न विभागों के मन्त्री महोदयों का ध्यान हमारे मित्र को आकर्षित करना चाहिए था। साथ ही श्रीमन्, उन्होंने कुछ दो चार बातें इस संबंध में कहीं कि यह जो संचित धनराशि चीफ इंजीनियर साहब को दे दी गई है यह बहुत गलत है और कुछ वजह भी बतलाये। वह वजह कहां तक ठीक थे या गलत थे, यह तो यह भवन और आप खुद निर्णय कर सकते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मंत्री जी को और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अपने उच्च अधिकारियों को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो संचित निधि उनके पास थी, वह जिन कार्यों के ऊपर खर्च की गई, और की जाने वाली है वह सब कार्य हमारे प्रदेश के अन्दर मकान, सड़क बनाने की व्यवस्था (technique), उसके ढंग की खोज, उनके सुधार के सम्बन्ध में खोज और इन सारे बुनियादी कामों के साथ सम्बन्धित हैं और निश्चय विसकोई एक पैसे का भी खर्च जब तक ऐसा न बताया जाय कि उसका दुरुपयोग हुआ तब ही उसको केवल इसलिये चैलेंज करना कि वह संचित निधि के रूप में उनको दी जायगी, उ तकभाग के साथ, उस आदमी के साथ केवल अन्याय मात्र है।

मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की निधियां सभी सार्वजनिक निर्माण विभागों में, सभी अध्यक्षों के पास करीब-करीब सभी प्रदेशों में हुआ करती हैं ताकि वह अपने सभी खोज के कार्यों को जो उन्हें समयानुकूल करने पड़ें, भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में, अपनी योजनाओं के प्रसार में, खोज में, उनकी तरक्की के सम्बन्ध में, कर सकें। श्रीमन्, हमारे मित्रों ने सड़क और दूसरी-दूसरी चीजों की ओर चारों ओर से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाने की बात की और करेंगे। मैं तो सिर्फ अपने मित्रों का ध्यान दो चार बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में, अगर सारे हिन्दुस्तान को देखा जाय तो आप देखेंगे कि हमारे यहां सड़क बहुत कम है। दुनिया के किसी भी प्रगतिशील कहे जाने वाले देश के मुकाबिले में और उस पर उत्तर प्रदेश का भी वह स्थान सन् १९४७ में नहीं था, लेकिन सन् १९४७ और १९५४ के बीच में जो हमने सड़कों के सम्बन्ध में यहां प्रगति की उसमें हम और भी अधिक सफलता प्राप्त किये होते यदि हमारे सारे ध्यान का खिंचाव सिंचाई योजना की ओर न लगता। उसकी वजह से रामनरेश जी और दूसरे मित्रों को शिकायत हो सकती है। अपने जिले में भी मैं चाहता हूं कि बहुत काम हो, तो उसी कारण से यह काम रुका रहा। अब आशा है कि फिर पुनः सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम पूरे वेग से आरम्भ होगा और इस विभाग के पास वह धन हो सकेगा जिससे वह सारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा सकें।

मैं सिर्फ दो बातें और आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी के विभाग को इस बात के लिये भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनके सचिवालय की ओर से जो स्कीम जन सम्पर्क द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निश्चित करने के सम्बन्ध में हर जिले के जन-प्रतिनिधियों से छानबीन की जा रही है वह अपना मुकाबिला शायद कम रखती है। हमें आशा है कि इस प्रकार हर जिले में जाने से, हर जिले की स्कीम के देखने से हमारे प्रदेश की द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में जनता का मत और जनता के प्रतिनिधियों की राय सरकार के सामने पूर्णरूपेण रह सकेगी। मैं अपनी ओर से इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष की मंजूरी के फलस्वरूप पिछले दो साल के मेरे अथक परिश्रम व निवेदनों के बाद मनौरी, सराय अकिल की सड़क भी बन जायगी इसके लिए १,५०,००० रु० सरकार ने मंजूर किया है। मुझे आशा है कि यह रुपया इस साल में खर्च हो सकेगा और यदि और धन की आवश्यकता पड़ी तो माननीय मंत्री जी सप्लीमेंटरी द्वारा उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान पेश हुआ है, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि हमारे प्रदेश में सड़क का काम बहुत बढ़ा है और कहीं-कहीं तो अच्छी कोलतार की सड़क भी बन गयी है। लेकिन एक बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जिन इलाकों में सड़क नहीं है और वहां बननी चाहिये थीं, वहां न बनाकर उसी इलाके में ज्यादातर बनाने की कोशिश की गयी जहां पहले से सड़कें थीं। जिस इलाके या क्षेत्र में दूसरे डेवलपमेंट के कार्य नहीं हुए, जहां कि सिंचाई का काम नहीं हुआ, अगर उस क्षेत्र में सड़क का काम होता तो वहां की जनता सोचती कि यहां भी कुछ काम हुआ। मैं आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में सिंचाई का काम भी बहुत कम हुआ है। वहां कोआपरेटिव सोसाइटी का काम, टेस्ट वर्क का काम भी कम हुआ है और वहां सूखा भी पड़ा। साथ ही वहां सड़क न बनने की वजह से सरकारी कर्मचारी उस तरफ जाते ही नहीं और हमारे माननीय मंत्री लोगों का जो प्रोग्राम बनता है वह सड़क न होने के कारण से वह बीच का जो पिछड़ा हुआ इलाका है वहां का नहीं बनता और मंत्री जी वहां नहीं जा पाते। इसलिए यह आवश्यक था कि वहां सड़क बनती ताकि वहां की जनता देखती और कहती कि हमारे इस क्षेत्र में भी कुछ काम हो रहा है। माननीय सिंचाई मंत्री फूलपुर तहसील के बरदा के पास गये हैं, उस इलाके से १०-५ मील और आगे जाते तो आपको पता चलता। फूलपुर तहसील ५० मील लम्बी हं। बरदा से दीदारगंज को जो सड़क गयी है इस सड़क को भी पक्की बनाने की आवश्यकता है और सरकारी कर्मचारी वहां जा सकें और वहां पर भी कुछ काम अन्य विभाग के लोग भी कर सकें तो यह सड़क बनाई जानी चाहिये थी। वर्धा एक थाना है, बीच में दीदारगंज थाना पड़ता है वहां से होते हुए दीदारगंज रोड स्टेशन पड़ता है, इस प्रकार से दो थाने पड़ते हैं और तीन हाई स्कूल हैं लेकिन सड़क नहीं है। दूसरी तरफ माहुल से थाना पवई के लिये सड़क नहीं गई है। इस इलाके में इसी वजह से ज्यादा चोरी और डकैतियां होती हैं कि सरकारी अधिकारी वहां जा नहीं पाते हैं और अंधेरा रहता है। इस तरफ भी माहुल से सात मील लम्बी सड़क बना दी जाय तो यह इलाका भी डेवलप हो सकता है और लोगों का ध्यान इधर जा सकता है। एक सड़क है अहरोला से कप्तानगंज तक जो पहले पी० डब्लू० डी० ने ले ली थी लेकिन वह फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस सड़क के बनने की अत्यन्त आवश्यकता है और मेरा आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यहां पर सिंचाई का काम बहुत कम हुआ है और दूसरे काम भी नहीं हुये हैं इसलिये अगर सड़क यहां पर बना दी जाय तो यहां की जनता को सन्तोष होगा।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, जितने भी विकास के कार्य हैं और किसी देश की उन्नति होती है तो वह बहुत कुछ पी० डब्लू० डी० विभाग पर निर्भर है। यही नहीं कि पी० डब्लू० डी० में सड़कें ही बनती हैं बल्कि जहां स्कूल खुलते हैं, औषधालय खुलते हैं और ऐनीमल हस्बेंडरी की तरफ से पशु चिकित्सालय बनते हैं तो इन सब के लिये, भवनों के लिये बजट इसी अनुदान में रखा जाता है। अगर पी० डब्लू० डी० के द्वारा यह काम नहीं हो सकता है तो चाहे शिक्षा की प्रगति लीजिये, चाहे स्वास्थ्य की प्रगति लीजिये और चाहे ऐनीमल हस्बेंडरी की प्रगति लीजिये, किसी में भी उन्नति नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र माननीय बहुगुणा जी ने ठीक ही कहा है कि माननीय मंत्री जी के अधिकार की बात नहीं है कि वह हेरफेर करें बल्कि अन्य विभागों के मंत्री जी से कहा जाय तथा अन्य विभागों को बजट देना चाहिये। यहां तक तो मैं उनसे

[श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट]

सहमत हूं लेकिन मुझे शिकायत इस बात की है कि शिक्षा विभाग की ओर से उनको बजट दिया गया इमारत बनाने के लिये और स्वास्थ्य विभाग से तथा मेडिकल विभाग से औषधालय का भवन बनाने के लिये रुपया हर साल मंजूर होता चला जाता है और इसी प्रकार से भवन बनाने के लिये हर विभाग से बजट दिया गया है। लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० विभाग से भवन नहीं बनाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुभव है कि प्रतिवर्ष हमारे जिले में इंडस्ट्री के नाम से या मेडिकल विभाग के नाम से औषधालय के भवन के लिये तथा पशु चिकित्सालय के भवन के नाम से बजट में आंकड़े आते हैं लेकिन अभी तक कोई भी इमारत पी० डब्लू० डी० विभाग द्वारा नहीं बनाई गई है। सड़कों के सम्बन्ध में जहां तक हमारे जिले की बात है हमें यही उत्तर मिलता है कि आपका जिला प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं आता है, क्योंकि यह मर्ज्ड स्टेट है। हमारी स्टेट १९४९ में मर्ज हुई थी लेकिन स्थान नहीं रखा गया है पंचवर्षीय योजना में कोई उस समय से अब तक, सिर्फ वाइडनिंग पर ही खर्चा किया जा रहा है या गैंग द्वारा सफाई की जाती है और एक इंच भी नई सड़क नहीं बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, जब लोग पी० डब्लू० डी० की तरफ से नाउम्मीद हो गये तो इस साल लोगों ने स्वयं अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर ४० मील लम्बी सड़क बनाई है। यह सड़क ऐसी है जिसको माननीय अग्रवाल जी डिप्टी सेक्रेटरी ने आकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये छांटी है और प्लानिंग कमेटी ने भी अपनी अनुमति दे दी है। लेकिन उसके लिये कब तक इंतजार करें? लोगों ने चारों तरफ सड़कों का बनाना शुरू कर दिया है। चम्बा-मसूरी सड़क दस मील तक, लंबगांव मइड़ियाना १२ मील, धरासू उत्तर काशी सड़क ९ मील तक और घांटी धंसाली ५ मील, इस प्रकार करीब ४० मील तक सड़कें बनायी जा रही हैं। मुझे माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करनी है कि यह जो सड़कें लोगों ने बना दी हैं उनको आप अपने हाथ में ले लें। मोटर रोड्स के तौर पर अपने हाथ में लेकर उनका इन्तजाम करें। अगर पी० डब्ल्यू० डी० अपने हाथ में नहीं लेता है या मोटर वेहिकिल्स प्लाई करने का सर्टिफिकेट नहीं देता है तो यह सड़कें बरसात में खत्म हो जायंगी जिससे लोगों का श्रमदान तथा सरकार की सहायता नष्ट हो जायगी। इस सिलसिले में मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। आपके विभाग में मैं करप्शन की बात नहीं कहना चाहता। करप्शन हर विभाग में है लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि आपका विभाग प्लानिंग विभाग से सहयोग नहीं करता है और प्लानिंग और पी० डब्ल्यू० डी० विभाग की राइवलरी की वजह से पब्लिक को सफर करना पड़ता है। मंत्री जी ने अभी हाल ही में इस विभाग का चार्ज लिया है वह इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे।

(श्री अध्यक्ष ने श्री रामेश्वर लाल का नाम पुकारा)

श्री रामेश्वर लाल--मंत्री जी अगर कुछ बोल लेते तो मैं ...

श्री अध्यक्ष-- आखीर में तो उनको बोलना ही पड़ेगा। इस अनुदान के लिये समय केवल सवा घंटा मुकर्रर किया गया है।

श्री रामेश्वर लाल--श्रीमन्, मैंने अपने कटमोशन से सम्बन्धित बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने। श्री रामनरेश जी को मैं विशेषतया धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मेरी बातों को घुमा फिरा कर अनुमोदित किया और मैं माननीय मंत्री जी से अवश्य इस अवसर पर प्रार्थना करूंगा कि वह माननीय रामनरेश जी की बातों की तरफ पूर्व और पश्चिम के झगड़े को निबटा कर जो मध्य का झगड़ा पैदा करने की चेष्टा की है, उसकी ओर ध्यान दे कर ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न होने दें।

श्री बहुगुणा जी को भी मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि अप्रकारान्तर से भी हमारी बातों का उन्होंने समर्थन किया है। श्रीमन्, मैं इन सब चीजों

की तरफ न जाकर कुछ और निवेदन करना मुनासिब समझता हूं। देवरिया में खजांची के मकान में बिजली देने के लिए २६ सौ रुपये की धनराशि इस अनुदान में है। मैं नहीं कहता कि वहां बिजली नहीं लगनी चाहिए लेकिन मैं कहता हूं कि उससे भी अधिक सार्वजनिक महत्व के स्थान ऐसे हैं जहां पर बिजली लगनी चाहिए। जैसे वहां की कोतवाली है, वहां के केन डेवलपमेंट और कोआपरेटिव के दफ्तर हैं। बहुत से सार्वजनिक स्थान ऐसे हैं, लाइब्रेरी है, श्रीमन्, ऐसे स्थानों पर बिजली की आवश्यकता पहले है, उसके बाद कैशियर के यहां और किसी और के यहां लगनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा जिसके लिए मैंने जो कि पहले माननीय मंत्री जी थे उनको लिखा था। इत्तफाक से देवरिया क्षेत्र है मेरा और देवरिया में कसिया और बरहज की तरफ कुछ सड़कें जाती हैं लेकिन देवरिया का पूर्वी इलाका, जो बिहार की सीमा तक सात से दस मील तक घुसता है और छोटी गंडक नदी के बीच से जाता है वहां कोई सड़क नहीं है। एक बरियारपुर-देवरिया सड़क है उसके लिए सालों से रिप्रजेन्टेशन हुआ। माननीय राममूर्ति जी वहां गये थे। वहां प्रस्ताव पास हुआ और जब नैनीताल में, श्रीमन्, पारसाल बैठक हुई तो मैंने भी वहां कमेटी का एक सदस्य होने के नाते उसमें भाग लिया था। पहले जो माननीय मंत्री जी थे उनका और इंजीनियर महोदय का भी ध्यान आकर्षित किया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैं अपोजीशन से सम्बन्धित हूं। मेरी बातें, मैं समझता हूं कि कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि यह पक्षपात की बात नहीं होगी। कम से कम सड़क की व्यवस्था उस पूर्वी इलाके में हो जावेगी। उधर के रहने वाले जितने लोग भी खुराफात करते हैं वह सब सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और छोटे कार्यकर्ताओं के सिर पर मढ़ दी जाती है चूंकि अपने को वे लोग दूर रखे रहते हैं। यह सब वहां पर होता है जहां पर सड़क नहीं है। माननीय सिंचाई मंत्री से भी हमने निवेदन किया कि वहां पर कोई नलकूप नहीं है, क्योंकि नदी के उस पार लोग इतने गरीब हैं और वह इलाका इतना गरीब है कि जहां पर छोटे-छोटे लोग खेतिहर मजदूर रहते हैं वहां पर सड़क जरूर होनी चाहिये और सड़क की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर वहां पर सड़क की व्यवस्था हो जाय तो सरकारी कर्मचारी बहुत से वहां आने जाने लगें और हमारे कार्यकर्ताओं को भी आसानी हो जाय। लेकिन अब तो यह होता है कि और अधिक क्या कहूं मुझे डर लगता है, कि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो बैठे-बैठे उन चीजों को बढ़ावा दिया करते हैं और झूठे मुकदमों को बढ़ावा वह दिया करते हैं। इसलिये इस बरियारपुर के लिये सड़क की नितान्त आवश्यकता है। भीखनपुरा वाली सड़क के लिये भी ध्यान दिया जाय। हम समझते थे कि वह सड़क बनायी जायगी और डाक्टर सैयद की सहायता से बिहार का सम्बन्ध हो जायगा और लोगों की मुसीबत दूर हो जायगी और वह कई मील बन भी चुकी है लेकिन और आगे उसके बनने की आवश्यकता है। नदी पर पुल भी बनना चाहिये और बिहार वाली सड़क से उसको मिला देना चाहिये। सरकार का यह मन्शा जरूर है लेकिन वह जल्दी हो जाय तो अच्छा है। इन्टर प्राविन्शियल सड़क अगर वह बढ़ जाय तो यह बहुत सुविधाजनक हो जायगी। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब तो आप इस विभाग में आ गये हैं और मेरा यह निश्चित विश्वास है कि आपके रहते हुये कम से कम पक्षपात तो नहीं होगा और साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि तत्परता, सहानुभूति और प्रेरणा लेकर इस काम को किया जायगा। मुझे आशा है कि सब को इस सड़क के निर्माण से न्याय प्राप्त हो सकेगा यही मेरा निवेदन है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--श्रीमन्, बहुत सी बातें कही गयीं, उनमें बहुत कम से मेरे विभाग का ताल्लुक है। मेरे विभाग का काम निर्माण करना होता है और

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

अगर किसी खास जगह अस्पताल बनाने या कोई स्कूल बनाने का जो काम है वह उन विभागों से ही ताल्लुक रखता है जिन विभागों का वह काम होता है और यह बातें उन विभागों के सामने ही आनी चाहिये। मेरे विभाग का काम केवल इतना है कि वह बिल्डिंग बनावे। वैसे सब विभाग अपना-अपना काम अलग-अलग देखते हैं। आप उन सब बातों को इस ग्रान्ट के अन्दर नहीं ला सकते हैं। वैसे भी एक विभाग दूसरे विभाग की आवश्यकता को महसूस नहीं कर सकता है। मैं उन दूसरी बातों का जवाब नहीं दूंगा।

एक बात कही गयी कि कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो कि हमारे पी० डब्लू० डी० के वर्कर हैं उनके रिश्तेदार हैं या साथी हैं। ऐसा हो सकता है और मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के पास जो साधन हैं उनसे आसानी से उन चीजों को रोका नहीं जा सकता है। हमारे यहां कुछ रूल्स हैं। अगर उन रूल्स के मुताबिक हम यह करना चाहें और इस बात का निश्चय भी हमको हो जाय कि फलां आदमी बड़ी ईमानदारी के साथ काम करेगा और फलां संस्था बहुत ईमानदारी के साथ काम करेगी तो हम नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते हैं और अगर वैसा हो भी जाय तो शायद इस प्रकार से करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि जहां सही निश्चय हो सकता है वहां गलत दुरुपयोग भी हो सकता है। माननीय सदस्य जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं और जो एक डेढ़ लाख की रकम के सुरक्षित रखने पर भी आपत्ति कर सकते हैं वह बड़े-बड़े ठेके हम दिलाने लगें तो और भी आपत्ति करेंगे। हमें टेंडर लेना पड़ता है और उसके बाद उसको खोलना पड़ता है। उसके अनुसार जो लोग आ जाते हैं उनको ठेका देना पड़ता है। उनमें कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि शायद वे आपस में कुछ कर लेते हों, ऐसा हो सकता है लेकिन हम उसको रोक नहीं पाते हैं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, एक आपत्ति जिसकी बाबत मैंने थोड़ा सा निवेदन कर भी दिया था वह सुरक्षित धन की बाबत है जो चीफ इंजीनियर के अधीन किया जाता है। यह बिलकुल एक टेक्निकल चीज है और इसका एक पैसा भी चीफ इंजीनियर की इच्छा से खर्च नहीं होता है बल्कि गवर्नर साहब का स्टाफ और उनके इंजीनियर वगैरह जो कहते हैं उसी के मुताबिक हम खर्च करते हैं। इसमें हमारा कोई अपना डिस्क्रिशन नहीं है। शुगर फैक्टरीज की बाबत भी कहा गया कि वहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया है। मैं स्वयं जहां तक इस भावना का ताल्लुक है कि सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा ऐसी जगह खर्च होना चाहिये जो सब से गरीब स्थान हो और सब से गरीब आदमी हों, उनके हित में हो, उस दृष्टि से इस से सिम्पैथी रखता हूं। लेकिन शुगर इंडस्ट्रीज से काफी पैसा सरकार को मिलता है और उन लोगों का तकाजा रहता है और खासतौर पर शुगर सेस का एक बड़ा भारी हिस्सा वे चाहते हैं गन्ना डेवलपमेंट के ऊपर इसको खर्च करना चाहिये। हमने कतई इसको माना तो नहीं है कि सारा पैसा उसी में खर्च हो और दूसरे जन निर्माण के कार्यों में खर्च न हो लेकिन हमें काफी ख्याल रखना पड़ता है। मुझे यह मालूम हुआ कि यह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, हम अपने कोष से नहीं देते हैं।

श्री गेंदा सिंह—आपको मान लेना चाहिये कि सारा रुपया केन डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्च हो।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक भाई ने चावल और रोटी का सवाल उठाया कि कहीं रोटी खाने को मिलती है तो कहीं चावल खाने को मिलता है लेकिन कितने ऐसे भी हैं जिनको

चावल और रोटी दोनों नसीब हैं उनका ख्याल रखना तो जरूरी नहीं होना चाहिये पर उनका ख्याल तो रखना ही पड़ता है और लखनऊ तथा कानपुर सेंट्रल प्लेस हैं इसलिये काफी तवज्जह इधर रहती है। इसके सिवा दूसरे मित्रों ने भी तमाम किस्म की जो शिकायतें कीं उस विषय में मेरा निवेदन है कि हमारे स्टेट में जो रोड्स हैं, वह इस कदर कम हैं कि शिकायत का होना बिलकुल स्वाभाविक है। दूसरे देशों के मुकाबिले में हमारे यहां प्वाइंट १ से भी कम १/९ रोड डेवलपमेंट पर स्क्वायर माइल है। जब कि दूसरे देशों में दो मील, डेढ़ मील, मील या कम से कम आधी मील सड़क जरूर बन जाती है। हमारे यहां कच्ची सड़कें जिन पर बरसात में काम नहीं होता है अगर उनको हम छोड़ दें तो जो पक्की सड़कें हैं उनका प्रोपोशन एक प्रति मील भी मुश्किल से हैं १/९ के करीब है। तो यह शिकायतें जो हैं वे तो होनी ही चाहिये। उसमें से यह शिकायत न हो इसके लिये हमारी कोशिश यह है कि अगली पंचवर्षीय प्वाइंट एक योजना में करीब २९ करोड़ रुपया इसके लिये रखा जाय। और इस में २,००० मील नई मेटिल्ड सड़कें बनेंगी और १४ सौ मील जो मौजूदा सड़कें हैं उनका पुनर्निर्माण होगा, और एक हजार मील जो माडर्नाइज्ड रोड्स हैं उन पर ६ करोड़ लगेगा और ३ करोड़ रुपया दूसरे मिसलेनियस कामों के लिये रखा गया है। यह जो पंचवर्षीय नई योजना है अगर वह बनेगी और उसकी धनराशि मिलती चलेगी तो हमें विश्वास है कि बहुत दर्जे तक, जो शिकायतें सदस्यों की ओर से आती रहती हैं उनको दूर करने का मौका मिलेगा और वह कम हो जायंगी और एक तरह से जनता को राहत मिल जायगी। लेकिन सवाल यह है कि बगैर पैसे के कार्य कोई होता नहीं और कोई यह नहीं बता सका कि बिना पैसे के किस तरह से काम हो जाय। श्रमदान से कुछ काम हो सकता है उसके लिये कोशिश हो रही है और उसके लिये प्लानिंग कमेटी को धन सुरक्षित दिया गया है और अच्छा है, जो कुछ काम श्रमदान से हो सके वह हो। लेकिन मुझे निश्चय है कि केवल श्रमदान से प्रश्न हल नहीं हो सकता, पैसे का इंतजाम करना होगा, या तो हिम्मत से काम लें और पैसा प्राप्त करने के साधन ढूंढ़ें लेकिन उसके लिये भी कोई तैयार होता नहीं मालूम होता। तो सवाल खर्च का है, वैसे सुझाव देने का आपको अधिकार है उससे मैं वंचित नहीं करना चाहता। इसलिये बिना पैसे का प्रबन्ध बताये हुए सिर्फ खर्च की मदों के सुझाव देना ज्यादा हितकर न होगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट ने बहुत आक्षेप किया लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि उनके क्षेत्र के लिये पहले ही से जब से स्टेट मर्ज हुई है, काफी धनराशि खर्च होती रही है और हो रही है। ग्रान्ट नम्बर ३१ में उनके क्षेत्र के लिए १३ लाख रुपये से अधिक धन रखा गया है, पारसाल भी काफी पैसा खर्च किया जा चुका है, अलखनंदा का पुल वहीं बना है, कीर्त्तिनगर से नरेन्द्र नगर तक की सड़क बनी है, गंगोत्तरी और जमनोत्तरी की सड़कों को हाथ में लिया है, जगह-जगह पर बिलडिंग्ज का भी सुधार हुआ है और जिस के फोटो भी इस पत्रिका में दिये हुये हैं तो कोशिश तो सब जगह की जाती है। लेकिन जैसा कि पहले मैं निवेदन कर चुका हूं कि हम यह नहीं कहते कि जो कुछ हमने किया है या जो धनराशि हमने अबकी बार रखी है उससे हमें या माननीय सदस्यों को संतोष होता है, शिकायतें तो रहेंगी। उनके न रहने का एक ही उपाय हो सकता है कि कहीं से पैसा प्राप्त किया जाय, पैसे का प्रबन्ध हो जाय और फिर हम कहीं अड़चन डालें तो हमें दोषी ठहराया जा सकता है। मैं समझता हूं इससे अधिक अब मुझे न कहना चाहिये। मुझे आशा है कि सदन इस ग्रान्ट को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपए की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत) के अन्तगत ४,०८,२२,५०० रुपए की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय, की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—यातायात के साधनों का सुधार, (लेखा शीषक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के लिये ५७,४५,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

यह सारी मांगें बहुत छोटी-छोटी मांगें हैं । इसमें एक खास चीज की तरफ दृष्टि दिलाऊंगा । ४० लाख रुपये की मांग एक इसमें है जो माडर्नाइजेशन के सम्बन्ध में यहां से देनी पड़ी । पहले तो हम मेंटिनेंस का जो खर्चा होता था उससे निकाल लेते थे लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से हम रेवेन्यू से नहीं ले सके । इसलिये यहां से लिया जा रहा है, बाकी छोटी-छोटी मदें हैं । मुझे आशा है कि इस मांग को भी सदन स्वीकार करेगा ।

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं माननीय मंत्री जी ने इस बात को कहा कि इस ५७ लाख कुछ हजार की मांग में से ४० लाख रुपये की एक मांग है और बाकी १७ लाख की मांगे छोटी-छोटी हैं । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि ४० लाख की रकम जो है वह उन कामों के लिये मंजूर की गई है जिनको कि हम अनुपयोगी नहीं कह सकते । मुनासिब है उनको बनना ही चाहिये लेकिन मैं उनका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि जिन सड़कों के लिये इस विभाग ने पहले अपने हाथ में काम लिया था उन सड़कों को पूरा करने के पहले ही उसने नई सड़कों को लेना आरम्भ कर दिया । ज्यादा बेहतर होता कि वह काम जो पहले लिये गये थे उनको पहले पूरा किया जाता । मैं ज्यादा जानकारी सारे सूबे की सड़कों के बारे में तो नहीं रखता लेकिन कुछ के बारे में जानता हूं कि वह अभी पूरी नहीं की गईं, उन पर काम पूरा नहीं हुआ, उस पर सार्वजनिक धन व्यय किया गया लेकिन वह अधूरा रह गया । जैसे कि गोरखपुर और देवरिया जिले की सड़कों में वह सड़कें केन्द्रीय आय से बनाने के लिये योजना थी । सिसवा बाजार से हाटा की सड़क, फरेंदा से कप्तानगंज होते हुये तमकुही तक की सड़क और गोरखपुर से देवरिया होते हुये सलेमपुर और नदी पार करके बलिया की तरफ जो सड़क जाती है । वह सड़कें कुछ तैयार हैं, कुछ नहीं तैयार हैं । इन सड़कों पर काफी धन खर्च हुआ है और इसी प्रकार दूसरे जिलों में भी ऐसी सड़कें होंगी कि जिन सड़कों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है और उनका काम कम्प्लीट नहीं हो पाया है और ऐसा अन्देशा है कि जिन सड़कों पर कुछ काम हो चुका है और अब काम नहीं हो रहा है और जिन पर अब तक जो धन खर्च हो चुका है वह सब खराब हो गया है । तो पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सड़कें हैं और दूसरी बात यह है कि जो धन है वह केन्द्र से मिलता है और कहा जाता है कि मोटर स्प्रिट की एक्साइज डियूटी से जो आमदनी होती है उसका कुछ भाग केन्द्रीय सरकार अपने पास रख लेती है, और बाकी पेट्रोल की बिक्री के हिसाब से सूबों में बटवारा कर देती है और उसी के मुताबिक उसके बटवारे पर हमको धन मिलता है । अब इसमें बहुत झंझट नहीं है । हमारा पेट्रोल जितना बिकता है उसके हिसाब से मिल जाता होगा लेकिन शायद २९ या २० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार उसमें से रख लेती है ।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—२० प्रतिशत ।

श्री गेंदासिंह—२० प्रतिशत, जैसा कि माननीय मंत्रीजी बतला रहे हैं, सरकार ले लेती है । सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार का बहुत अच्छा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रिश्ता है, उस रिश्ते से कुछ लाभ उठायें और यह २० प्रतिशत जो केन्द्रीय सरकार ले लेती है उसमें से भी कुछ रकम अपने सूबे के लिये मांगी जाय ताकि हमारी सड़कें जो आज बुरी अवस्था में पड़ी हुई हैं उन सड़कों की मरम्मत और पुल बनाने का काम जल्दी हो सके। गोरखपुर में राप्ती के पुल की योजना है। शायद यह बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं सरकार को बधाई देता हूं। बधाई तब ज्यादा दूंगा जब वह राप्ती का पुल जल्दी से जल्दी तैयार करा दिया जाय। कप्तानगंज के जिस पुल के सम्बन्ध में जिक्र करते हुये राजस्व मंत्री ने बताया कि वह दुर्भिक्ष वाली स्कीम में ले लिया गया है। वर्षों से वह पुल बन रहा है। मैं चाहता हूं कि वह पुल जल्दी से जल्दी बना दिया जाय। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सड़कों के निर्माण के लिये एक योजना होनी चाहिये। मुझे तो ऐसा लगता है कि योजना का अभाव है और सड़कों के बनने में साधारण तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, इस उद्देश्य की दृष्टि में रखना चाहिये कि जो कच्चा माल पैदा होता है गांवों में वह माल आसानी से ऐसी जगहों पर पहुंचाया जा सके जहां पर कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती हो और वहां पर कारखाने उससे इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते हैं। उसके साथ साथ गांवों का सम्बन्ध केन्द्रों से हो जाय जो व्यापारिक केन्द्र हों या जो कारखाने के केन्द्र हों, उन जगहों से उसका सम्बन्ध हो जाय। ऐसी योजना का मैं आभाव पाता हूं। अगर इस तरह की योजना इन सड़कों के बनाने में बनाई जाय तो मेरा ख्याल है कि सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो किसान हैं, जो बहुत ही इंटीरियर में रहते हैं और यातायात के साधन न होने के कारण अपने सामान को बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं, और बीच वाला अधिक लाभ उठाता है। इससे जो दरअस्ल पैदा करने वाले किसान हैं उनको लाभ होगा, उनका शोषण बन्द हो जायगा और सारी जनता को इससे लाभ होगा। योजना के अभाव में सड़कें इस तरह से बना करती हैं, मैं क्षमा चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरी पहुंच हो गई कहीं पर तो मैंने अपने घर की सड़कों को बनाने की कोशिश की तो शायद मेरी सड़कें बन जायं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी माफी चाहूंगा कि किसी खास व्यक्ति के दरवाजे तक सड़क बनाने की चेष्टा की जाती है जैसे कि किसी का नाम रामेश्वर लाल जी ने ले लिया था, उनका नाम मैं नही लूंगा-हालांकि कहा यह गया है कि वह सड़क बिहार को जोड़ देगी। बड़ी खुशी हुई कि छपरा जिला बिहार से जुड़ जायगा लेकिन जब मैंने देखा तो पाया कि कहीं जोड़ने का सवाल नहीं है और एक व्यक्ति के नाम पर सड़क बन रही है। बड़ी अच्छी बात है अगर व्यक्तियों के नाम पर ही सड़कें मिल जायं। यह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर कोई योजना बना ली जाय और योजना के बनाने में लोगों से सलाह ली जाय, माननीय सदस्य जो विधान सभा के हैं उनकी इच्छा भी ले ली जाय और उन सड़कों के बनाने में उनसे भी सलाह ले ली जाय तो बहुत अच्छा होगा। बजट पर तो केवल २,४ मिनट मिलते हैं, इतना कम समय होता है कि हम अपनी बात रख नहीं सकते। तो मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि फार्मल नहीं तो, इन्फार्मल वे में माननीय सदस्यों से मंत्री महोदय स्वयं, अगर उनको फुर्सत न हो तो उनके विभाग वाले सड़कों के बारे में सलाह मश्विरा ले लें और एक खाका तैयार कर लें अगर कोई ऐसा खाका तैयार करा लेंगे तो आगे के काम में मैं समझता हूं कि उन को बड़ी आसानी होगी।

किफायतशारी के बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। आप हम लोगों को गलत् समझने की कोशिश न कीजियेगा जैसा कि कुछ माननीय मंत्री हम लोगों को कहत हैं, हालांकि मैं माननीय शर्मा जी से ऐसी आशा नहीं करता कि वह इस बात की कोशिश करेंगे, कि हम हर आदमी को बिना किसी लिहाज के कि वह ईमानदार है या बेईमान है ऐसा समझते हैं कि वह सरकार का रुपया खाने वाला है। मैं समझता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में ऐसे लोग बहुत हैं कि जिनके ऊपर हमको अपने बराबर और अपने से ज्यादा भी भरोसा है कि वह ईमानदार हैं लेकिन जो एक हिसाब बना हुआ है पुराने जमाने में चीजों की कीमत को तय करने का जो एक ठेकेदारी की प्रथा कायम है और इसके साथ मैं कुछ ऐसी चीज भी कहना चाहता हूं कि जिसके कहने में मैं कुछ शरमाता हूं उनको दूर करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री

[श्री गेंदा सिंह]

महोदय से यह कहना चाहूंगा कि कुछ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अफसर भी इस मामले को चाहते हैं कि किसी तरह से दूर किया जाय, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। वह बात मुझको कहने की वह माफी देगें कि एक परसेंटेज बंधा हुआ है ओवरसियरों और इंजीनियरों का। कई बार मैंने कहा है और आज भी कहता हूं लेकिन उस परसेंटेज के लेने के बाद भी जितना द्रव्य हम देते हैं उस काम के लिये अगर वह सारा खर्च हो जाय उस काम में, तो काम उत्तम हो जायगा, लेकिन परसेंटेज लेने के बाद भी वह काम घटिया किस्म का हो जाता है क्योंकि जब परसेंटेज ओवरसियर और इंजीनयिर ले लेते हैं तो काम की योग्यता की तरफ उनका ध्यान कम जाता है और परसेंटेज की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है। मेरे यह कहने का मतलब नहीं है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ही परसेंटेज की तरफ जाता है, चूंकि इस समय इससे ताल्लुक है इसलिये इस तरफ ध्यान दिला रहा हूं। यह उस तरह से ही लेते हैं जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट तकावी दिलाते समय लोग लेते हैं, उस तरह से नहीं जैसे कि पुलिस में दिया जाता है। इसमें तो ऐसा काम है कि कुछ देना है और कुछ लेना है, दोनों हैं इसलिये यह लोगों को खलता नहीं। पुलिस को मार करके रुपया ले लेना होता है, वह तो फंसा देती है उसमें मिलता नहीं, देना ही पड़ता है और इसलिये खलता है। जहां लेना और देना दोनों होता है वहां कम खलता है। इसलिये अगर इस चीज को रोका जा सके तो अच्छा होगा। मैं इसमें किसका कसूर कहूं? यह कंट्रेक्टर ऐसे होते हैं कि जिनका सम्बन्ध अच्छे से अच्छे आदमियों से होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिसका सम्बन्ध कंटेक्टर से नहीं होता है। तो हमको कोई ऐसी बात सोचनी चाहिये कि जिससे हम ठेकेदारी प्रथा से अपना पिण्ड छुड़ा सकें।

एक बात मैं अन्त में जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़कों को बनाने में आम जनता का सहयोग लेने की चेष्टा की जाय तो धन की बचत हो सकती है। आज श्रमदान के कार्य से यह सिद्ध हो चुका है कि उसमें जनता की रुचि है। जनता की रुचि अपने लिये उपयोगी साधनों को सुलभ करने के लिये है और अगर हम इस बात की कोशिश करें कि वहां पर पुल बनाने या और किसी काम में जो कठिनाई है उसको जनता की मदद से दूर करने की हम चेष्टा करें तो उसमें हमें काफी पैसे की बचत हो सकती है, और इसके लिये एक दो जिले में जहां कि जनता इस तरह के काम के लिये उत्सुक है हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे बलिया को ही लेता हूं वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम श्रमदान में बहुत उत्तम है। अगर उनको इस काम के लिये धन दिया जाय और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा श्रमदान को प्रोत्साहन देने की कोशिश की जाय तो मैं समझता हूं कि एक नयी धारा, एक नया विचार फैल सकता है जिससे कि सार्वजनिक निर्माण की बदनामी भी कम हो सकती है और दूसरों से तुलना की जा सकती है कि दूसरे लोग इससे भी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग का सहयोग, उसका आशीर्वाद उनके लिये जरूरी है, क्योंकि बगैर उनके सहयोग के, सलाह के वह काम ठीक नहीं हो सकता।

अंत में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। इससे उसका कुछ अधिक सम्बन्ध नहीं है लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ शुगर केन के इलाके की तरफ कांक्रीट और सीमेंट की सड़के बन रही हैं। लोगों की इच्छा है और सेस की रकम की बात किसी से छिपी नहीं है। वह करीब ४ या ५ करोड़ की रकम यू० पी० सरकार को मिलती है, लेकिन उन इलाकों में जहां गन्ना की गाड़ियां जाती हैं, उन इलाकों में यह तो बात है कि यात्रा बहुत होती है गाड़ियों की क्योंकि साल भर हजारों गाड़ियां ५–६ मील के अन्दर रोज चलती हैं, तो उन सड़कों की दुर्दशा हो गई। अब उन रास्तों पर इस सेस की रकम से अगर कान्क्रीट की सड़क बनायी जाती है तो उससे बहुत कम लाभ होने वाला है और जो बैलों और आदमियों की दुर्दशा हो रही है वह दुर्दशा होने से बच जायगी।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता की बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों का लक्ष्य बना कर प्रवेश करने वाले व्यक्ति के हाथ में निर्माण विभाग आया। विश्वास होता है कि यह विभाग उनके शासन काल में उनके आदर्श और लक्ष्य के अनुरूप होगा। इन ५, ७ मिनट के अन्दर तो सिवाय इसके कि अपने मतलब की बात की जाय और ज्यादा इस प्रसंग में जाया नहीं जा सकता। माननीय मंत्री महोदय का और उनके सहयोगी आचार्य जी का ध्यान उन्नाव जिले की तरफ ले जाना चाहता हूं। उन्नाव जिले का महत्व आप देखिये कानपुर से लेकर और इलाहाबाद के बीच में कहीं और दूसरा कोई पुल नहीं है जब कि उन्नाव जिले में बक्सर के पास यदि एक पुल ऐसा बन जाय तो फतेहपुर, बांदा और इधर लखनऊ, इन चार जिलों का एक साथ कनटैक्ट हो जाता है और इससे जहां यातायात की सुविधा होती है साथ ही साथ फतेहपुर की मंडी और उन्नाव और लखनऊ वग़ैरह के व्यापार को भी बड़ा लाभ होता है। उन्नाव-इलाहाबाद सड़क को सरकार ने मेटेल्ड रोड बनाने का कार्य शुरू किया। किन्तु इस बार भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कहीं उसका उल्लेख आया है लेकिन कार्य बन्द कर दिया गया। नहीं मालम क्यों, किन कारणों से? तो मैं यह चाहता हूं कि उन्नाव शहर से जो इलाहाबाद रोड है वह २ मील तक तो कोलतार की है, यह समझ में नहीं आया कि यह कैसी प्लानिंग है, ४ मील कंकरीली सड़क और फिर उसके बाद ८ मील कोलतार। तो यह जो बीच में ४ मील है इसको भी पूरा करा देना चाहिये और यह अगर पूरी तारकोल की सड़क हो जाय तो अभी जिस विभाग को आप छोड़ कर आये हैं, ट्रान्सपोर्ट विभाग, उसका भी लाभ हो क्योंकि उस सड़क पर सरकार की रोडवेज चलाने की योजना है।

अन्त में मैं इतना ही कह करके मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जैसे दो सौ मील के ऊपर, जिनको माडरनाइज करने के लिये ४० लाख रुपया रखा गया है, आज माडरनाइज करना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक यह है कि लोगों को चलने का रास्ता दिया जाय। तो इस दृष्टि से जहां पर सड़कें नहीं हैं उन सड़कों की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये। हमारे रामनरेश शुक्ल जी ने अपने प्रतापगढ़ की एक सड़क की बात कही थी। उन्नाव से पुरवा को जाने वाली जो सड़क है यद्यपि वह कंकरीली सड़क है लेकिन गर्भवती स्त्री यदि रोडवेज की बस में बैठकर जाय तो निश्चित है कि बीच में गर्भपात हो जाय और वही पुरवा में हमारे यहां की तहसील का सदर है। पहले यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० में थी अब उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया गया और बोर्डों की हालत जानते ही हैं जिस प्रकार की है। तो मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि उस सड़क को आप फिर पी० डब्ल्यू० डी० में ले लीजिये और बिहार से लेकर बक्सर तक जहां पर कि यातायात भी बहुत अधिक है और उसका धार्मिक महत्व भी है, बक्सर में चन्द्रिका जी का स्थान है जहां लाखों आदमी स्नानार्थ जाते हैं तथा इसके अतिरिक्त उसी बक्सर के दूसरी तरफ बिन्दकी रोड है जहां बड़ी भारी मंडी है, तो अगर बिहार से बक्सर तक १३ मील जो सड़क है, यह अगर पक्की हो जाय तो इससे तीन जिलों का हित होगा, फतेहपुर, उन्नाव और लखनऊ। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जैसा विश्वास प्रकट किया, शर्मा जी के नेतृत्व में यह विभाग व्यवहार कुशल और अधिक जनोपयोगी सिद्ध होगा।

*श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विभागीय नव मंत्री शर्मा जी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस बधाई के साथ, जैसा कि इस भवन की परम्परा है, अपने विचार और स्वार्थ व्यक्त करना भी परम-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुप्तार सिंह]

आवश्यक है। आज, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा, सड़कों का निर्माण हो रहा है, और उन सड़कों के निर्माण में अधिकतर वही सड़कें बनायी जा रही हैं जहां की सड़कों की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी कि दूसरे जगहों की है जहां कि नहीं बन रही हैं। यह मैं मानता हूं कि सड़क की आवश्यकता हर जगह है। मार्ग के लिए जनता चिन्तित है और उसकी जरूरत है, उससे उसका उत्थान होगा, परन्तु यह बात ऐसी है कि जैसे एक आदमी भूखा है और एक आदमी को रोटी में घी चाहिए। यह ठीक है, अलकतरे की सड़कें और सीमेंटेड सड़कें भी बननी चाहिए लेकिन मेरे ख्याल में यह उसी तरह है जैसे कि एक आदमी भूखों मर रहा है, पहले उसको रोटी देनी चाहिए और तब दूसरे को घी देना चाहिये। घी की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि रोटी की आवश्यकता है। एक जगह पर बैकुंठ बना लीजिए एक गांव को और उसके पड़ोस के गांवों को नरक बना दीजिए तो वह बैकुंठ शोभा नहीं देगा, इसी तरह से वह सीमेंटेड रोड शोभा नहीं देगी जब कि आज किसान को अपने घर से अस्पताल तक या अदालत तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज किसान को अपने सीड स्टोर से गल्ला लेने के लिए जरूरत पड़े तो वहां तक बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती। तो जब तक ऐसी जगहें पड़ी हैं तब तक अलकतरे की सड़क या सीमेंटेड रोड बनाना मेरी समझ से उपयुक्त नहीं है। मैं आज प्रसन्नता के साथ प्रार्थना करता हूं क्योंकि जो विभागीय मंत्री इस समय पर हैं, वह मिलों का उतना आदर नहीं करते जितना चरखे का आदर करते हैं।

मुझे यह विश्वास है कि बड़े-बड़े शहरों का और बड़े-बड़े आदमियों की मोटरों का उतना आदर मंत्री जी के हृदय में अवश्य नहीं होगा जितना कि उस बूढ़े किसान के बूढ़े बैल और उसकी बैलगाड़ी के लिए होगा जिससे कि वह बाजार तक अपने खाद्य पदार्थ के लिए पहुंच सके। तो इसलिए मैं रायबरेली की ही बात नहीं कहता। मेरे कहने का मतलब हर जिले से है, हर स्थान से है। मैं उल्टा बताता हूं कि हमारे रायबरेली जिले में एक राजा रोड है। यह सड़क पारसाल बनी है। इस साल ३६ हजार रुपये लगाकर वह अलकतरे की कर दी जायगी। मेरी समझ में नहीं आया कि न वह कोई कस्बा है, न वहां कोई बड़ी भारी मंडी है। लेकिन उसको ३६ हजार रुपये से अलकतरे के सड़क बनाने की बड़ी जरूरत हो गई। जब कि जिले में ऐसी जगह पड़ी है कि जहां पर आज तक यातायात के साधन न होने की वजह से आपके डिप्टी कमिश्नर नहीं जा सके। मैं नहीं समझ सका कि क्या आवश्यकता है उसकी, मगर पढ़ा कि वहां पर सीड स्टोर होना चाहिये। एक जगह तो ऐसी है कि जहां बैलगाड़ी भी नहीं जा सकती और दूसरी जगह पर आप लग्जरी की चीजें बनवाएं, बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर समझे और देखे हुए मैं समझता हूं यह कार्य शुरू कर दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि राजामऊ इस काबिल नहीं है। राजामऊ में सड़क जरूर बने, इससे और अच्छी बने, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि उपयुक्त और अनुपयुक्त का ध्यान रखा जाय। एक जगह पर तो कांटा लगा है पैर में, लेकिन उसको निकालने की जरूरत नहीं है और एक जगह बाटा का जूता खरीदा जाता है। अब मैं एक सुझाव देकर समाप्त करता हूं, लाल बत्ती जल गयी है। वह यह है कि हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग को जहां पर श्रमदान मिले वहां उसको प्राप्त करने की चेष्टा की जाय। मैंने मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी। दो वर्ष हुए, लेकिन आज तक उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। मैं फिर उसके सम्बन्ध में पुनः आपकी सेवा में चिट्ठी भेजूं या यहां कहूं? मैं तो यही आशा करता हूं कि पुल हो या सड़क हो, जहां श्रमदान के लिए जनता तैयार होती है वहां पहले रुपया खर्च किया जाय और ऐशो इशरत और लग्जरी में खर्च करने के लिए दूसरा नम्बर रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं फिर अपने वैभागीय मंत्री से आदर के साथ और बड़े अदब के साथ आशा करता हूं कि वह ऐसे ही स्थानों को पहले प्राथमिकता देंगे जहां पर कि जनता

को जरूरत है, दुःख है। वह एक आदमी को इतना मोटा न कर दें कि वह चलने न पावे और एक आदमी को इतना भूखा न रखा जाय कि वह भूख के मारे जमींदोज हो जाय।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव गेंदा सिंह जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। समय इतना कम है कि अगर सब बातें बतायी जायं तो ५-६ मिनट में नहीं बतायी जा सकतीं। इस भवन में मंत्री जी ने यह स्पष्टरूप में बतलाया कि हमारे पास धनाभाव की वजह से बहुत सी सड़कें नहीं बनायी जा सकीं, जैसा कि हमारे मित्र ने बतलाया कि देहाती क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं और जहां बननी चाहिये वह भी बतलाया। धनाभाव के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस पी० डब्ल्यू० डी० में जो व्यय होता है, जो टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वह भी एक कारण है। इस भवन द्वारा जो एस्टीमेट कमेटी बनायी गयी थी उसने इस विभाग का जो निरीक्षण या स्क्रूटिनी की उस पर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और यह विचार करना चाहिये कि जो चीजें फिजूल में खर्च हो रही हैं उनमें कमी की जाय और अधिक रुपया देहाती क्षेत्र में लगाया जाय तो अच्छा होगा। मैं याददाश्त के लिए दो चार रिकमेंडेशन रखना चाहता हूं जो उस कमेटी ने की है। पहली तो यह है कि यहां पर इस डिपार्टमेंट में जो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स हैं उनकी तादाद ६ है और उनका काम सिर्फ निरीक्षण का या इस तरीके का है जैसा कि कमिश्नरों का होता है, उनकी आवश्यकता नहीं है। तो यह जरूरी नहीं है कि वह छः के छः रखे जायं, उनमें दो टेम्पोरेरी हैं। तो कमेटी की रिपोर्ट है कि उनको रिडयूस करके हाफ कर दिया जाय। दूसरी रिकमेंडेशन यह थी कि जो कंटिंजेंसी में दिखा कर यह डिपार्टमेंट ५ परसेंट लेता तो उसको घटा कर २ परसेंट कर दिया जाय। कई और चीजें इसमें हैं कि जिन पर अगर मंत्री जी गौर करेंगे तो मैं समझता हूं कि हजारों, लाखों रुपया आपके डिपार्टमेंट का बचेगा और वह रुपया जैसा कि हमारे मित्र ने बतलाया, देहाती क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में जहां पर सड़कें नहीं हैं और बरसात के दिनों में नर्क हो जाता है उन जगहों पर वह रुपया खर्च किया जाय तो अधिक उपयोगी होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि नये मंत्री जी ने जो इस विभाग को लिया है वह इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करेंगे और इस रिपोर्ट पर, जो कि आपके मेम्बरों ने राय दी है उस पर गौर करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्रीमन्, जैसा अभी तक सभी लोगों ने अपने जिलों के बारे में कहा है। मैं भी इतना बतलाना चाहता हूं कि जालौन जिला बुन्देलखंड का है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रांट २१ जो केन्द्र से सड़कों के लिये सहायता के रूप में दी जाती है उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें ऐसा एरिया है जो तीन जागीरें आई हैं वह न तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में शामिल हैं और न गवर्नमेंट में शामिल हैं। वहां न डिस्ट्रक्ट बोर्ड की रोड्स थीं और न गवर्नमेंट की ही थीं बल्कि वहां पर जो जागीरदार थे वही सड़कें बनाते थे और उनको मेंटेन करते थे। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह समाप्त हो गईं, लेकिन जो उनके कार्य थे, सड़कें थीं और जनता के हित की चीजें थीं उन पर न तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही खर्च करता है और न आपका पी० डब्ल्यू० डी० खर्च करता है। सेंटर से जो सहायता मिलती है, जहां पर सड़कें नष्ट हो रही हैं उनको उससे बनवाया जाय। एक ८ मील लम्बी सड़क है अगर उसकी मरम्मत नहीं की गई तो वह नष्ट हो जायगी। यह प्रान्त और जनता की सम्पत्ति है, इसको नष्ट होने देना हमारी भूल होगी। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको नष्ट नहीं होने देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा बीरेन्द्र शाह]

मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि श्रमदान द्वारा जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया था, यह सड़क ले ली गई है और जैसा कि गेंदा सिंह जी ने बतलाया था कि अगर कोई सड़क ली जाय तो वह एक प्लान के द्वारा ली जाय जिसमें एम० एल० ए० और जिला प्लानिंग कमेटी की रिकमेंडेशन हो। मैं जानता हूं कि यह सब चीजें हुई हैं, लेकिन अमल कहां तक हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि प्लान बना है 'लेकिन मुझे भय है जैसा कि पहले उस पर अमल नहीं हुआ, अब आइन्दा भी न हो। आइन्दा जो प्लानिंग कमेटी की रिकमंडेशन्स होंगी उसी के अनुसार मंत्री जी चलेंगे। मैं गेंदासिंह जी की बात से सहमत नहीं हूं और प्लान है। लेकिन यह चीज है कि जो मंत्री जी को या सरकार को राजी कर ले अपने क्षेत्र के लिये, अपना काम दिखाने के लिये, तो वही सड़क ले ली जायगी। चाहे दूसरी जगह काम पूरा हुआ हो या न हुआ हो। मुझे आशा है कि मंत्री जी जो प्लानिंग कमेटी की रिकमेंडेशन होगी, फिर चाहे कोई सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर हों या इधर के बैठने वाले हों या उधर के हों, उसी के मुताबिक विचार करेंगे। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)--उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सड़कों का अनुदान चल रहा है तो मैंने भी सोचा कि बहुत दिनों से, जो मंत्री जी इस पद पर थे उनसे निवेदन करती रही हूं, इस बार शर्मा जी आये हैं, उनसे भी निवेदन कर लूं और देखूं कहां तक मेरी आशा सफल होती है? अभी राजा साहब ने यह कहा था कि एम० एल० एज० अपनी अपनी कांस्टीटुएन्सी में सड़कें बनवा लेते हैं और मंत्री जी को राजी कर लेते हैं और अपने क्षेत्र में अपना नाम कराते हैं। मैं एक उदाहरण रखती हूं कि १९३७ से आज तक मेरी बात किसी ने नहीं सुनी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रही थी कि जिस समय माननीय पन्त जी मुख्य मंत्री थे उस समय मैंने एक सवाल रखा था, उसका जवाब यह आया था कि संडीला तहसील में अतरौली से संडीला तक सड़क जरूर बनेगी। लेकिन जब मैं बजट देखती हूं तो उसमें इसका कहीं नाम तक नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि हरदोई जिले में और जगह तो थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन उसको सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। फिर भी सन्डीला तहसील ऐसी जगह है जहां पर यातायात का कोई साधन नहीं है। मैं आपको यह स्मरण दिलाना चाहती हूं कि लखनऊ की एक सड़क जो हरदोई के बीच से निकलती है, बाकी और सड़कें ऐसी हैं जहां पर बरसात के दिनों में पानी कमर तक भर जाता है और यातायात पूरा रुक जाता है। इस प्रकार के गड्ढे हो गये हैं कि आने-जाने में बहुत ही परेशानी होती है। भरावन मंडी बहुत बड़ी मंडी है जो कि सीतापुर जिले की हद से मिली हुयी है। वहां पर मूंगफली की बहुत पैदावार है। करीब-करीब हर दिन सैकड़ों गाड़ियां ऐसी वहां से आती हैं, जिनको चलाने में बहुत परेशानी होती है। अगर वहां पर पक्की सड़क बन जाय तो यातायात का एक साधन हो जाय और हरदोई जिले को, जो यह सड़क सीतापुर से मिलाती है, उसके लिये भी आने जाने की बहुत सुविधा हो जाय। इस सड़क के न होने से वहां पर जरायम भी बहुत बढ़ रहे हैं। अभी मुझे वहां के इन्चार्ज मिले जब मैं यहां आ रही थी, तो उन्होंने बतलाया कि साहब क्या करें, यातायात का कोई जरिया नहीं है और कोई ऐसी सवारी नहीं है और न कोई सड़क है जिससे वहां पर हम जल्दी से पहुंच सकें। आये दिन लूट, चोरी और डकैतियां इत्यादि सब जगह होती रहती हैं। कोई अफसर वहां जल्दी से पहुंच नहीं सकता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कि इस साल वह ऐसी मेहरबानी करने की कृपा करें कि जिससे वहां कुछ थोड़ी बहुत पक्की सड़क हो जाय, ताकि हमको आगे के लिये यह कहने को हो जाय कि हमारी सरकार ने कुछ तो ध्यान दिया है आप लोगों के लिये।

गत साल हमारे यहां पन्त जी गये थे तो उनको सब जगह श्रमदान द्वारा सड़कों को ठीक कराकर ले जाया गया था और तब भी उनसे अर्ज किया था। उस समय उन्होंने फूलसिंह जी से कहा था कि यह सड़क बन जानी चाहिये, लेकिन उसके बाद भी मालूम नहीं हुआ। लेकिन अब कांग्रेस युग में वहां की सड़कें बननी चाहिये, जिससे जनता को सन्तोष हो। मैं खुले हृदय से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरे कहने पर ध्यान दिया।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अल्मोड़ा की बहुत पुरानी मांग को जो बहुत जरूरी थी स्वीकार करके खैरना-अल्मोड़ा रोड के लिये दो लाख रुपया इस बजट में रखा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पर्वतीय जिलों में मोटर मार्गों की कितनी आवश्यकता है। वहां न तो रेलवेज हैं न नदियों के द्वारा सामान लाने या ले जाने की सुविधा है और न हवाई जहाज का ही साधन है। वहां पर आने जाने के लिये और सामान लाने ले जाने के लिये केवल मोटर मार्ग ही एक मात्र साधन है। इसलिये वहां मोटर मार्ग कितने आवश्यक हैं यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। देश में मोटर मार्गों के संतुलित विकास की दृष्टि से नागपुर में सारे देश के चीफ इंजीनियरों की जो बैठक हुई थी उसमें सारे देश की आवश्यकता को सामने रखते हुये एक फार्मूला बनाया गया, जिसे 'ग्रिड एण्ड स्टार' नाम दिया गया। उसके मुताबिक अल्मोड़ा जिले में ८३७ मील मोटर मार्गों की आवश्यकता है। जिसमें से पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो मार्ग लिये गये हैं उनके पूरा होने पर केवल २८५ मील मोटर मार्ग ही वहां पर बन सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर इसी रफ्तार से हम मार्ग निर्माण करते रहे तो जिले की आवश्यकता के अनुसार मोटर मार्गों को बनाने में ४० साल और लगेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगली पंचवर्षीय योजना में वे वहां इस प्रकार से सड़कें रखें कि मोटर मार्गों का निर्माण और तेजी से हो, जिससे आने वाले पांच वर्षों में यातायात की जो असुविधा वहां के लोगों को होती है वह दूर हो सके।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अल्मोड़ा लोहाघाट मोटर मार्ग का, लोहाघाट से धुनाघाट तक १० मील और पौधार से शहर फाटक तक १४ मील भाग श्रमदान द्वारा बन चुका है। अल्मोड़ा से पौधार ८ मील है जो अभी बनना बाकी है दो साल के लगातार प्रयत्न करने के बावजूद भी अभी तक न तो उसकी सर्वे ही हो पायी है और न अभी तक उसके लिये सरकार ने कोई धनराशि ही दी है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ८ मील के इस छोटे से टुकड़े को अपनी योजना में शामिल कर लें ताकि जनता ने श्रमदान के द्वारा जो काम किया है उसका दुरुपयोग न हो, किया हुआ परिश्रम व्यर्थ न जाय। जब माननीय मंत्री जी अभी हाल ही में बागेश्वर गये थे तो वापिसी में वे ताकुला होकर आये थे। उस समय अल्मोड़ा-ताकुला-बागेश्वर मार्ग पर काफी लोग श्रमदान कर रहे थे। इस मार्ग का बनाना कितना आवश्यक है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय सरकार की ओर से खरई में खानकी जो खुदाई हो रही है तभी उसका लाभ हो सकता है जब कि अल्मोड़ा-ताकुला-बागेश्वर मोटर मार्ग बने। इस मार्ग को भी योजना में शामिल करने की मंत्री जी कृपा करें। जहां तक अल्मोड़ा-रामेश्वर मार्ग का सम्बन्ध है इस मार्ग को बनाना जितना आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है उतना ही शासन व्यवस्था की दृष्टि से भी आवश्यक है। यातायात की दृष्टि से आज हम अल्मोड़ा जिले को दो हिस्सों में बंटा हुआ पाते हैं। पूर्वी और पश्चिमी। इन दोनों भागों को मिलाने वाली एकमात्र यही निकटतम सड़क है। मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि

[श्री गोवर्धन तिवारी]

इसका २१ मील का टुकड़ा श्रमदान से बनाया जा रहा है जिसमें से १७ मील बाडेछिना से दनिया तक निर्मित हो चुका है और चार मील बनना बाकी है जो गरमी में पूरा हो जायगा इसी प्रकार शहर फाटक को सरगाखेत से मिलाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बीच में फलों के बड़े-बड़े बगीचे हैं और आलू का भी बड़ा भारी उत्पादन होता है। इन सबका लाभ जनता तभी अधिक उठा सकती है जब कि उक्त मार्ग बन जाय। पिछले दो सालों से श्रमदान द्वारा इस सड़क को बनाने का प्रयास किया गया है लेकिन सरकार ने अभी तक इसके लिये न तो कुछ धनराशि ही रक्खी है और न कोई इस विषय में प्रयास ही किया है। इसीलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मार्ग को भी जल्द बनाने की कृपा करे।

मैं अन्त में एक निवेदन कर दूं कि अल्मोड़ा में मोटर मार्गों का बनाना तो जरूरी है ही, लेकिन केवल मोटर मार्ग बना देने से ही उसकी तरक्की नहीं हो सकती है। वहां दो सौ, डेढ़ सौ मील दूर से मोटर के जरिये जो आलू व दूसरी उत्पादन की वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं उनकी मजदूरी, उनका भाड़ा इतना अधिक हो जाता है कि वे मार्केट में बिक नहीं पातीं। इसलिये टनकपुर से पूर्णागिरि, रामेश्वर, शेराघाट, होते हुए बागेश्वर तक रेलवे लाइन का बनना जरूरी है। इसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जाय। मैं आपकी जानकारी के लिये बतला देना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में १९१४ में पहले टनकपुर से बागेश्वर को रेलवे लाइन द्वारा जोड़ने के सिलसिले में सर्वे हो चुका है रेलवे की इस लाइन का बनाना अल्मोड़ा की तरक्की के लिये, अल्मोड़े के औद्योगिक विकास के लिये और अल्मोड़े की आर्थिक हालत को सुधारने के लिये बहुत जरूरी है। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रान्तीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की जाय कि वह जल्द से जल्द इसकी सर्वे करके रेलवे लाइन के लिए अपने बजट में प्राविजन करे।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई उत्तर तो मिला नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--अगर माननीय मंत्री जी पहले बोलना चाहें तो १५ मिनट दोनों माननीय सदस्यों के लिये है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--अगर आप चाहते हैं तो मैं पहले बोल लूंगा।

श्री गेंदा सिंह--अच्छा होता।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--श्रीमन्, श्री गेंदा सिंह जी ने बहुत सारी बातें कहीं, बहुत सुन्दर सुन्दर बातें कहीं, बहुत माकूल बातें कहीं, लेकिन सब गलतफहमी के ऊपर मबनी हैं? उनकी अच्छी भावनाओं के लिये मैं उनको इज्जत करता हूं, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर करना अपना फर्ज समझता हूं। इस ग्रांट में करीब करीब सब पुरानी सड़कों के लिये मांग है। जो ४० लाख रुपया माडर्नाइजेशन के लिये है उसे उन्होंने नयी सड़कों के लिये समझ लिया, लेकिन वास्तव में वह नयी सड़कों के लिये नहीं है बल्कि वह पुरानी सड़कों के लिये ही है। माडर्नाइजेशन की बाबत काफी गलतफहमी मालूम होती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि कहीं तो दूध, मलाई, घी और शक्कर हो और कहीं कोई भूखों मरता रहे, यह उचित नहीं है। किसी ने सड़क खराब होने से रोडवेज बसेज में स्त्रियों के आने-जाने की तकलीफ के सम्बन्ध में कहा और न मालूम कितनी और तकलीफें यहां पर बयान की गयीं। लेकिन यदि वे थोड़ा भी इस विषय का अध्ययन करें तो वे मेरे साथ सहमत होंगे, शिकायतें हैं इसलिये और भी जरूरी है कि माडर्नाइजेशन किया जाय। हमें एक भीटा मामूली पक्की सड़क बनाने में १० हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ५ साल तक बहुत छोटी-मोटी मरम्मत को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह सड़क मुश्किल

से साल डेढ़ साल अच्छी तरह चल पाती है। ज्यादा ट्रेफिक होती और जल्दी खराब हो जाती है। अब अगर जैसा माननीय सदस्यों की इच्छा है सड़कें अच्छी हालत में रहें तो हमें हर दो साल में १०,००० रु० लगाना होगा--अर्थात् ५ साल में २५,०००। और यह सब करके फिर दूसरे साल ही सड़क खराब हो जायगी। शिकायतें बदस्तूर रहेगी। अब अगर ३०,००० (तीस हजार) लगाकर हम इसका मार्डनाइजेशन करा दें तो इसकी उम्र १६ साल बढ़ जायगी और रखरखाव का खर्चा भी कम हो जायगा सिर्फ कहीं-कहीं मिट्टी आदि डालनी होती है। उसके लिये जो गैंग्स रखने पड़ते हैं वह दुगने और तिगुने क्षेत्र को कवर कर लेते हैं मैं समझता हूं कि इस तरह की सब शिकायतें मार्डनाइजेशन से दूर हो जायंगी और इस बात को अगर श्री देवदत्त जी समझ लें तो उनकी आपत्ति का काफी निराकरण हो जाता है? यह तमाम सड़कें पुरानी हैं इसलिए उनको बरबाद होने से बचाने की कोशिश की जा रही है। जनता की तरफ से जो शिकायत होती है और जो यहां शिकायत होती है सरकार पैसा लेती है और काम नहीं होता है उसको देखते हुए भी यह जरूरी है कि पुरानी सड़कों का मार्डनाइजेशन किया जाय, जो सड़कें कन्कर की हर साल बनती हैं, उनमें रुपया बह जाता है और वह धूल होकर उड़ जाता है।

दूसरी आपत्ति यह की गई कि एक योजना के अनुसार काम नहीं किया जाता। उन्हें शायद मालूम नहीं है कि थोड़ा अन्तर है। जैसा कि राजा साहब ने फरमाया। शिकायत यह हो सकती है कि योजना तो है लेकिन उसके मुताबिक काम नहीं होता। अगली पंच वर्षीय योजना के लिये अभी से हमारा विभाग तत्पर है और चीफ इंजीनियर उसकी एक योजना तैयार भी कर चुके हैं, पता नहीं वह अभी माननीय सदस्यों के पास पहुंची या नहीं लेकिन अगर कोई भी माननीय सदस्य चाहें तो वह मुझसे लेने का कष्ट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं और मैंने तो स्वयं ही शुरू में कहा था कि हम तो स्वयं चाहते हैं कि केवल यहीं नहीं बल्कि सदन के बाहर भी किसी वक्त कोई भी माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मुझे सुझाव दे सकते हैं और हम उन पर गौर करेंगे और मैं उनको और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक संभव होगा, आदमी की अक्ल छोटी होती है, कम से कम मैं अक्लमन्द होने का दावा नहीं करता जैसे कि और भाई सब चीजों के जानने का दावा करते हैं। मैं सर्वज्ञता का वैसा दावा नहीं करता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा और आशा है कि अगले सालों में प्रदेश में सड़कों का सही से सही बटवारा हो जायगा। हमारे यहां सड़कों की इस कदर कमी है कि सब को ही ऐसा मालूम होता है कि हमारे यहां ही सड़कें कम हैं। जिस तरह का रिफ्रेन्स श्री गोवर्धन तिवारी जी ने दिया था उसके हिसाब से भी हर जिला क्या सारा सूबा ही पीछे है। एक अल्मोड़े को ही क्या कहें। असल में यह सारा प्रश्न रुपए का है, अगर वह हो तो सारा प्रश्न हल हो सकता है। हमारे एक सेक्रेटरी हैं जो हर जिले में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, एम० एल० एज० से वहां जाकर मिलते हैं, प्लानिंग कमेटी की राय लेते हैं, जिलाधीश की राय लेते हैं, लोकल बोर्डस्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपिल बोर्ड से भी सलाह लेते हैं और वह जहां तक होता है किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं और उनके निर्णय के सम्बन्ध में भी सबको अवकाश मिलेगा और जो सुझाव देना चाहेंगे वह दे सकेगें। श्री गेंदासिंह जी ने यह भी शिकायत की कि हमारे रेट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर वह कभी मुझे समय दे तो मैं उनको बताऊं, इस समय वक्त कम है कि मैं उनकी तमाम आपत्तियों का जबाव दे सकूं और तब उनको विश्वास हो जायगा कि पी० डब्ल्यू० डी० के जो मौजूदा रेट्स हैं वह कहीं ज्यादा कम हैं जितने की होने चाहिए। बहुत से ठेकेदारों ने मुझसे कहा कि आपने रेट्स इस कदर कम कर दिये हैं कि उन में आमतौर से काम करना कठिन है। हमारी मजबूरी यह है कि जो ठेकेदार कम से कम रेट्स कोट करते हैं उन्हीं का टेन्डर मंजूर किया जाता है और ऊपर वालों को हम नहीं दे सकते हैं। अगर हम ऐसा करने लगे तो शायद मैं और मेरा विभाग और भी ज्यादा गालियां और अलोचना सुनेगा, इसलिये

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

इसमें हमारे हाथ बंधे हुये हैं। उस हालत में तो लोगों की शिकायत दूर ही न हो सकेगी। आज तो हम कह सकते हैं कि हमने कम से कम पैसे वाले टेन्डर मंजूर किये लेकिन उस हालत में हम लोगों की शिकायत दूर न कर सकेंगे और गालियां और ज्यादा मिलेंगी।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट में आज कल यू० पी० की पहुंच बहुत ज्यादा है इसलिये थोड़ी सी चोरी वहां से कर लूं और दूसरे स्टेटों का कुछ हिस्सा हड़प लूं यदि यह आशा वह मुझसे करते हैं तो मुझे खेद है कि मैं इसमें उनकी कुछ मदद नहीं कर सकता लेकिन जो जायज बातें हैं उनके लिये हमारी स्टेट हमेशा केन्द्रीय सरकार से मांग करती है और उन्हें यह जान कर खुशी होगी कि गढ़मुक्तेश्वर के पुल के लिये १ करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अलावा और भी जो ग्रान्ड ट्रंक रोड है उसके माडर्नाइजेशन के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट से काफी उदारता के साथ हमें पैसा दिया जा रहा है और कुछ दूसरी सड़कें हैं जिनके लिये वहां से कितना-कितना मिला है इसका जो ब्योरा है इसमें मैं इस समय-समय की कमी के कारण नहीं जा सकूंगा। लक्ष्मी देवी जी को भी यह विश्वास दिलाता हूं कि गुंजाइश होगी तो उनका खयाल अगली पंचवर्षीय योजना में अवश्य रखा जायगा। गोवर्द्धन तिवारी जी की हालत तो यह है कि जितना ज्यादा मिलता जाय उतनी मांग बढ़ाते जाओ। मैं समझता हूं कि अल्मोड़ा और नैनीताल जिले को यह शिकायत नहीं करनी चाहिये कि उनके साथ इन्साफ नहीं हुआ है। वहां के लोगों की तकलीफ और निर्धनता को देखते हुये जो कुछ हुआ है वह बहुत ज्यादा है मैं यह नहीं कहता लेकिन फिर भी जब मिले उस समय भी शिकायत करना ठीक नहीं। कम से कम देने वाले के दिल के अन्दर कुछ रंजिश न पैदा हो इसका ध्यान तो रखना ही चाहिये। सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमको उदारता से दे रही है और वह पैसा ज्यादातर उन्हीं के यहां पहाड़ों पर खर्च होगा, टेहरी में खर्च होगा और दूसरे अन्डेवलप्ड एरियाज में खर्च होगा। मेरा खयाल है कि उसके लिये इस समय शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्रमदान से जो सड़कें बनाई जाती हैं उसकी बाबत मैं पहले भी कह चुका हूं कि काफी खयाल रखा जाता है और प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी उसका ख्याल रखाजाता है लेकिन इस के साथ ही साथ मेरा डिपार्टमेंट कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा कोआपरेशन इस विभाग को देता रहे और अगर फिर भी शिकायत हो तो उसको दूर करने की कोशिश की जायगी। एस्टीमेट्स कमेटी की बाबत कहा गया। मुझे खेद है कि मैं उस राय को मानने के लिये राजी नहीं हूं। मेरा खयाल है कि हमारा काम सुधरे गा अगर हमारा सुपरविजन अच्छा होगा। आखिर मंत्रियों से आप आशा करते हैं कि मन्त्री लोग निरीक्षण करें। मन्त्री लोग अगर अपने जैसे कुछ आदमी और पा सकें और जो उसी ईमानदारी के साथ, उसी अक्लमन्दी के साथ और उसी तत्परता के साथ उनके काम को बता सकें और वे सुपीरियर ग्रेड के ही आदमी हो सकते तो मुझे कोई शक नहीं है कि हमारा सुपरविजन ज्यादा अच्छा होगा और शिकायतें दिन पर दिन कम होती जायंगी। और अगर इस सिफारिश को एस्टीमेट्स कमेटी की मैं नहीं मान सका तो आप उस पर आपत्ति नहीं करेंगे क्योंकि जब काम संतोषजनक होगा तो वह जस्टीफाई करेगा कि जो हमने निर्णय किया है वह ठीक है। अब जहां तक कंटिंजेंसी के खर्चे के अनुपात को कम करने की बात है मुझे खयाल है कि सिफारिश मान ली गई है और उसी के मुताबिक यह जो मांग पेश की गई है वह कम करके पेश की गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--दो या तीन परसेंट कितनी कम की गई है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--यह तो मैं इस समय ठीक से नहीं कह सकूंगा लेकिन वह कम की गई है।

प्लानिंग के सम्बन्ध में जो बातें कही गई है उन सब का ख्याल रखा जाता है और जैसा मैंने निवेदन किया कि जिन माननीय सदस्यों को इसमें शिकायत होगी वह इस विषय में संतोष प्राप्त कर सकेंगें । मेरा खयाल है कि करीब-करीब सब चीजों का जितना संक्षेप में हो सकता है मैंने जबाव दे दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि गेंदा सिंह जी की गलतफहमी दूर हो गई होगी और उसके कारण वे अपने कटमोशन को वापस लेगें और इस मांग को स्वीकार करेंगे ।

(श्री गेंदा सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष––अब तो केवल वापस लेने का समय रह गया है ।

*श्री गेंदा सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बड़ी कठिनाई है । आप कुछ थोड़ा समय और दे दें तो मैं दो एक बातों का जबाव दें दूं । मुझे दुख है कि माननीय शर्मा जी ने ऐसा समझ लिया कि मैं उन्हें चोरी करना सिखा रहा हूं । मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता । मैंने तो रिश्ते की चर्चा की थी । मैं अब भी कहता हूं कि हमारे रिश्ते केन्द्रीय सरकार से अच्छे हैं और उस अच्छे रिश्ते से लाभ उठाया जाता है । यह भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको फेवर-टिज्म की बात कही जा सके । उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने हमारी गलतहफमी को दूर करने की कोशिश की लेकिन मेरी गलतफहमी जरा भी दूर नहीं हो पायी कि पुरानी सड़कों पर ही वह खर्च हो रहा है । इन मोटी किताब में और उनकी रिपोर्ट में सब में मैंने ढूंढ़ा लेकिन मैं उस ४० लाख वाली सड़क को कहीं भी नहीं ढूंढ पाया । अब वह गलतफहमी तो मेरी दूर नहीं हो पायी।

एक सदस्य––मार्डनाइजेशन वाला देख लीजिये ।

श्री गेंदा सिंह––मार्डनाइजेशन वाला भी मैंने देखा तो उसमें कहीं नहीं मिला कि यह सड़क बनेगी । उसमें सिर्फ यह लिखा है कि आधुनिकीकरण लेकिन वह कहां होता है वह नहीं मालूम है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा––आप विश्वास कर लीजिये।

श्री गेंदासिंह––विश्वास करके तो मैं यहां बैठा हूं । डिमोक्रेसी में विश्वास करने के कारण ही तो मैं यहां उनके पास बैठा हूं ।

योजना के बारे में मैं एक बात दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अभी ९ जिलों में सर्वे हुआ है और अगली पंचवर्षीय योजना में मालूम नहीं कि जिलों में कितना कहां काम हुआ है और होगा और अगले वर्ष ९ जिलों में कहां क्या होगा । अगर विधान सभा के सदस्यों को इसकी जानकारी कराई गई तो बड़ा लाभ होता । श्रमदान के बारे में शिकायत मैंने नहीं की । कहीं पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोगों ने काम नहीं तो गवर्नमेंट से कुछ और लोगों ने विशेष प्राविजन रखने के लिये दरख्वास्त की । मैंने सब इस लिये कहा कि जो धन खर्च किया जाय वह मितव्ययिता से किया जाय । अब समय नहीं है और मैं अब और बातें नहीं कहना चाहता । मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि और लोग उनके पास अलग से जाकर सलाह दे सकते हैं, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं और वे उस पर विचार करेंगे । इतने आश्वासन के बाद मैं समझता हूं कि मुझे अपने कटमोशन को वापस ले लेना चाहिये । यह पहला वर्ष है लेकिन अगले वर्ष कहने का मौका मिलेगा और साल भर तक कहने का मौका मिल सकता है । इसलिये उनके आश्वाशन के बाद में कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--यातायात के साधनों का सुधार--(लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता) के अन्तर्गत ५७,४५,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा

श्री विचित्र नारायण शर्मा--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२--सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माणकार्य की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत ६०,६६,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस मांग के बारे में मैं बहुत कुछ अपने प्रथम निवेदन में कह चुका था। यह वास्तव में हमारे विभाग के खर्चे हैं जो मुख्तलिफ काम करने के लिये स्टाफ पर खर्च करना होता है। जैसा मैंने निवेदन किया था हमारा कुल खर्चा ४ प्रतिशत के करीब आ रहा है। कुल मिला कर इस साल का काम करीब-करीब १५,२१,६४,२०० रु० के करीब होता है। इसमें वे रकमें भी शामिल कर ली गई हैं जिनका कि हमें केन्द्रीय सरकार से मिलने का आश्वासन है। इस तरह से इसको देखते हुए यह समझा जायगा कि यह खर्चा बिल्कुल माकूल है क्योंकि खर्चा बहुत कम है। मुझे आशा है कि इस मांग को स्वीकार किया जायगा। मैं ज्यादा समय इस लिये नहीं लेना चाहता ताकि माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा समय विचार प्रगट करने के लिये मिल सकें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३२ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। श्रीमन्, मुझे इस बात का अत्यन्त दुख है कि मुझे इस अनुदान में अपने इस सदन की एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट का कोई भी प्रभाव दिखायी नहीं दिया। साल भर एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट को पेश हुए हो गया। हाउस आफ कामन्स की यह परम्परा होती है कि एस्टिमेट कमेटी के सम्बन्ध में तीन महीने के अन्दर वह सारी कार्यवाही कर लेते हैं और जो सिफारिश उसने की हो वह स्वीकार कर लेते हैं। अगर केवल एक प्रतिशत रिपोर्ट को मंजूर न किया गया हो तो उसके कारण फौरन सदन के सामने छाप कर रख देते हैं। अब आप देखें कि इसमें सुपरिन्टेंडेंट इन्जीनियर की पोस्ट को एबोलिश करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह बजट में वैसी की वैसी ही रक्खी हुई है। ओवरसियर्स और असिस्टेंट इन्जीनियर्स की पोस्ट्स कम करने के बारे में सुझाव था, लेकिन ओवरसियर्स की और वृद्धि हो गयी। ओवरसियर्स की वृद्धि की आवश्यकता पड़ी हो इसको माना जा सकता है, लेकिन सरकार को पूरा ब्योरा देना चाहिए था। इस विभाग में एक ट्रांस्पोर्ट डिवीजन है। उसमें ३१० ट्रक्स हैं, जिनकी मेन्टिनेंस में १६ लाख ८७ हजार रु० खर्च होते हैं। उसको समाप्त किये जाने के बारे में सिफारिश थी, उसका कोई पता नहीं है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे प्रजातांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करें, और आने वाले महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रक्खें।

दूसरी बात यह है कि यहां इस्टेब्लिशमेंट में केवल एसिस्टेंट इन्जीनियर, ओवरसियर, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, और चीफ इन्जीनियर का स्टाफ होता है, लेकिन जो मजदूर वगैरह हैं, वे इस इस्टेब्लिशमेंट में नहीं आते। और प्रान्तों में ऐसा देखने में नहीं आया। इसका क्या नतीजा होता है कि ३०, ३० साल से पी० डब्ल्यू० डी० में मजदूर लोग डेली वेजेज पर काम करते चले आते हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा एस्टेब्लिशमेंट में नहीं होती। यू० पी० में कम से कम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खर्चा इस्टैब्लिशमेंट में इसीलिए होता है कि रोजाना काम करने वाले मजदूरों को इस्टैब्लिशमेंट में शामिल नहीं किया जाता। आप देखेंगे कि कुल बजट का इसीलिए ५.२५ प्रतिशत खर्च होता है, मजदूरों पर जब कि मदरास में ९.७, बंगाल में १८ प्रतिशत, आसाम में १४ प्रतिशत, मध्य प्रदेश में १८ प्रतिशत, बिहार में २८ प्रतिशत, बाम्बे में ३२ प्रतिशत और उड़ीसा में ३६ प्रतिशत खर्च होता है। तो यह इस्टैब्लिशमेंट में मजदूरों को शामिल न किया जाना, उनको परमानेंट होने का या उनको स्थाइत्व प्राप्त करने का मौका न देना, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस विडंबना को अवश्य दूर करेंगे। इसके बाद मैं आप की आज्ञा से एक बात जो कहना चाहता हूं, वह वैसे तो अनुदान के हिसाब से असंगत है, लेकिन चूंकि पी० डब्लू० डी० के अनुदान में यह बात हो सके, इसलिए मैं इस साल की डिपार्टमेंट की रिपोर्ट की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने इसके बारे में कहा कि हम लोगों ने यह रिपोर्ट बड़े ध्यान से पढ़ी होगी। मेरा यह दुर्भाग्य रहा है कि प्रत्येक वर्ष में इन रिपोर्टों में खामियों की तरफ ध्यान दिलाता रहा हूं। न मालूम क्या बात है कि रिपोर्टें क्यों गलत बांटी जाती हैं। या तो डिपार्टमेंट के पास इतना समय नहीं है कि वह पुरानी और नयी रिपोर्टों को मिला कर उन को देख सके, या और कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आती। इस रिपोर्ट में पंच-वर्षीय योजना दिखलायी गयी है। इस साल की रिपोर्ट और पिछले साल की रिपोर्ट को मिलाइये, आप देखेंगे कि इसमें जो लागत दिखायी गयी है, वह पंच वर्षीय योजना के हिसाब से लगायी गयी है, और जो प्रगति काम में दिखायी गयी है, वह पिछले चरण को मिलाकर बतलायी गयी है, और यह दिखाया गया है कि हमारा टारजेट कम्प्लीट हो गया है। जिले की पिछले साल की सड़कें पिछले साल की योजना में ४२८ मील थीं, इस साल २,३२० मील हो गयीं और सारी बना दी गयीं। पिछले साल आधे से कम बनायी गयी थीं, और इस साल सब बन गयीं। तो यह जादूगरी कब तक चलती रहेगी? आगे चल कर नव निर्माण में देखिये। कुल सड़कें, ५४१ थीं, खर्च १९० लाख था, लेकिन इस साल १,१८४ मील हो गयी। जिले की कच्ची सड़कें, पिछले साल १९५० मील थीं, दिखलायी गयी थीं, पंचवर्षीय योजना में और जिसमें ७४० मील बनी हुई थीं, इस साल रुपया तो उतना ही है, ३६ लाख १९ हजार, लेकिन सड़कें बढ़ गयीं, और हो गयीं ७,९४९। तो ऐसी रिपोर्टों को पेश करना सदन के सामने जो पिछले साल की रिपोर्टों से न मिलें, यह कहां की मर्यादा है? इस रिपोर्ट में कुल मिला कर पिछले पांच सालों में, १९५० से लेकर १९५४ तक केवल ६०२ मील सड़कें बनीं। एक साल में औसत १२० मील का आता है। एक दूसरा चार्ट है, जिसमें एवरेज १०२ मील का है। अगर उस आंकड़े को सही माना जाय, तो इस से मालूम होता है कि केवल १०२ मील लम्बी सड़कें साल भर में बनीं। कच्ची सड़कों के बारे में जिनका जिक्र माननीय गुप्तार सिंह जी ने किया, उनको इन से बहुत आसानी हुई क्या? मैं तो सरकार से कहूंगा कि वास्तव में काम हो रहा है लेकिन उस काम को बढ़ा कर दिखलाना और परस्पर विरोधी आंकड़े देना, यह क्या बात है? आप एक किस्म के आंकड़े देते हैं। अलग-अलग किस्म के आंकड़ों में सदन को डालना और सदन को गलत खबर देना—ऐसी गैर जिम्मेदारी की आशा, मैं समझता हूं कि हम माननीय मन्त्री जी के विभाग से नहीं कर सकते।

इसके बाद आप देखेंगे कि सरकार एक तरफ तो कन्टिन्जेंसीज कम नहीं कर रही है, ३ परसेंट से २ परसेंट नहीं करती, लेकिन रोड रिपेयर ग्रान्ट में ४० लाख रुपया कम कर दिया गया है। कमी की गयी मेंटेनेंस में, जहां वैसे ही सड़कों की हालत खराब है। जहां कमी न होनी चाहिए वहां कमी कर दी गयी और ४० लाख रुपया कम कर दिया गया, लेकिन कन्टिन्जेन्सीज में जहां कमी होनी चाहिए वहां कमी नहीं की गयी। इन्डियन रोड कांग्रेस ने सिफारिश की थी, सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में एक रेट कमेटी बैठायी गयी थी, उसने सिफारिश की थी कि पी० डब्ल्यू० डी० का बजट ३ साल का बनाया जाय, और वह नान-लैप्सेबिल हो, प्लानिंग कमीशन की यही सिफारिश थी, लेकिन चार साल के विचार के बाद भी अभी उस पर कोई कदम नहीं उठ पाया है। डेवेलप्मेंट कैसे होगा? अगर हम फाइनेंस के भूल भुलैया में पड़े रहेंगे, और अपने रूट को बदलेंगे नहीं,

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

तो विकास नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि पी० डब्ल्यू० डी० का बजट ३ साल का बनाया जाय, जो नान-लैप्सेबिल हो, ताकि जो रुपया खर्च होना है, वह आखरी मार्च में हो जाय, यह न हो। जो एस्टिमेट्स रिवीजन करने की जल्दी होती है, और गलत एस्टिमेट्स बनाये जाते हैं, वह नहीं होने पायगा। दूसरी बात यह कि सम्पूर्णानन्द कमेटी की सिफारिश यह थी कि छोटे जो काम हैं, उनकी लिमिट दो हजार रुपये से बढ़ा कर के ५ हजार रुपये कर दी जाय और ५ हजार तक के जो काम हों, उनमें टेन्डर इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस पर भी विचार नहीं हुआ, अभी तक उसी प्रकार आप यह देखें कि जहां पर यह सड़कों का ग्रेडेशन है, ओ० डी० आर०, नेशनल हाई वे, प्रांविश्यल हाई वे, जितने भी ग्रेड बनाये गये हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। आपने देखा कि एक बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क ली गयी, बाद में वापस कर दी गयी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो सड़क हैं, उनमें और पी० डब्लू० डी० की जो सड़कें हैं, फारेस्ट डिपार्टमेंट की जो सड़कें हैं, उनमें कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। फारेस्ट डिपार्टमेंट अपनी सड़कों पर हावी रहता है, वैसे ही इरिगेशन डिपार्टमेंट अपनी सड़कों पर हावी रहता है, पी० डब्ल्यू० डी० का कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई विभाग की, जंगलात विभाग की और दूसरे विभागों की जो सड़कें हैं, उनका सम्बन्ध, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों का सम्बन्ध पी० डब्ल्यू० डी० से रहे और इसका एक ओवर आल सुपरविजन पी० डब्ल्यू० डी० का उन सड़कों पर भी रहे। ऐसा न होने की वजह से नतीजा यह होता है कि हर डिपार्टमेंट का अपनी सड़कों पर अधिकार रखने की चेष्टा के कारण आज बहुत सी सड़कों का इन्तजाम ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि दूसरे विभाग की सड़कों के साथ कोआर्डिनेशन कर लें ताकि जनता को अधिक लाभ पहुंच सके, और जनता उनका इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए कोआर्डिनेशन की जरूरत है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय निर्माण मन्त्री ने अपने पहले भाषण में निर्माण सम्बन्धी कार्यों पर पूरे तौर पर इस माननीय सदन के सदस्यों की भावनाओं का आदर करने का और उस पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है। मैं उन्हें बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं और आशा भी करता हूं कि वह इस विभाग के संचालन में पूरे तौर पर देखभाल करके जो भी खामियां होंगी उनके सुधारने का प्रयत्न करेंगे। मैं केवल आपके द्वारा कुछ चन्द बातों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। मेरे जौनपुर के जिले में एक धनियामऊ का पुल बन रहा था, जिसमें बजट के देखने से पता चलता है कि सन् १९५३–५४ में १९ हजार रुपया व्यय हुआ था, सन् १९५४–५५ में उसका एस्टिमेट २१ हजार रुपया रखा गया, और सन् १९५५–५६ में ५ हजार का और एस्टिमेट है। इस पुल में तीसरे दर्जे की ईंट लगायी गयी है। पब्लिक ने वहां की शोर किया, बड़ा आन्दोलन हुआ, तो बाद में उस पुल पर सीमेंट कर दिया गया। वह जो कुछ खामी थी, वह ढक दी गयी। इसी तरह से और भी इमारतें देखी हैं। कई जगहों में नयी नयी इमारतों की ४, ५ वर्षों में दीवालें फट गयी हैं, कहीं छत फट गयी है। कालपी में एक नहर का बंगला बना हुआ है, उसकी यही हालत है। हमीरपुर जिले में चरखारी में एक बंगला है उसकी भी दीवारें और छतें फट गयी। तो इस तरह से जो इमारतें बनायी जायं; जो पुल बनाये जायं, फौरन का फौरन तो पता चल नहीं सकता, लेकिन उसकी डचुरेबिलिटी आदि के ऊपर ध्यान पूरा-पूरा देना चाहिए। यह नहीं कि उसको ऊपर से ढंक दिया जाय और फिर उसका पता भी न चले कि किस किस्म का मैटीरियल इसके अन्दर है या नहीं है। मैंने एस्टिमेट कमेटी की जो रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें एक जगह पर यह है कि जो निर्माण के कार्यक्रम में उपयोग के लिए सामान काफी मात्रा में कोयला और सीमेंट वगैरह इकट्ठा किया गया और बाद में योजनायें बन्द कर दी गयीं तो उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सा सामान खराब हो गया, और बहुत कम मूल्य पर बेचना पड़ा। केवल पुनर्वास योजना पर ९ लाख से अधिक रुपये की हानि हुई। तो इस तरह से जो हानि हो उससे, उस पर तो ध्यान देना चाहिए।

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ इंजीनियर साहब के वैयक्तिक सहायक का दर्जा, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का होता है और उसका वेतन क्रम ६७५ से १,००० तक का है, तो उसमें एक वैयक्तिक सहायक तो केवल मैट्रिकुलेट हैं, कोई टेकिनकल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन उनको वेतन के अतिरिक्त १५० रुपये का एक भत्ता भी दिया जाता था, शायद अब वह बन्द कर दिया गया। लेकिन मैं यह कह रहा था कि यह कहां तक मुनासिब है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो निर्माण विभाग की नियमावली के लिए एक मन्त्री महोदय के वैयक्तिक सहायक को पिछले कई सालों से १५० रुपये का अतिरिक्त भत्ता दिया जाता रहा है, आया वह नियमावली तैयार हुई या नहीं, क्योंकि खर्चा काफी पड़ चुका। अभी माननीय नारायणदत्त जी ने जो ध्यान दिलाया कि जो इस विभाग का एक ट्रांस्पोर्ट डिवीजन है, उसके पास ३१० गाड़ियां हैं, काफी खर्चा उस पर १६ लाख, सत्रह लाख का पड़ता है, और उन गाड़ियों का दुरुपयोग होता है। उस से सस्ते में किराये की गाड़ियों से काम चलाया जा सकता है। तो उसके तोड़ने की सिफारिश की गयी। आया वह तोड़ा गया या नहीं? वह गाड़ियां बेची गयीं या नहीं? मेरा निवेदन है आपके द्वारा कि वह ट्रांस्पोर्ट डिवीजन तोड़ देना चाहिए और इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहता हूं कि इस विभाग के द्वारा जो ठेके वगैरह देने की बात है, उसकी नियमावली का फिर से सुधार हो और एस्टिमेट्स जो आते हैं, वह जितने आते हैं, उनसे बाद में काफी बढ़ जाते हैं। जितना शुरू में एस्टिमेट होता है, उससे कई गुना वह बाद में बढ़ जाते हैं। तो फिर एस्टिमेट्स ऐसे हों कि जो ठीक बैठें और उसकी वजह से जो दूसरे कामों के लेने में कठिनाई पड़ती है, बाद में खर्चा बढ़ जाता है, उस पर तवज्जह होना चाहिए। और जो भी पैसा लगाया जाय वह पूरा का पूरा उन कामों पर लगे। यह न हो कि जितना पैसा मंजूर किया जाय उसका आधा तो काम पर लगे और आधा बरबाद हो जाय, जिसकी शिकायतें आम तरीके पर होती हैं। तो इस तरफ ध्यान देने की कोशिश होनी चाहिए।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, नारायणदत्त जी ने ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की बाबत कुछ कहा, जो कि पी० डब्ल्यू० डी० में हमारे यहां ट्रांस्पोर्ट है, उसकी बाबत कि क्यों खर्चा इन पर किया जाता है और एस्टिमेट्स कमेटी की सिफारिशों को मानने में क्यों देर हुई। मैं पहली बार निवेदन कर चुका था कि कुछ सिफारिशों को मानने में काफी बड़ा एतराज था और बाकी हमारे डिपार्टमेंट के रिऐक्शन्स कर दिये गये थे। लेकिन मैं कह नहीं सकता कि क्यों वह यहां पर नहीं आ सके। शायद अलग-अलग यह सब नहीं आ सकते, सबका सम्मिलित आता है, इसलिए न आ सके होंगे। मेरा खयाल है कि अभी हम लोग सब मिलकर कैबिनेट में विचार नहीं कर सके हैं। लेकिन वह जरूर यहां पर आयेगा। ट्रांस्पोर्ट में जो हमारा खर्चा है, वह कुल ३० हजार के करीब सालाना है, जिसकी बाबत १५-१६ लाख कहा जाता है। मैं तिवारी जी को विश्वास दिलाता हूं कि इस काम की वजह से हमको साल भर में कुछ न कुछ लाभ होता है, नुकसान एक पैसे का नहीं होता, क्योंकि हम यह सब चार्ज कर लेते हैं और हमारे खर्चे में वह मद पड़ती नहीं है, जमा खर्च होता है। जो हमारे ट्रक्स हैं और रोलर्स हैं, वह काम करते हैं। जितना काम करते हैं उसकी आमदनी उसमें जोड़ी जाती है। तो इस तरह से हमें जरा भी उसमें नुकसान नहीं है और इसको अलग रखने में कोई दोष नहीं है। मजदूरों का खर्च जो सड़कों पर काम करते हैं, उनको इस्टैब्लिशमेंट में डालना बिलकुल गलत पद्धति है और अगर कोई स्टेट करती है तो मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह अकाउन्टिंग का बिलकुल ही गलत सिद्धान्त है। जो खर्चा इस्टैब्लिशमेंट का है वह निरीक्षण और सुपरवीजन के सम्बन्ध में आता है। जो ऐक्चुअली लेबर का काम है, जमीन तोड़ना और मकान बनाना, यह सब लेबर का खर्चा है और जिस चीज को बनाया जाता है उसकी कास्ट के अन्दर शामिल किया जाता है और हमारे यहां जो मेन्टिनेंस सड़कों का होता है, उसके अन्दर मजदूरों का वेतन जाता है और पड़ता है और यह जायज है कि वहीं पर पड़े। इस दृष्टि से परसेन्टेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

कुछ आंकड़ों की बाबत बताया गया है कि पुराने आंकड़े और इनमें कुछ में फर्क है। इसका कारण यह है कि पहले साल की रिपोर्ट में सिर्फ फाइव ईयर प्लान के आंकड़े दिये गये थे और इसमें दूसरे भी जो हमारे पहले फेज के आंकड़े थे, पोस्ट-वार रिकन्स्ट्रक्शन के फिगर्स भी शामिल कर दिये गये हैं और मेरा खयाल है कि वह "ए" और "बी" करके दिखाये गये हैं।

मौर्य जी ने एक पुल की बाबत शिकायत की। मुझे भी इस चीज को जानने का मौका मिला तो मेरा भी ऐसा ही खयाल था, जैसा मौर्य जी ने कहा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ईंट बदकिस्मती से बुरी या भली जैसी भी थी, वह हमारे डिपार्टमेंट ने ही सप्लाई की थी और उसमें कन्ट्रैक्टर का कोई दोष नहीं था। इसलिए ईंट बुरी होने की बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि कन्ट्रैक्टर ने कोई बेईमानी या चोरी की। वह पुल अच्छी हालत में है और टूटा नहीं है और जिन इमारतों की बाबत जिक्र हुआ है जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है, हमारी कोई ऐसी इमारत नहीं है जो टूट गयी हो, फूट गयी हो। एक का जिक्र जो किया गया है, वह इस विभाग से ताल्लुक नहीं रखती है और कहां तक उनकी इन्फार्मेशन सही है, मैं नहीं कह सकता हूं। बाकी मैं इतना जरूर निवेदन कर सकता हूं और मौर्य जी से प्रार्थना कर सकता हूं कि वह स्वयं जाकर के देख लें, लाखों करोड़ों रुपयों की बिल्डिंग्स बनी हैं। उनको बनते हुए स्टेज में देख सकते हैं, बनने के बाद देख सकते हैं, अगर कोई नुक्स बता सकें तो हमेशा स्वागत होगा और बहुत कृतज्ञता के साथ उनकी बात को स्वीकार किया जायगा। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस मांग को स्वीकार किया जाय और तिवारी जी अपने कटमोशन को वापस ले लें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मुझे इस बात को जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि वह एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट पर सामूहिक रूप से विचार कर जल्दी ही अपना फैसला इस सदन के सामने रखेंगे। श्रीमन्, जहां तक ट्रांस्पोर्ट डिवीजन के खर्चे के बारे में माननीय मन्त्री जी को सूचना दी गयी है, मैं समझता हूं कि वह जरा सत्य से परे है। क्योंकि वह स्वयं जान सकते हैं---माननीय मन्त्री जी ट्रास्पोर्ट विभाग के भी मिनिस्टर रह चुके हैं---कि जहां ३१० गाड़ियों की फ्लीट हो, उसके मेन्टिनेंस और इस्टैब्लिशमेंट में कुल ३० हजार का सालाना खर्चा हो, यह कहां तक सम्भव है? सारा खर्चा तो १५,८७,००० है, जैसा कि एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट है।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---उसकी जगह आमदनी १५ लाख से ज्यादा हो जाती है। वह तो जमा खर्च है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि नफा नुकसान बराबर हो जाता है, अगर कोई खामी न होती ऐस्टीमेट कमेटी जिसमें माननीय मंत्री जी भी शरीक थे, कभी सिफारिश नहीं करती कि इसको भंग कर दिया जाय।

अब दूसरी बात, श्रीमन्, आँकडों के संबंध में है। मैं यह कहूंगा कि वह दुबारा इस रिपोर्ट के पृष्ठों को देखें। इसमें यह ठीक है कि बाद में सिथाही से यह लिख दिया गया है "पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत तथा" इस प्रगति में प्रथम चरण का कार्य भी शामिल है। "लेकिन आप यह सोचें जहां खर्च की बात है वहां देखा जाय कि पंचवर्षीय योजना में कितना खर्च हुआ और प्रथम चरण की प्रगति में कितना खर्च हुआ यह साधारण सी बात है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति सामने आती है कि प्रथम चरण की प्रगति और पंचवर्षीय योजना के रखने से स्पष्ट सा हो जाता है। मैंने इन दोनों को मिलाकर भी देखा और वह रिपोर्ट मेरे पास है। प्रथम चरण की प्रगति और पंचवर्षीय योजना की फीगर्स मिलाकर आंकड़े गलत साबित होते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । पुरानी रिपोर्ट के आधार पर गल्ती है । इससे मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि कोई प्रगति ही नहीं हुई है । मैं ऐसा कहने का दुस्साहस नहीं कर सक्ता हूं । केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रचार में सत्य की मात्रा होनी चाहिये । कभी ऐसा आभास न हो कि उसमें असत्य का भाषण हो हा हो ।

अंत में मैं फिर निवेदन करूंगा कि उन्होंने कैसे समझ लिया कि हम यह कह रहे हैं कि मजदूरों को इस्टैब्लिशमेंट में शामिल कर दीजिये । मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि जो मजदूर कंट्रेक्टर के साथ दो तीन महीने से काम कर रहें हैं उनको इस्टैब्लिशमेंट में शामिल कर लीजिये बल्कि जो ३० साल से पी०डब्लू०डी० में काम कर रहे हैं उनको शामिल कर लीजिये । मंत्री जी तो ट्रांसपोर्ट के भी मंत्री रह चुके हैं और उन्हें मालूम होगा कि रोडवेज में चौकीदार क्लीनर वगैरा को इस्टैब्लिशमेंट का अंग माना गया है । जिस तरह से रोडवेज में चौकीदार को इस्टैब्लिशमेंट का अंग मानते हैं, जिस तरह से क्लीनर को मानते हैं उसी तरह से पी० डब्लू० डी० में जो ३० साल से अपनी जान खपा रहे हैं उनको तो इस्टैब्लिशमेंट का अंग न मानें और केवल ओवरसीयर तथा इंजीनियर को माने तो यह न्याय प्रियता का तकाजा नहीं है । हमारे मंत्री जी तो गांधी आश्रम के प्रणेता हैं । हम उनसे आशा करते हैं कि वह इस विभाग के कार्य को दक्षतापूर्वक निभायेगें ।

मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे आज इस बात को देख कर कुछ ऐसा आभास मिला और आज तक सदन के इतिहास में पहली ही बार पी० डब्लू० डी० विभाग की इतनी कम आलोचना हुई है । नही तो मैं तीन साल से देख रहा हूं कि इस को प्लंडर वर्क्स डिपार्टमेंट कहा जाता था। लेकिन हम मंत्री जी को मौका देना चाहते हैं कि आने वाले सालों में वह और उनके अधिकारी मिलकर इसकी दशा को सुधारें और इस विभाग को जनप्रिय बनायें ।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, मैं एक योजना का स्वागत करूंगा कि उनके सेक्रेटरी हर जिले में जाकर पंच-वर्षीय योजना के बनाने का कार्य कर रहे हैं, यह सराहनीय है और मैं इसकी प्रशंसा करूंगा और इस प्रकार से जनसहयोग की भावना बढ़नी चाहिए । जहां तक करप्शन और भ्रष्टाचार का प्रश्न है, मन्त्री जी ने नवीन रूप से अभी विभाग का कार्य अपने हाथ में लिया है । मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर उनका ध्यान ठीक तरह से नहीं गया है । हर साल इसमें दस फीसदी और बीस फीसदी की बात मिलती है । यह सही है, अगर मानव स्वाभाव में यह स्वाभाविक है, तब तो ठीक है, वरना कोई रुकावट की प्रणाली निकालें । जैसी हमने पिछले साल मिसाल देकर बताया था कि आप देखेंगे कि आप बैंक बैलेंसेज को चेक करें । अगर किसी कर्मचारी की तनख्वाह कम है और वह बहुत ठाटबाट से रहता है, जो उसकी हैसियत है उस से ज्यादा खर्च करता है, दुगुना खर्च करता है या तिगुना खर्च करता है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं । आप उससे स्टेटमेंट मांग सकते हैं । आप हर एक बात की उसकी जानकारी कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसके पास इतना रुपया आया । इसी प्रकार से और जो दूसरे विभाग हैं, उनके विषय में इस प्रकार से किया जा सकता है और उनको चेक किया जा सकता है ।

आजकल जो टेंडर का सिस्टम है उसमें लो टेन्डर को मंजूर कर लिया जाता है । उस लो टेन्डर को मंजूर करने के बाद जब काम खराब होता है, और अच्छा काम नहीं होता है तो फिर से उसका रिवीजन होता है और फिर उस ग्रान्ट को बढ़वाने की कोशिश की जाती है । यह चीज नहीं होनी चाहिए । मुझे इस बात का दुख ह कि रेट्स कमेटी ने इस काम को पूरा नहीं किया है और कोई ठीक फैसला करके अपनी सिफारिश नहीं की है । इस प्रकार से जो टेन्डर को मानने का सिस्टम है,वह हमारे डेवेलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार समाज की प्रगति का सूचक नहीं है । इस बात की आवश्यकता है कि विकास की प्रणाली, यह राज्य मार्ग निर्माण की प्रणाली,

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सार्वजनिक मार्ग की प्रणाली, ठेकेदारों की प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन किया जाय। अगर आगामी वर्ष में हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब से मिलकर,नीचे के अधिकारियों से मिलकर अगर माननीय मन्त्री जी इस विभाग को बदल सकें, और इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकें, तो वे बधाई के पात्र होंगे अन्यथा जिस प्रकार से और साल इस विभाग की आलोचना हुई है उसी प्रकार से सख्त आलोचना का सामना माननीय मंत्री जी को अगले साल भी करना पड़ेगा।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्,मुझे विशेष कुछ श्री तिवारी जी के उत्तर में नहीं कहना है। मैं इतना कह सकता हूं कि जिन सिद्धान्तों को गांधी आश्रम में लागू किया गया है, बिलकुल उन्हीं सिद्धान्तों को सामने रखकर मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों का वेतन इस्टैब्लिशमेंट में नहीं आ सकता है, चाहे वह ३०, ४० या ५० साल से काम करते हों। जिस प्रकार से गांधी आश्रम में कातने वाली और बुनने वाले पर जो खर्च पड़ता है, वह इस्टैब्लिशमेंट में नहीं जा सकता है। पत्र-व्यवहार, इन्तजाम, लिखना आदि जो कार्य है, वह सब सुपरविजन में जाता है। यह बिलकुल गलत सिद्धान्त है कि सब आदमियों को जिनको रखा गया है, चाहे वह बुनने वाले और कातने वाले हों, उनका वेतन इस्टैब्लिशमेंट में चला जाय। यह किसी तरह से किसी जगह का सिद्धान्त नहीं है। श्री नारायणदत्त तिवारी जी इस चीज को नहीं समझ सके यह मेरी बदकिस्मती है और मेरे समझाने की अयोग्यता है। लेकिन मैं उनको इतना विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी ट्रेड का यह सिद्धान्त नहीं है कि जो आदमी लेबर में काम करता है, उसको इस्टैब्लिशमेंट में शुमार किया जाय, सिर्फ इसलिए कि वह आदमी डेली वेजेज न लकर मन्थली वेजज लता है। मैं अधिक निवेदन करना नहीं चाहता हूं। मुझे आशा है यह अनुदान स्वीकार किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वैसे तो लाखों रुपया लैप्स हो जाता है, लेकिन एक रुपये को लैप्स करने में माननीय मन्त्री जी को दिक्कत होगी। इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के आय-व्ययक में अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण कार्य—स्थापना पर व्यय (लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत ६०,६९,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या ४६—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत (लेखा शीर्षक : ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा) के अन्तर्गत ७,९२,३९,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

इस मांग के विवरण में जो बजट का साहित्य दिया गया है, उसमें काफी खुलासा दिया गया है और अगर मुझे कुछ निवेदन करना होगा तो फिर माननीय सदस्यों की आलोचना होने के बाद अन्त में करूंगा। मुझे आशा है कि इस मांग को स्वीकार किया जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसमें मैं १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह इस विभाग का सबसे बड़ा अनुदान है और इस अनुदान में प्रायः बहुत सी बातों का समावेश किया गया है। मुख्यतः इसमें दो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं। एक तो अनइम्प्लायमेंट रिलीफ के लिये ढाई करोड़ की और एक दूसरी स्कीम है जो बहुत बड़ी है, वह है आर्थिक महत्व की सड़कों की जो कि भारत सरकार की सहायता से बनती है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे नये अनुदान हैं। कुछ रुपया, जो अगली फाइव इयर प्लान बनेगी, उसकी सज्जा के लिये भी मांगा गया है। सेंकिड फाईव ईयर प्लान की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी तो वह २१ करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी थी। लेकिन जब कार्यान्वित होने का मौका आया तो करीब साढ़े पांच करोड़ रुपया का काम हो पाया। अभी माननीय गोवर्द्धन तिवारी जी ने ग्रिड एंड स्टार फारमूले का जिक्र किया मैं उस सम्बन्ध में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा गोवर्धन तिवारी जी ने बताया यातायात का मुख्य साधन रेल है। प्राचीन समय में नावें भी गंगा यमुना में चलती थीं, अब हवाई जहाज भी चलते हैं। लेकिन पर्वतीय इलाके में मोटर यातायात के अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं है। जो पंचवर्षीय योजना बनी थी उसमें ग्रिड एन्ड स्टार फारमूले के अनुसार ५६३ मील मेटिल्ड रोड और ८३९ मील नानमेटिल्ड रोड्स, यानी १,४०२ मील रोडस गढ़वाल में बननी चाहिये थी। माननीय जयेंद्रसिंह विष्ट जब बोल रहे थे तो माननीय मन्त्री जी ने वह चित्र दिखाया था। इस चित्र को देखने से मालूम होता है कि वह काल्पनिक है। मालूम होता है कि बद्रीनाथ के मार्ग का है, लेकिन बद्रीनाथ का मार्ग तो बहुत लम्बा है। तो इस चित्र से यह तो ज्ञात नहीं होता है कि कहां का है, और यह अभी तक बना भी नहीं है। आशा है अब यह पहली पंचवर्षीय योजना में ही बन जायगा। पहली पंचवर्षीय योजना में गढ़वाल में कवल १० मील की सड़क बनी है। पिछले वर्ष भी हमने कहा था और मन्त्री महोदय और चीफ इन्जीनियर साहब वहां गय थे, और उन्होंन वहां के लोगों की दिक्कतों को देखा था। कार्य प्रारम्भ हुआ, लेकिन कुछ सन्तोषजनक नहीं हुआ।

छोटे-छोटे पुलों के नये आइटम भी इसमें रक्खे हैं। इस आइटम में ६ पुल बनाये गये हैं। पैदल पुल मंदाकिनी और अलखनन्दा नदी पर बनेंगे। ४६ में कुछ पुल अलखनन्दा पर बनने की योजना थी और जिसके लिए ५१ में रुपया सैंक्शन हुआ, लेकिन वे अभी तक नहीं बन पाये हैं। ये पुल जो कि ५१ में बनने चाहिये थे अभी तक नहीं बन पाये हैं जब कि वहां पर आने जाने के और कोई साधन भी नहीं हैं। फर्स्ट फाइव इयर प्लान में १,४०० मील सड़कों का जिक्र किया गया है, लेकिन गढ़वाल में केवल १० मील सड़के बनीं। माननीय मन्त्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जहां पर यातायात की बहुत ही ज्यादा कमी है, या बिलकुल ही नहीं है, पहले वहां ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वे मेटल्ड रोड्स हों, या अनमेटल्ड रोड्स हों।

इसके बाद इसमें जो अनएम्पलायमेंट रिलीफ के लिये अनुदान आया है वह सबसे खास चीज है और जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से मिलेगा। उसके अनुसार १५८ मील सड़क बनेगी। अल्मोड़ा जिले में मेटल्ड रोड बनेगी और करीब ४० मील पैदल सड़क भी जिला अल्मोड़ा में बनेगी जिला गढ़वाल के अन्दर भी पैदल सड़क बनाने की योजना है। जोशीमठ से नीति गांव तक पैदल सड़क बनेगी जो ४८ मील है और नीतिगांव से नीतिदर्रा वाली सड़क २५ मील। इस तरह से ७३ मील पैदल सड़क वहां बनेगी। इसके लिये मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव इसलिये आवश्यक है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की पालिसी होगी कि बार्डर

[श्री गंगाधर मैठाणी]

पर मोटर रोड बने या न बने और इसी के अनुसार काम होगा। इस तरह से अल्मोड़ा में ४० मील सड़क बनेगी और टिहरी में भी बार्डर पर ३० मील सड़क बनेगी। तो मेरा सुझाव यह है कि यदि मलारी से होते हुये सड़क जाने से नीतिगांव के और नीतिदर्रा वाले मार्ग के बजाय सड़क को बुरांस गधेरा से डाइवर्ट कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि जोशीमठ से होती तिब्बत ४८ मील ही रह जायगा। इस प्रकार तिब्बत के लिये उत्तर प्रदेश के रेलहेड से हरिद्वार जोशीमठ होते हुये होती सबसे कम दूरी का रास्ता पड़ता है। तो इस तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। इस के बाद मैं एक और आवश्यक बात कहना चाहता हूं कि रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी के लिये दो लाख रुपये का अनुदान है। और बद्रीनाथ के लिये भी ३३ लाख रूपया रखा गया है लेकिन वहां पर जो केदारनाथ का मंदिर है उसका बड़ा भारी महत्व है और टेहरी तथा गढ़वाल दोनों जिलों से उस का सम्बन्ध है। सन ४६ में वहां काम प्रारम्भ हुआ था और वहां पर चीफ इंजीनियर तथा मंत्री महोदय ने काम प्रारम्भ कराया था जिसके लिये दो लाख रूपया स्वीकृत था। तो इस प्रकार से इस सड़क को भी नेशनल हाईवेज बनाना आवश्यक है। यह सड़क केवल ११ मील ही बन पायी है। इतना तेज काम नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिये था। रुद्रप्रयाग और गुप्त काशी के बाद १२ मील सड़क और होगी और उसके आगे सोमद्वार से केदारनाथ १२ मील रह जाता है। तो इस सड़क को भी पंचवर्षीय योजना में बन जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वहां पर चमोली तहसील तथा गढ़वाल और टेहरी के लिये उसकी बहुत आवश्यक्ता है। वहां की सड़कों को बनाने में कोई बहुत ज्यादा व्यय भी नहीं है। वहां की सड़कें थोड़े से रुपये में ही बहुत अच्छी बन सक्ती हैं। चूंकि समय नहीं है इसलिये अब मैं बैठ जाता हूं।

श्री दीनदयाल शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन् मैं अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने इस अनुदान द्वारा प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों को यातायात के साधन देने की कोशिश की है। मेरे से पूर्व के वक्ता ने गढ़वाल जिले की कुछ आवश्यक्ताओं पर प्रकाश डाला है। मैंने इस अनुदान में अपने सहारनपुर जिले की आवश्यकताओं को देखा है। माननीय मन्त्री जी ने इसमें सहारनपुर जिले की चार सड़कों का उल्लेख किया है। उनमें से एक सड़क गंगोह से तितरी तक जाती है। पिछले दो साल से यह बजट में आ रहा है और उस सड़क के बनने से नकुड़ तहसील का वह भाग जिसमें रेलवे का प्रवेश नहीं है, हमारे देश के अन्य भागों से मिल जाता है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से सिफारिश करता हूं कि उस सड़क को अगर वे अधूरा रखते हैं, तो सहारनपुर के नकुड़ तहसील के उस हिस्से से देहली तक जाने के लिए मोटर के अलावा और कोई साधन नहीं रहता है। इसलिए उस सड़क को पूरा कर देना चाहिए और उसे जलालाबाद तक मिला देना चाहिए, ताकि वह सहारनपुर-दिल्ली सड़क की एक कड़ी बन जाये। दूसरी सड़क का जिक्र एकबालपुर शूगर मिल के लिए किया गया है। उसके लिए बजट में ११ लाख रुपया रखा गया है। इस पर थोड़ा काम हुआ है और शूगर मिल को उससे बहुत लाभ पहुंच सकता है। आवश्यकता है कि सहारनपुर के मध्य भाग के गांवों के गन्ने को वह मिल पेरे। इसके वास्ते उसके दोनों ओर उत्तर-दक्खिन रुड़की और सहारनपुर के गांवों को मिलाने का प्रबन्ध किया गया है। बेहट से शाकुम्बरी देवी तक की सड़क के लिए भी इन्तजाम किया गया है, जहां पर मेला होता है, लेकिन यह सड़क इतनी उपयोगी नहीं हो सकती है जितनी कि उस वक्त हो सकती है जब कि उसे फतेहपुर से मिला दिया जाय, ऐसा करने से उस सड़क का सम्बन्ध दो और सड़कों से हो सकता है। एक तो उस से जो चकरौते से सहारनपुर जाती है और दूसरी उससे जो सहारनपुर से देहरादून को जाती है। उनको अगर मिलाया जाता तो अधिक अच्छा होता। इस तरह से मिलाने से शाकुम्बरी देवी और बेहट का कुल इलाका दूर तक मिलाया जा सकता है। इस के अलावा जो देवबन्दनानोता तक की जो सड़क है, वह भी शूगर मिल क्षेत्र में बहुत उपयोगी

सिद्ध होगी और उसकी बड़ी आवश्यकता है। लक्सर के चारों तरफ कोई सड़क नहीं है और उसके बगैर पूरा गन्ना वहां नहीं पहुंच सकता।

अतः लक्सर मिल के पड़ोसी गांवों को भी उस मिल से सड़क द्वारा मिलाना चाहिए।

एक सड़क का मैं जिक्र करना और आवश्यक समझता हूं। रुड़की से बद्रीनाथ की सड़क अभी अधूरी रह गयी है और हरिद्वार में उसका काम पूरा नहीं हुआ है, वह चौड़ी होनी चाहिए, ताकि मेले के दिनों में लोगों को सुविधा हो। इस विभाग के सेक्रेटरी जब पिछली बार वहां गये थे तो हमने उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित भी किया था कि अगर स्टेशन से दूसरी तरफ भीमगोडे को वह सड़क नहीं मिलाती है तो हर की पेड़ी का बाटलनेक दूर नहीं होता है। इसलिए उस रास्ते को अगर चौड़ा करके मिला दिया जाय तो मेले के दिनों में बड़ी सुविधा हो सकती है। इससे यात्रियों को भी बहुत उपयोगिता मालूम होगी। इसलिए अन्त में मैं यही कहूंगा कि बद्रीनारायण से रुड़की की सड़क को पूरा किया जाय और हरिद्वार से भीमगोडे तक चौड़ी सड़क बनायी जाय, क्योंकि इन सड़कों की बहुत आवश्यकता है। हरिद्वार के पास जो बाटेलनेक बना हुआ है, उसको हमें किसी तरह से जल्दी ही दूर करना चाहिए और उस सड़क को पूरा करना चाहिए।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)--अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके लिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी को बधाई देता हूं। चाहता तो मैं यह था कि विभाग की कार्यप्रणाली और प्रस्तावित बजट की कुछ बातों के विषय में विवेचना करता, लेकिन चूंकि समय कम है, इसलिए जो मेरे जिले से सम्बन्धित बहुत आवश्यक बातें हैं, उन्हीं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकूंगा। सन् ५० से अब तक लगातार हर वर्ष सरकार का ध्यान दिलाने के बाद इस वर्ष ऐसा मालूम होता है कि सरकार का ध्यान रामपुर की ओर भी आकर्षित हुआ है। इस जिले की तहसील शाहबाद की जनता, जो प्रतिवर्ष करीब सात आठ महीने तक सारी दुनिया से प्रायः अलग सी रहती है, उसका नाता मुरादाबाद जिले की तहसील बिलारी से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने को १ लाख रुपया सरकार ने इस वर्ष इस बजट में रखा है, इसके लिए मैं मन्त्री जी को, उनके कर्मठ उपमन्त्री जी को और उनके विभाग को बधाई देता हूं। लेकिन म अपने जिले और मुरादाबाद की तहसील बिलारी की जनता की ओर से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस एक लाख रुपये को तो इस काम के लिए लगावे ही, लेकिन अगर उस सड़क को पूरा करने के निमित्त इसी वर्ष इस एक लाख के अतिरिक्त और धन की भी आवश्यकता पड़े. तो उसको भी लगाकर इस सड़क को जल्द ही बना कर पूरा करे। इसके अलावा केवल इस सड़क के बन जाने से ही हमारे यहां की समस्या पूरी नहीं हो जाती। एक मसला रामगंगा के पुल का है, जब तक कि वह पुल हमारी योजना में शामिल नहीं होता, तब तक वहां के लोगों के दुख का निवारण नहीं हो सकता।

इसके अलावा इस अनुदान के अन्तर्गत बेकारी दूर करने के शीर्षक में ३१ सड़कों का वर्णन है केन्द्रीय सरकार से मिली हुई सहायता के आधार पर, उसमें रामपुर को नपा करके मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। अध्यक्ष महोदय, सम्भव है कि सरकार के विभिन्न विभागों से जो आंकड़े बनाये जाते हैं और जो सूचनायें प्राप्त होती हैं उनमें कुछ गलतियां रह जाती हैं, वरना रामपुर में जिस तरह की बेकारी उसके विलीनीकरण के बाद से चल रही है उतनी हो सकता है कि और जिलों में भी हो, लेकिन उससे अधिक कहीं नहीं होगी और वहां कोई अन्य टेस्ट वर्क या रामगंगा के पुल पर कोई कार्य विभाग की ओर से होना अनिवार्य है ताकि वहां के लोग महसूस कर सकें कि मर्जर के बाद वहां की बेकारी को दूर करने की ओर सरकार का ध्यान गया है। इस विभाग के

[श्री कृष्णशरण आर्य]

सम्बन्ध में अनेकों बातें कही गई हैं, परन्तु माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने ठीक ही कहा है कि वह पिछले वर्षों की अपेक्षा कुछ भी नहीं हैं। यह इसलिये ही कि माननीय निर्माण मंत्री और उनके कर्मठ उपमंत्री जी से आशा की जाती है कि उनके प्रभाव से उनके विभाग के कुछ छोटे कर्मचारियों से जो शिकायतें हैं वह दूर होंगी और इस प्रकार प्रदेश के निर्माण के साथ-साथ उनके चरित्र का भी क्रियात्मक निर्माण होगा।

*श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं। अपने जिले के कुछ कामों की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जिले में एक तहसील है मरियाहूं। वहां बरसात के दिनों में कचेहरी तक पहुंचने में बड़ी असुविधा होती है। तो कई बार यह सुझाव आया और जिलाधीश ने भी यहां एक प्रस्ताव भेजा है केवल सड़कों के लिये। इस साल श्रमदान सप्ताह में करीब २०० मील कच्ची सड़कें श्रमदान द्वारा बनाई गई, लेकिन पक्की सड़कें बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार की हो जाती है। वहां एक सड़क है जो २६ मील तक है। वधवा से किशनपुर तक जाती है और बनारस, इलाहाबाद से वह मिलती जुलती है। बसई नदी वहां है और वहां की जनता मिल कर एक लाख रुपये से उस पर पुल बनाना चाहती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ने कहा कि वह कोई नक्शा जब तक तैयार नहीं कर सकते जब तक चीफ इंजीनियर से इजाजत न मिल जाय। मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय उस पर भी ध्यान देंगे। दूसरी एक सड़क है सुजानगंज, मछलीशहर-मरियाहूं होकर कुरेका तहसील होते हुए उस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० ने लिया था। कुछ काम किया, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया। वह यों ही पड़ी है, जिससे उस पर चलने में बड़ी असुविधा होती है और किसी तरह से गाड़ी नहीं चलती। एक सड़क रामपुर से बनारस तक जा रही है। बनारस की सरहद पर वह मिलती है। बसई एक नदी है। अगर उसका पुल निर्माण कर दिया जाय तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस सड़क पर कंकड़ वगैरह डालने का काम हम करवा लेंगे, लेकिन पुल बनाना तो जनता की ताकत के बाहर की बात है। एक सड़क और सन् ३७ में ली गई थी जो सुजानगंज-बादशाहपुर होते हुए फैजाबाद तक जाती है। २०, २५ मील उस पर काम किया गया फिर छोड़ दी गई। सैकड़ों मील तक वह सड़क है और कई जिले उससे सम्बन्धित हैं। उस पर बहुत ज्यादा आदमी चलते ह। इसलिये मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि मरियाहूं में जहां ५ साल से सूखा पड़ा हुआ है, बड़ी परेशानी वहां पर है, रुपया भी जनता के पास नहीं है, जनता ने श्रमदान के द्वारा तो अपना हिस्सा अदा कर दिया है, लिहाजा माली मदद देकर मंत्री महोदय वहां की सड़कों को दुरुस्त करा दें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि श्रीमान् ने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज मैं अपने बस्ती जिले की सड़कों की हालत सरकार के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं। १०० मील के करीब वहां दो तीन सड़कें हैं जो जिले के गोशे-गोशे को मिलाती हैं। लेकिन उनकी जो दशा है वह शोचनीय है। मुझे खुशी है कि मंत्रिमंडल में उस व्यक्ति के हाथ में यह विभाग सौंपा गया है जो विनोबा भावे की स्कीम को कैरी-आउट करने वाला है, जिन्हें भूदान यज्ञ में काम करने में सफलता प्राप्त हुई है, वैसे ही उन्हें सड़कदान में सफलता प्राप्त हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम भी कन्धे से कन्धा मिलाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चलेंगे और जनता जनार्दन पूरे सहयोग के लिये तैयार है और सड़क बनाने में श्रमदान पूरे तौर से देने के लिये तैयार हैं। लेकिन मैं सरकार से कहूंगा कि इस सरकारी रकम से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि खामख्वाह रुपया ठेकेदारों और सरकारी अफसरों को खाने को मिलता है। यह करप्शन का डिपार्टमेंट है। यह मेरा दावा है कि उसमें बड़ा अन्धेर है। इस डिपार्टमेंट में हरिजन एक आध ही हैं, वे भी कान पकड़ कर बाहर निकाल दिये जाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि जो वहां आवें भी उनको निकाल दिया जाय। सड़कों की हालत निहायत शोचनीय है। मीन्स आफ कम्युनिकेशन निहायत अनिवार्य हैं और नयी सरकार का परम कर्तव्य है कि सड़कें जिनकी आज देश को सबसे अधिक आवश्यकता है, उनको जनता के लिये अधिक से अधिक सुलभ करे। मैं देखता हूं कि आये दिन हमें जब बाहर देहातों में जाना पड़ता है या अगर किसी को बाहर से बुला कर उसको ले जाना पड़ता है तो उसमें कितनी दिक्कत होती है। कोई बुड्ढा आदमी आता है, कोई कमजोर आता है और वह सब इन खराब रास्तों में परेशान हो जाते हैं और यह तो उज गन्ने के किसानों से पूछिये कि जिनको गाड़ियां लेकर उन मिल मालिकों के दरवान पर जाना पड़ता है कि जिनके पास लाखों रुपया जमा हैं। बभनान मेरी कांस्टीटचूयेंसे में है और वहां की सड़कों को देख कर आंसू निकल आते हैं। मिल मालिकों के पास पैसा भरा पड़ा है लेकिन वह कुछ नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट को पेश किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि उन्होंने इस डिपार्टमेंट को नया-नया लिया है, इसमें काफी तरक्की होगी। चिलिया बाजार से कप्तानगंज तक एक वह सड़क है कि जहां न तो कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट है और न कोई स्कीम। वहां पर लोग लाल झंडी लिये हमेशा ही घूमते हैं और वहां के लोग परेशान हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इसको देखें। बभनान की सड़क बहुत ही खतरनाक है और अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो छोटे ग्रेड वाले हरिजन रखे गये हैं उनको रखा जाय और निकाला न जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को और उनके विभाग को धन्यवाद देता हूं कि जिनकी कृपा से और परिश्रम से मेरे जिले के दुद्धी क्षेत्र में वह सूरत पैदा हो गई है कि हमको आज यह सुविधा हो गयी है कि अब चार घंटे में हम जहां पहुंच सकते हैं पहले वहां चार सप्ताह में भी नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जिसकी ओर हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है और न उनके विभाग का ही ध्यान गया। वह बात यह है कि हमारे मिर्जापुर जिले में एशिया प्रसिद्ध रेहन्द बांध बन रहा है, उसके लिये जो सड़क बन रही है वह मिर्जापुर से दक्षिण की तरफ पिपरी तक जा रही है। इस सड़क का पूरा उपयोग तब होगा जब कि उसका सम्बन्ध उन १६ उत्तरी जिलों से स्थापित किया जायगा, जिनको कि रेहन्द डैम का फायदा मिलने वाला है। मेरी राय है कि जब तक गंगा जी पर एक पक्का पुल नहीं बन जायगा उस वक्त तक इसका पूरा उपयोग नहीं हो सकता। रेहन्द बांध जिस पर ३५ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा, जितना कि होना चाहिये अगर यह सड़क गंगा नदी पर पुल बना करके उन १६ उत्तरी जिलों से न मिलाई गई। मैं समझता हूं कि इस पर सरकार का अभी से पूरा ध्यान जाना चाहिये। अन्यथा अगर पीछे पुल में हाथ लगाया गया, जिसे करना अनिवार्य ही होगा, तो इस योजना के पूरा होने में और पूरा लाभ मिल पाने में उतना ही विलम्ब लगेगा। इसलिये मैं समय पर यह चेतावनी सरकार को देना चाहता हूं और उसे आगाह करना चाहता हूं कि अगर इस सड़क को गंगाजी

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

पर पुल बना कर जौनपुर, गोरखपुर और फैजाबाद आदि उन १६ जिलों से मिला दिया जाय जहां रेहन्द बांध योज़ना का विस्तार होने वाला है तभी मैं समझता हूं कि उनको यथार्थ फायदा होगा। गंगा जी पर पुल बनाने से, जो हर साल आप एक लाख रुपया लगाकर नावों का पुल वहां बनाते हैं और उसे हर साल तोड़ते हैं उसकी बचत हो जायगी और उसी रुपये से यह पुल बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमारी प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी करे तो मेरा विश्वास है कि रेहन्द बांध योजना में गंगा जी का पुल शामिल कर लिया जा सकता है।

एक दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मिर्जापुर शहर के घाट टूटते चले जा रहे हैं और मिर्जापुर शहर धीरे-धीरे गंगा जी की गोद में विलीन होता जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां के घाटों की तरफ ध्यान दिया जाय और उनके जीर्णोद्धार की व्यवस्था की जाय।यह पुल बनने से घाटों की भी रक्षा हो जायगी, क्योंकि इससे धारा के बहाव का अवरोध हो जायगा और जो घाट टूटते जा रहे हैं उससे उनकी बचत हो जायगी।

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता तो जरूर है कि हमारे नये मंत्री, जिन्होंने इस विभाग का भार अपने ऊपर लिया है उनसे बड़ी-बड़ी आशायें हैं। लेकिन मैं उनका ध्यान इस ओर जरूर दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में दो विभाग बहुत ही ज्यादा बदनाम हैं। एक तो पुलिस और दूसरा यह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जहां तक पुलिस का सवाल है वह कुछ व्यक्तियों से रुपया वसूल करती है। लेकिन जहां तक पी० डब्ल्यू० डी० का सवाल है उसमें सार्वजनिक धन हमारा जाया जाता है और जो हमारे सरकारी कोष में रुपया आता है उसका इस तरह से दुरुपयोग हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज हम यह देखते हैं कि हमारे प्रदेश में सारे भारतवर्ष में निर्माण का युग है और इस समय एक-एक पैसा हमको इस तरह से लगाना चाहिये कि वह कारामद हो और अच्छी तरह से उसका उपयोग हो। लेकिन अगर हमारा जितना निर्माण होगा पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा उसके तखमीने इस किस्म से रखें जायंगे कि उसमें इस बात की गुंजायश रखी जाय कि उनको ठेकेदारों से इतना प्रतिशत मिलना है, ओवरसियरों से इतना मिलना हो, उससे हम समझ सकते हैं कि जितना धन दिखलाया जाता है कि इस निर्माण में लगेगा वह असल में अधिक दिखाया जाता है और अगर उसकी बचत की जाय तो और भी निर्माण कार्य हो सकते हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि इस तरफ ज्यादा छानबीन की जाय। और इसका मौका न दिया जाय कि इतना धन इस तरह से बर्बाद हो। मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि जो ठेकेदारों की प्रथा है उसको धीरे-धीरे खत्म किया जाय और यह ठेके अगर हमारी गांव सभाओं को दिये जायं तो यह जो भ्रष्टाचार है उसमें बहुत कुछ कमी हो सकती है और हमारी जो गांव सभायें हैं उनको ठेका देने से भ्रष्टाचार की नौबत नहीं आवेगी क्योंकि गांव सभायें जो हैं वह कोई रिश्वत वगैरह नहीं देंगी। और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि गांव सभाओं का रेट जो है वह ठेकेदारों से कम ही होगा। तो अगर यह प्रथा चलायी जाय और कुछ तजुर्बा हासिल किया जाय और कामयाब हों तो मेरी समझ में यह सब से अच्छा रास्ता इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिये होगा। बहुत सी हमारे प्रदेश में सड़कें हैं जिनका निर्माण नहीं हो पा रहा है और बहुत से पुल भी हैं जिनका बनाना आवश्यक है। मैं यह समझता हूं कि अगर टोल सिस्टम पर विचार किया जाय और उस आमदनी का भी ख्याल किया जाय तो हो सकता है कि उसकी आमदनी के जरिये से हम खुद कुछ और निर्माण कार्य कर सकेंगे। इस पर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे इस पर गौर करें और अगर यह उपयोगी साबित हो तो इसे कार्य रूप में परिणित किया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने पिछले दो तीन सालों में अच्छा काम किया, और काफी प्रगति की है। मगर इसके साथ-साथ यह भी सही है कि पी० डब्ल्यू० डी० विभाग अंग्रेजों के जमाने से काफी बदनाम है और इसके अन्दर आज भी बहुत सी कमियां बाकी हैं। इस सिलसिले में ऐस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इस भवन के सामने पेश की थी और मैं यह आशा करता था और अब भी आशा करता हूं कि सरकार उसकी तरफ ध्यान दे और उनमें से, मैं तो समझता हूं, सभी को माने तो अच्छा है। इसके अलावा दो, एक बातें और कहना चाहता हूं यह कि आज भी पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर एक शेडयूल आफ रेट्स है जो बहुत पुराना हो चुका है और आज के बदले हुए जमाने में जब कि चीजें काफी सस्ती हो चुकी हैं, मैं समझता हूं कि इसको फिर से दोहराया जाय क्योंकि इसमें बहुत काफी कमी होने की गुंजायश है। एक चीज यह भी कहना चाहता हूं कि आज भी इस डिपार्टमेंट में यह तरीका है कि जो ओवरसियर होता है वही ठेकेदारों के जो बिल्स होते हैं उनको बनाता है और खुद पैमाइश करके उनको देता है और उनके बिल बनाता है। यह एक सबसे बड़ी जड़ है हमारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की। तो मैं यह चाहूंगा कि जो हमारे सरकारी ओवरसियर हैं उनका काम तो केवल सुपरवाइज करने का हो न कि वह ठेकेदार के अनपेड इम्प्लायी की तरह से उसका काम करें। तो सरकार इस तरफ ध्यान दें और इस बात का आदेश दे कि हमारे ओवरसियर इस काम को नहीं करेंगे। दूसरा सवाल टेंडर्स का आता है। लोएस्ट टेंडर का और हाएस्ट का। होता असल में यह है कि जिस ठेकेदार का फेवर करना होता है उसको किसी तरह से लीक आउट हो जाता है और वह किसी खास (पर्टीकुलर) चीज का लोएस्ट टेंडर दे देता है। बाद को यह होता है कि उसी आइटम को इंजीनियर्स चेंज कर देते हैं और उससे उनको काफी पैसा मिल जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो तब्दीली होती है डिजाइंस में, वह कम से कम की जायं। इंजीनियर्स को इस बात का आदेश हो कि जिस चीज का एस्टीमेट मांगते हैं, या जिसका टेंडर मांगते हैं, उसके अन्दर आम तौर से तब्दीली करने का उनको अधिकार न हो जब तक कि स्पेशल सरकमस्टांसेज न हों। देखा यह गया है कि आम तौर से सभी में तब्दीलियां कर दी जाती हैं।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि इंजीनियरिंग जो विभाग है उसका यह भी फर्ज है कि जो हमारी बिल्डिंग्स वह बनायें, वह सस्ती से सस्ती बनाने की कोशिश करें। आज हमारे पास पैसे की कमी है और हमारे देश के अन्दर चारों तरफ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, विकास के कार्य चल रहे हैं। तो आज इंजीनियर साहबान की खूबी इस बात में है कि वह हमको सस्ती से सस्ती मजबूत इमारत दें। मिसाल के तौर पर जो दारुलशफा की इमारत बनी, तो जब इसकी कीमत का अन्दाजा लगाया गया तो एक मेम्बर साहब के सूट की कीमत २२ हजार से ऊपर आती है जब कि अभी जो हमारे उपमंत्रियों के लिए ४ क्वार्टर्स बनाये हैं, जिनमें कि चार-चार, पांच-पांच कमरे हैं, उनकी कीमत २३ हजार आती है। तो यह देख कर दुःख होता है कि एक-एक मेम्बर के लिए जो सूट बनाये गये उसके लिए कितने पैसे की बर्बादी हुई या अगर बर्बादी नहीं हुई तो कम से कम ठीक से पैसे का खर्च नहीं हुआ।

आखिरी चीज यह है कि काफी मोटरें, जीप, पिकअप वगैरह इस विभाग के पास हैं। शुरू से मेरा तो यह निश्चित मत है कि जो गवर्नमेंट की इतनी गाड़ियों की फौज तमाम मुहकमों के पास है, इनका बहुत गलत इस्तेमाल होता है और वह किसी की प्रापर्टी तो है नहीं, इसलिए वह बहुत जल्दी टूट-फूट जाती है। तो बार-बार मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह जो तरीका है गाड़ियों को खरीदकर देने का यह बन्द होना चाहिए। सरकार को चाहिये कि वह ऐसा कर दे कि जिनको खरीदना हो वह अपने पास से खरीदें और जिनके पास पैसा न हो, उनके

[श्री नवलकिशोर]

लिए सरकार यह कर सकती है कि उनको कम सूद पर पैसा दे दे। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बातों पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं साथी मैठाणी जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के किसी विभाग की भ्रष्टाचार की शिकायत की जाय यह अनुपयुक्त सा लगता है। मैं तो अब यह सोचने लगा हूं कि भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल न करके पुरस्कार शब्द का इस्तेमाल किया जाय तो अच्छा होगा। अब मैं और माननीय सदस्यों से भी विशेषत: श्री नवलकिशोर जी से यही आग्रह करूंगा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग न करें। भ्रष्टाचार शब्द के स्थान पर पुरस्कार शब्द का प्रयोग करें। इस सदन में यही परिपाटी सी मालूम हो रही है और खास कर सरकार के मंत्रियों द्वारा अपनाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, सड़कें बड़ी ज्यादा तादाद में बनती चली जा रही हैं लेकिन योजना पूर्वक नहीं बनाई जातीं हैं। मेरा ख्याल है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। सब से ज्यादा आवश्यकता सड़कों की उन स्थानों के लिए हुआ करती है जहां आने-जाने का कोई रास्ता न हो, वहां के लोग पिछड़े हों, बाढ़ पीड़ित एरिया हो, दुर्गम स्थान हो, जैसा हमारे साथी ब्रजभूषण मिश्र जी ने कहा, ऐसे स्थानों पर सड़कें बनें। तो मैं समझता हूं कि सड़कों से वहां का विकास हो सकता है। सड़कें इसलिए बनायी जाती हैं कि पिछड़े हुए क्षेत्र विकसित हों, लेकिन इसका खयाल सरकार करती नहीं है। इसके पहले माननीय मंत्री जो इसके रहे हैं, माननीय उपमंत्री शर्मा जी बैठे हुए हैं जो कि इस विभाग को सम्भालने वाले थे। एक मर्तबा, दो मर्तबा नहीं ३ साल के जमाने में पचासों बार तो हमने लिख कर दिया होगा कि आजमगढ़ जिले की बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की जो सड़कें हैं उन्हें जल्दी बनाया जाय। आवेदन पत्र तो पन्त जी द्वारा भी मांगे गये लेकिन प्रार्थना-पत्र ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक दिन हमने माननीय उपमंत्री, लक्ष्मीरमण जी से भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि ऐप्लीकेशन दो, देखा जायगा। तो क्या अब मैं यह सोचूं कि जैसे पहले प्रार्थना-पत्र रद्दी खाने की टोकरी में रखे जाते रहे हैं उसी तरह यह भी रख दिया जायगा? आजमगढ़ जिले के सम्बन्ध में भी मैंने लिख कर दिया है और ऐसी बहुत सी सड़कें प्रदेश में हैं। आजमगढ़ के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि कई सड़कें आजमगढ़ जिला बोर्ड को वापस की गयीं। सड़कें वापस कर दी गयीं, लेकिन उनकी मरम्मत के लिए, रख-रखाव के लिए भी जो सामान रखा जाता है वैसा कोई भी साधन जिला बोर्ड को नहीं दिया गया।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की सड़कों की आवश्यकता इसलिए अधिक है कि बाढ़ के जमाने में वहां सभी प्रकार के साधन पहुंचने में बड़ी दिक्कत हुआ करती है। जो टेस्ट वर्क में गल्ला दिया जाता है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जिले से पहुंचने पर इतना महंगा पड़ता है कि गरीब लोगों को सस्ता मिलना असम्भव हो जाता है। इसलिए उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की दो-चार सड़कों का बनना बहुत आवश्यक है। आजमगढ़ जिला बोर्ड के अध्यक्ष ने सार्वजनिक निर्माण मंत्री को लिख कर आवेदन-पत्र दिया था कि इन सड़कों के निर्माण के लिए एक लाख रुपये की आवश्यकता है। उसमें एक सड़क मधुबन से दुबारी, दुबारी से परसिया और इसी सड़क का टुकड़ा रसड़ा से तुर्तीपार जाता है। उसको सरकार ने पक्की करा दिया है लेकिन ९ मील जो आजमगढ़ जिले में पड़ती है उसको पक्की कराने के लिए तैयार नहीं होती है। एक सड़क है बिलरियागंज से रौनापार, चांदपट्टी, जिसका बनना बहुत जरूरी है। बाढ़ के जमाने में उसकी बहुत आवश्यकता होती है। एक मेहनगर से तरवा की सड़क है, चौथी दोहरीघाट से सूरजपुर। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में, जहां थाने हैं, वहां सरकारी कर्मचारियों एवं जनता के पहुंचने के लिए साधन सुलभ नहीं। सरकार को बड़ी तत्परता

से ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों पर पूर्ण ध्यान देने की चेष्टा करनी चाहिए जिससे आने जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाय।

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, जब मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहा था तो स्वभावतः मैंने देखा कि मेरे कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए उसका समर्थन मेरे सामने के साथियों ने नहीं किया, लेकिन जिस भावना का प्रदर्शन किया गया उससे माननीय मंत्री जी को आभास हो गया होगा कि इस विभाग के अन्दर बहुत सी भ्रष्टाचार की बातें कही जाती हैं। मैं भ्रष्टाचार को उसी दृष्टिकोण से नहीं लेता हूं प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों से विवश हो कर चलता है, लेकिन यहां तो बात यह है कि जो सिस्टम है पी० डब्ल्यू० डी० के अन्दर कंन्ट्रैक्टर का, मिडिलमैन का, उससे भ्रष्टाचार यदि होता है तो होता होगा। हम तो व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों को जानते हैं जिनसे पी० डब्ल्यू० डी० में मिलने का मौका मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि देश का उत्थान हो लेकिन एक प्रथा जो टेक्नीकल शब्द को लेकर बन गई है, लायर्स और डाक्टर्स और इंजीनियर्स जो कहते हैं कि हम टेक्नीकल हैं, हम जो कहें या करते हैं वह सही और सत्य है उसी आधार पर पी० डब्ल्यू० डी० का जो सुपरवाइजर जिस धारा में चलता है उसी धारा में इंजीनियर और सबसे बड़ा चीफ इंजीनियर भी चलता है। ऐसी चेष्टा नहीं की जाती कि ऐसा क्यों होता है इसकी जांच की जाय। दूसरे, विभागों के अन्दर लोग रिस्क लेने के लिये तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि आज कल एक किस्म की दलबन्दी पार्टी-बन्दी में आ करके लोग अपने-अपने दृष्टिकोण से अधिकारियों को प्रेरित करते रहते हैं। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि मुझको इसके अन्दर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है और वह परिस्थित के अन्दर काम करने से भी हिचकता है। इन परिस्थितियों पर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना है और यहां पर जैसा कि इम्प्लायमेंट रिलीफ का जिक्र किया गया तो कंट्रैक्टर्स का सिस्टम हटा कर अगर पी० डब्ल्यू०डी० की एक आर्मी तैयार कर दी जाय और उसमें पढ़े लिखे लोग काम करने के तैयार हों जिस प्रकार कि मिलिटरी में सैपर्स और मायनर्स होते हैं। उसी प्रकार अगर कुछ लोगों को अल्मोड़ा वगैरा में भर्ती करके इस नये सिस्टम के द्वारा सड़कें बनवा दी जायं तो अच्छी सड़कें होगीं और रुपये का भी व्यय बहुत कम होगा। आपके ओवरसियर्स और इंजीनियर टैकनीकल मदद देते रहेंगे और यह कहने का भी मौका नहीं आयगा कि ठेकेदारों से १० प्रतिशत लिया जाता, है जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा और प्रत्येक आदमी चाहता है कि पुरानी पद्धति ब्रिटिशर्स के जमाने की खत्म हो और उसमें परिवर्तन कर दिया जाय।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा जो मैंने केदारनाथ वाली सड़क का जिक्र किया था। इसमें ५ घाटियां आती हैं जो मदमहेश्वर, कालीमठ, तुङ्गनाथ, रुद्र नाथ और केदारनाथ हैं वहां पंच केदार हैं और वहां बड़े-बड़े मंदिर हैं। लेकिन उनमें जाने के लिये कोई भी सुविधा नहीं है। हमारे स्वर्गीय डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी की अर्थी लेकर जब उनके छोटे भाई मदमहेश्वर गये थे तो कच्चा झूला जो घास का बना हुआ था उससे गिर पड़े लेकिन सौभाग्यवश गांव वालों की सहायता से बड़ी मुश्किल से बच पाये। इन स्थानों में सड़क बनने की बड़ी आवश्यकता है। इसके लिये आवेदन-पत्र जिला के अधिकारियों के पास गये थे उनसे भी कहा गया और रिप्रेजेन्टशन भी लिख कर दिया गया। इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना फाइनल होगी तो उस समय गढ़वाल में जो रेल के स्थान हैं उनसे ऊपर वाले इलाकों के स्थानों पर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी कल बोलें तो बहुत अच्छा है क्योंकि यह उनका नया विभाग है और हम लोग भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं। वैसे जैसे आपकी मर्जी हो।

श्री अध्यक्ष—अब तो समय आखिरी है और आज पांच बजे बाद समय बढ़ाया नहीं जा सकता (श्री विचित्र नारायण शर्मा से) एक मिनट जब रह जाय तब आप खत्म कर दें।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—श्रीमन्, बहुत ध्यान से मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। उनमें केवल दो ही टैटिक्स का अनुसरण किया गया है। कुछ ने तो यह समझा कि मंत्री जी की तारीफ करके काम बन जायगा और कुछ ने यह समझा कि गालियां देकर काम चल जायगा लेकिन मकसद हर एक स्पीच का यही निकलता है कि हमारे यहां कुछ कर दिया जाय। इस समय जो बजट प्रस्तुत है उसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। आयन्दा के लिये जो नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान बन रहा है उसमें काफी विचार किया जा रहा है जिसकी सराहना माननीय सदस्यों ने भी स्वयं की है। हमारे विभाग के अधिकारी जगह-जगह जा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और डेटा तैयार कर रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर भी काफी काम कर चुके हैं और उन्होंने एक बड़ी भारी पुस्तक लिखी है वह सब माननीय सदस्यों को जो इसमें दिलचस्पी लेना चाहेंगे उनको सुलभ होगी और वह अपनी राय दे सकेंगे और अन्त में जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना तैयार हो जायगी उसमें शायद किसी को जो दिलचस्पी लेगें उनको यह मौका नहीं मिलेगा कि हमें राय का वक्त नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कि सभी जगह काम बनाया जायगा लेकिन अगर वर्ल्ड वाला फार्मूला लें तो हमारा सारा प्रान्त ही बहुत पीछे है।

हमारे यहां ऐसी हजारों जगहें हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं वहां जनता को कष्ट होना अनिवार्य है। यह तो मामूली बात है और इसको अनुमान से ही जाना जा सकता है कि जब सड़कों की कमी है तो शिकायत होनी ही चाहिये। यह बात नहीं है कि हमारा विभाग जानता नहीं है या कुछ करना नहीं चाहता है। पहले भी हमारे विभाग में २१ करोड़ का बजट बनाया था लेकिन उस पर भी शिकायत की गई कि बाद में कमी कर दी गई और इतना काम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिये था। जहां तक हमारे विभाग का ताल्लुक है वह जरूर इसबात को महसूस करता है और ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। इसलिये ज्यादा बड़े अनुदान वह पेश नहीं करता है इसलिये कि आजकल रुपया आसानी से नहीं मिलेगा। फिर भी हमारे विभाग ने २१ करोड़ का बजट बनाया और यह शिकायत रही कि पूरा काम नहीं किया गया। इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि ११ करोड़ ८८ लाख रुपया करीब १९०१ तक खर्च हो चुका था और इधर ३१ मार्च, ५५ तक करीब ५ करोड़ १३ लाख रुपया खर्च हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि थोड़ी सी गड़बड़ी प्रतीत होती है। आपने १९०१ कहां ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नहीं १९५१ है। मैं माफी चाहता हूं। इस तरह से १७ करोड़ के करीब यह रकम हो जाती है। २१ करोड़ नहीं हो सकी है। मैं तो यहां पर कह चुका हूं कि हमारी दिक्कत योजना बनाने की या जनता के कष्टों को अनुभव करने की नहीं है बल्कि पैसा प्राप्त करने की है और इसमें जो भी महाशय बोले हैं उन्होंने कोई भी सुझाव इसमें मदद देने का नहीं दिया है। अब तक इस बात को किसी ने नहीं बतलाया कि किस तरह से रुपया आ सकता है।

श्रमदान की बाबत बेशक कहा गया और इस विषय में मैंने स्वयं निवेदन किया कि इसका ख्याल रखा जाता है। कभी-कभी तो यह कहा जाता था कि श्रमदान बिलकुल ढकोसलेबाजी है लेकिन अब विरोधी दल के प्रतिष्ठित नेता भी यह मानने लगे हैं कि कहीं-कहीं पर बहुत अच्छा काम हुआ है। और सदस्यों ने भी इसका जिकर किया कि २,३ जगह और अच्छे सड़कों पर काम हुये हैं। सुल्तानपुर के बारे में मैं खुद कह सकता हूं कि वहां पर २७ मील लम्बी पक्की सड़क श्रमदान के द्वारा बनायी गई है। सरकार की यह नीति है कि जहां पर लोग इस तरह से सेल्फ हेल्प से काम करेंगे तो वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा उन जगहों का ख्याल रखेंगे ताकि उनकी जो मेहनत है उसका फायदा जनता को मिल सके।

पुलों का काम, कलवर्ट बनाने का काम या और इस तरह से काम जो हैं उनको पी० डब्ल्यू० डी० ले ले यह सुझाव दिया गया। सुल्तानपुर की बाबत तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि वहां पर पुल के लिये हमने ग्रान्ट दे दी है और दूसरी जगहों के लिये विचार किया जा रहा है। इसके अलावा यह सुझाव दिया गया कि गांव समाज की मार्फत काम कराया जाय। आज भी कितना ही काम गांव समाज की मारफत कराया जा रहा है और उससे जो गांव समाज के पास पैसा बचता है वह ऐसा करते हैं कि गांवों के फायदे के लिये उसमें से ४८ फीसदी रख लिया जाता है ताकि और भी अच्छा काम गांव समाज कर सके और हमारे जो स्पैसिमेन हैं उनके अनुसार वह सुन्दर काम कर सकें। तो यह एक्सपैरिमेंट और भी किया जा सकता है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। श्री दीनदयालु शास्त्री जी ने जो कहा कि हरिद्वार में सड़क बनाना जरूरी है और वहां पर बोटलनेक हो जाता है। मैं इस बात को बिलकुल वैसी नहीं समझता कि जो इतनी जरूरी है कि उसके लिये १०,११ लाख रुपया खर्च किया जाय। हरद्वार में साल भर में ५,६ ऐसे मौके होते हैं कुछ घंटों के लिये या ज्यादा से ज्यादा कहिये तो २ दिन के लिये कि लोगों को ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है। दिन में लोगों को रोक दिया जाता है और रात के वक्त में रास्ता खोल दिया जाता है। यह इतना कष्ट नहीं है कि उसके लिये १०,११ लाख रुपया खर्च किया जाय। कम से कम मैं तो यह नहीं समझ सकता हूं। लेकिन यदि उसकी उपयोगिता साबित हो सकी क्योंकि अभी इस पर हमारे विभाग में विचार चल रहा है और अभी तक इस पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है तो उचित निर्णय किया जायगा।

मैं समझता हूं कि श्री नवलकिशोर जी ने बहुत सुन्दर सुझाव दिये हैं और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनमें बहुत कुछ काम हो रहा है। शिड्यूल रेट को कम करने की बावत मैंने कहा तो वह आलरेडी हमने कम किया है और फिर भी गुंजाइश हो तो उसका एक्सपेरीमेंट किया जा सकता है। टेंडर की बाबत मैं कह चुका हूं उसमें हमारी लाचरी है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—माननीय मंत्री महोदय ने जिस भावना को प्रदर्शित किया है उसके प्रकाश में मैं इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापिस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत (लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा) के अन्तर्गत ७,९२,३९,८०० रुपये की मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१३ पर)

सूची "अ"

प्रथ भाग

एलोपैथिक चिकित्सालय (मर्दाने) जो १९५२–५३ तक स्थापित किये गये थे।)

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
१—आगरा	१—सरोजनी नायडू अस्पताल २—जिला जेल अस्पताल ३—सेन्ट्रल जेल अस्पाताल ४—पुलिस अस्पताल ५—१५ वीं बटैलियन पी० ए० सी० अस्पताल ६—सरेन्धी ७—बरहन ८—जगनेर ९—कगरोल	१—बटेश्वर २—होलीपुरा
२—अलीगढ़	१—जिला अस्पताल २—पुलिस अस्पताल ३—जेल अस्पताल ४—टप्पल ५—गोंडा ६—हसन ७—जवान ८—बिजौली	१—बिजयगढ़ २—पोरा ३—पिसावा
३—इलाहाबाद	१—मोतीलाल नेहरू अस्पताल २—मनोहर दास नेत्र अस्पताल ३—तेजबहादुर सपरू अस्पताल ४—सेन्ट्रल जेल अस्पताल ५—पुलिस अस्पताल ६—पी० ए० सी० अस्पातल ७—कोरो ८—सिरसा ९—कड़ा १०—जेरी बाजार ११—बरोखार १२—झूसी १३—कोटवा	१—सराय अकिल २—सिराथू ३—आनापुर ४—मऊ आयमा ५—सिरसा

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
		३
४—अल्मोड़ा	१—जिला अस्पताल	१—असकोट
	२—जेल अस्पताल	२—बैजनाथ
	३—बेलादेवल साल्ट	३—देबीधुरा
	४—कांडा	४—पुलहिन्दौला
	५—कपकोट	५—गंगोलीहाट
	६—सोमश्वर	६—बेरीनाग
	७—रानीखेत	७—द्वाराहाट
		८—बारछिना
५—आजमगढ़	१—जिला अस्पताल	१—काझा
	२—पुलिस अस्पताल	२—मुबारकपूर
	३—जिला जेल अस्पताल	३—मेहनाजपुर
	४—खरेवाह	
	५—अतरौलिया	
	६—परसरामपुर	
	७—फूलपुर	
	८—रसूलपुर	
	९—खनरोरा	
	१०—अजमतगढ़	
६—बहराइच	१—जिला अस्पताल	
	२—पुलिस अस्पताल	
	३—जेल अस्पताल	
	४—नेवारी	
	५—सानवा	
	६—रसया बाजार	
	७—भगाहा	
	८—सिरसा	
	९—चरदा	
७—बलिया	१—जिला अस्पताल	१—सियार
	२—पुलिस अस्पताल	२—सिकन्दरपुर
	३—जेल अस्पताल	३—मनियार
	४—खरसारा	
	५—नरही	
	६—रतसान्द	
	७—मऊ बरार कोदरहा	
८—बांदा	१—जिला अस्पताल	
	२—पुलिस अस्पताल	
	३—जेल अस्पताल	
	४—भतोंघा	
	५—मनिकपुर	
	६—चित्रकोट	
	७—शिवरामपुर	

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
९—बाराबंकी	१—जिला अस्पताल २—पुलिस अस्पताल ३—जेल अस्पताल ४—राम सनेही घाट ५—बरागांव ६—कुर्सी ७—कोटवा जगजीवन दास ८—सुबेहा ९—सरतगंज १०—असँन्दरा	१—देवा
१०—बरेली	१—जिला अस्पताल २—पुलिस अस्पताल ३—पी० ए० सी० अस्पताल ४—सेन्ट्रल जेल अस्पताल ५—जिला जेल अस्पताल ६—मौजीपुरा ७—दुनका	
११—बस्ती	१—जिला अस्पताल २—पुलिस अस्पताल ३—जेल अस्पताल ४—कथेला ५—रुदौली ६—बरहनी ७—इटवा	
१२—बनारस	१—किंग एडवर्ड सप्तम अस्पताल २—सेन्ट्रल जेल अस्पताल ३—जिला जेल अस्पताल ४—लाकेट अस्पताल रामनगर ५—चोलापुर ६—गंगापुर ७—धानापुर ८—महाराज चेत सिंह अस्पताल, ज्ञानपुर ९—महाराज बलवन्त सिंह अस्पताल, भदोही १०—महाराज प्रभुनारायन अस्पताल, गोपीगंज ११—महाराज ईश्वरी नारायन अस्पताल, चकिया १२—महाराज आदित्य नारायन सिंह अस्पताल, नौगढ़ १३—पुलिस अस्पताल	१—पिंडा २—सकलदिहा ३—मोगलसराय ४—राजातालाब

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
१३—बुलन्दशहर	१—पी० डब्ल्यू० अस्पताल	१—पहासऊ
	२—पुलिस अस्पताल	२—थोरा
	३—जेल अस्पताल	३—सियाना
	४—जौन चना	४—गुलाथी
	५—बरौला	
	६—बवरी	
	७—जेवार	
	८—राजघाट	
	९—सैदपुर	
	१०—शिकारपुर	
	११—भान बहादुर नगर	
	१२—कोकोरा	
	१३—सूरजमल जाटिया अस्पताल, खुर्जा	
१४—बिजनौर	१—जिला अस्पताल	१—मैन्दवार
	२—पुलिस अस्पताल	२—अफजलगढ़
	३—जेल अस्पताल	३—लालधाना
	४—सुआवला	४—वाराहपुर
	५—धर्म नगरी	५—नूरपुर
	६—धामपुर	
	७—नेहतार	
	८—नागल	
१५—बदायूं	१—जिला अस्पताल	१—मुन्दिया
	२—पुलिस अस्पताल	२—गावान
	३—जेल अस्पताल	३—अल्लापुर
	४—कछला	
	५—बिनाटर	
	६—सैदपुर	
	७—मझरा	
	८—रुदियन	
१६—देवरिया	१—जिला अस्पताल	१—हाटा
	२—पुलिस अस्पताल	२—लार
	३—चकिया	
	४—सलेमपुर	
	५—कप्तानगंज	
१७—देहरादून	१—दून अस्पताल	१—साइया
	२—सिविल अस्पताल मंसूरी	२—कालसी

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
१७—देहरादून (क्रमागत)	३—जी० डी० अस्पताल, ऋषिकेश	३—सहसपुर
	४—पुलिस अस्पताल	
	५—जेल अस्पताल	
	६—थाना	
	७—त्यूनी	
१८—एटा	१—जिला अस्पताल	१—साकित
	२—पुलिस अस्पताल	
	३—जेल अस्पताल	
	४—नैमानी	
	५—नरदौली	
	६—जैथरा	
	७—अलीगंज	
१९—इटावा	१—जिला अस्पताल	१—लखना
	२—पुलिस अस्पताल	२—सहसोन
	३—जेल अस्पताल	३—तखना
	४—अजीतमल	
	५—सोहल	
	६—उदी	
	७—बेला	
२०—फर्रूखाबाद	१—जिला अस्पताल	१—गुरसहायगंज
	२—पुलिस अस्पताल	२—राजापुर
	३—सौरिख	
	४—मोहम्मदाबाद	
	५—विश्नुगढ़	
२१—फतेहपुर	१—जिला अस्पताल	
	२—जेल अस्पताल	
	३—पुलिस अस्पताल	
	४—गाजीपुर	
	५—चान्दपुर	
	६—हैथगांव	
	७—बिन्दकी	
२२—फैजाबाद	१—जिला अस्पताल	१—मकरोही
	२—पुलिस अस्पताल	
	३—जेल अस्पताल	
	४—श्रीराम अस्पताल	
	५—जहांगीरगंज	
	६—बसखारी	
	७—खंडासा	

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
२३—गढ़वाल	१—जिला अस्पताल	१—घराली
	२—फाटा	२—नैनीडंडा
	३—कांडी	३—नवगांव खाल
	४—कर्णप्रयाग	४—लौहाबा
	५—जोशीमठ	
	६—ओखीमठ	
	७—रुद्र प्रयाग	
	८—चमोली	
	९—श्रीनगर	
	१०—केदारनाथ	
	११—बद्रीनाथ	
	१२—दोगड्डा	
	१३—थालीसैन	
	१४—लक्ष्मन झूला	
	१५—अदवानी	
	१६—चैलूसेन	
	१७—भगरुखाल	
	१८—बदियारगांव	
	१९—पोखरी नागनाथ	
	२०—चाकीसैन	
	२१—घाट	
२४—गाजीपुर	१—जिला अस्पताल	
	२—पुलिस अस्पताल	
	३—जेल अस्पताल	
	४—अफीम फैक्टरी अस्पताल	
	५—रेवतीपुर	
	६—नन्दगंज	
	७—सादत	
	८—कासिमाबाद	
२५—गोंडा	१—जिला अस्पताल	१—धानेपुर
	२—पुलिस अस्पताल	२—खरगपुर
	३—जेल अस्पताल	३—धनेवां
	४—बरगदी	
	५—पारसपुर	
	६—शिवपुरा	
	७—मसकिनवा	
	८—गुगौली	

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
२५—गोंडा (क्रमागत)	९—तुलसीपुर	
	१०—पचपेरवा	
	११—मथुरा बाजार	
	१२—पिपरा	
२६—गोरखपुर	१—जिला अस्पताल	१—परतावाल
	२—पुलिस अस्पताल	२—नौतनवा
	३—जेल अस्पताल	३—वेलघाट
	४—धिवरा	४—सहजनवां
	५—चौरीचौरा	५—सरिया
	६—गाधा	
	७—फरेंदा	
	८—बराइ	
	९—सिसवां बाजार	
२७—हमीरपुर	१—जिला अस्पताल	
	२—पुलिस अस्पताल	
	३—जेल अस्पताल	
	४—छानी	
	५—जैतपुर	
	६—मुस्कारा	
	७—सुमेरपुर	
	८—कुलपहाड़	
	९—मझगवां	
	१०—कोहनियां	
	११—जेरा	
	१२—सरिला	
	१३—चरखारी	
२८—हरदोई	१—जिला अस्पताल	१—बेनीगंज
	२—पुलिस अस्पताल	
	३—जेल अस्पताल	
	४—अनंगपुर	
	५—भरावन	
	६—पाली	
	७—सांदी	
	८—गोपामऊ	
२९—जौनपुर	१—जिला चिकित्सालय	१—शाहगंज
	२—पुलिस चिकित्सालय	
	३—जेल चिकित्सालय	
	४—खुटाहन	

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
२९—जौनपुर (क्रमागत)	५—सुजानगंज	
	६—तेली बाजार	
	७—जलालपुर	
३०—झांसी	१—जिला चिकित्सालय	
	२—पुलिस चिकित्सालय	
	३—जेल चिकित्सालय	
	४—तलबेहाट	
	५—बार	
	६—गौना	
	७—बरूआसागर	
	८—टोरी फतेहपुर	
	९—समथार	
	१०—गरौथा	
३१—जालौन	१—जिला चिकित्सालय	
	२—जेल चिकित्सालय	
	३—पुलिस चिकित्सालय	
	४—कोदारी	
	५—माधोगढ़	
	६—पिडंरी	
	७—नदीगांव	
	८—कदवारा	
३२—कानपुर	१—उरसला हार्स मैन	१—खानपुर
	२—मेमोरियल चिकित्सालय	२—सिकन्दरा
	२—लाला लाजपतराय चिकित्सालय	३—पाली
	३—बरौर	
	४—बेरीपाल	
	५—मिठारगाँव	
	६—गजनेर	
	७—ककवां	
	८—कथारा	
	९—झिनझक	
	१०—डुंडवा जमाली	
	११—सखराज	
	१२—रसूलाबाद	
३३—खीरी	१—जिला चिकित्सालय	१—ईसा नगर

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
३३—खीरी (क्रमागत)	२—पुलिस चिकित्सालय ३—जेल चिकित्सालय ४—मझगैन ५—निघासन ६—सिकन्दराबाद ७—रमियाबेहर	२—मीरा ३—पसगवां
३४—लखनऊ	१—बलरामपुर अस्पताल २—किंग्स अस्पताल ३—पुलिस अस्पताल ४—पी० ए० सी० बटालियन (२) अस्पताल ५—सिविल डिस्पेंसरी ६—जिला अस्पताल ७—सेन्ट्रल जेल अस्पताल ८—रिफार्मेटरी स्कूल अस्पताल ९—नादिर गंज १०—नगराम ११—आलमबाग १२—बख्शी का तालाब	१—चिनहट २—रहीमाबाद ३—ससेन्डी
३५—मैनपुरी	१—जिला अस्पताल २—पुलिस अस्पताल ३—जेल अस्पताल ४—कुसमरा ५—बेबर ६—फरिया ७—घिरोर ८—सिरसागंज	
३६—मिर्जापुर	१—जिला अस्पताल २—पुलिस अस्पताल ३—जेल अस्पताल ४—सलखान ५—घोरावल ६—हलिया ७—सिखर ८—विधमगंज ९—रायगढ़ १०—मुहीरपुर ११—राबर्ट्सगंज	१—विजयपुर २—लालगंज ३—तिलठी ४—जमालपुर

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
३७—मुरादाबाद	१—जिला अस्पताल २—पुलिस अस्पताल ३—पी० ए० सी० अस्पताल ४—जेल अस्पताल ५—रजबपुर ६—भोजीपुर ७—दिलारी ८—सुल्तानपुर	१—मोंडा पांडे
३८—मथुरा	१—जिला अस्पताल २—पुलिस अस्पताल ३—जेल अस्पताल ४—चौमोहना ५—नौझील ६—कोसी	१—बल्देव २—बरसाना ३—राया ४—शेरगढ़ ५—फर्राह
३९—मेरठ	१—पी० एल० शर्मा अस्पताल २—अलीपुर ३—दतियाना ४—डौला ५—फरीदनगर ६—किरथल ७—सलावा ८—सुरूरपुर ९—परिक्षितगढ़ १०—दाहा ११—जेल अस्पताल	१—किथोरा २—टिकरी
४०—मुज़फ्फरनगर	१—जिला अस्पताल २—जेल अस्पताल ३—पुलिस अस्पताल ४—पुरकाजी ५—भोपा ६—खतौली	

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
४१—नैनीताल	१—क्रौस्थवेट अस्पताल	१—जसपुर
	२—रामजे अस्पताल	२—खन्स्यूं
	३—पुलिस अस्पताल	३—रामगढ़
	४—सिविल डिस्पेंसरी (मर्दाना) (हलद्वानी)	४—ज्योलीकोट
	५—जेल अस्पताल	
	६—जोस्यूड़ा	
	७—बेताल घाट	
	८—सुयाली बाड़ी	
	९—घारी	
४२—प्रतापगढ़	१—जिला अस्पताल	१—संगीपुर
	२—पुलिस अस्पताल	२—पहाड़पुर
	३—जेल अस्पताल	३—रामगंज
	४—अमरगढ़	
	५—संग्रामगढ़	
४३—पीलीभीत	१—जिला अस्पताल	१—अमरिया
	२—पुलिस अस्पताल	२—पंडारी
	३—जेल अस्पताल	३—शिवनगर
	४—बरखेरा	
	५—देवरिया कलां	
४४—रायबरेली	१—सदर अस्पताल	१—जरखा
	२—पुलिस अस्पताल	२—करी सिदौली
	३—जेल अस्पताल	३—ऐहर
	४—बेहता कलां	
	५—बछरावां	
	६—लालगंज	
४५—सहारनपुर	१—जिला अस्पताल	१—बेहट
	२—सिविल अस्पताल रुड़की	२—टिटरन
	३—जी० डी० अस्पताल हरिद्वार	३—रामपुर
	४—पुलिस अस्पताल	४—जबरेरा
	५—पी० ए० सी० (४) बटालियन अस्पताल, रुड़की	
	६—मिडौली	
	७—फतेहपुर	
	८—सरसवां	
	९—लक्सर	
	१०—लंधौरा	

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
४६—शाहजहांपुर	१—जिला चिकित्सालय २—पुलिस चिकित्सालय ३—जेल चिकित्सालय ४—मदनपुर ५—बांदा ६—खुदागंज	१—रफियाबाद कला
४७—सुल्तानपुर	१—जिला चिकित्सालय २—जेल चिकित्सालय ३—पुलिस चिकित्सालय ४—गौरीगंज ५—जामोन ६—बाजार बल्दीराय ७—लम्भुआ ८—देयरा ९—कुरवार १०—बाजार शुकुल	
४८—सीतापुर	१—जिला चिकित्सालय २—पुलिस चिकित्सालय ३—पी० ए० सी० चिकित्सालय ४—शाहपुर ५—सेवटा ६—बिसवां ७—रामपुर मथुरा	१—नेरी
४९—उन्नाव	१—जिला चिकित्सालय २—पुलिस चिकित्सालय ३—जेल चिकित्सालय ४—बरखेरा ५—शुक्ला गंज ६—गंज मोरादाबाद ७—भगवन्त नगर ८—आर० एस० एस० चिकित्सालय, मौरावां	१—कटरा दीलान खेरा १—बांगरमऊ ३—जगजीवनपुर

जिला	राजकीय चिकित्सालय	राज्य से सहायता प्राप्त चिकित्सालय
१	२	३
५०—रामपुर	१—जिला चिकित्सालय २—नगर चिकत्सालय ३—कमर चिकित्सालय , शाहाबाद ४—नहीद चिकित्सालय, टांडा ५—आबिद चिकित्सालय, सौर ६—मिलक चिकित्सालय, मिलक ७—मुरतजा चिकित्सालय, बिलासपुर ८—कैमरी चिकित्सालय ९—जेल चिकित्सालय १०—पुलिस चिकित्सालय	
५१—गढ़वाल (टेहरी)	१—सुमन चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर २—टेहरी पुरुष चिकित्सालय ३—देव प्रयाग ४—उत्तर काशी ५—घुमतिधार ६—अनजानीसैन ७—लम्बगांव ८—मैंडखाल ९—सकलाना १०—पुरोला ११—कोदी पंतवरी	

अ

द्वितीय भाग

महिला एलोपैथिक चिकित्सालय जो १९५२–५३ तक स्थापित किये गये थे

जिला	राजकीय चिकित्सालय का नाम
१—आगरा ..	(१) लेडी ल्याल ऐण्ड डफरिन चिकित्सालय, आगरा।
	(२) महिला चिकित्सालय, फिरोज़ाबाद।
२—अलीगढ़ ..	(१) डफरिन चिकित्सालय, अलीगढ़।
	(२) सिंधारी मेमोरियल महिला चिकित्सालय, हाथरस।
३—इलाहाबाद..	(१) डफरिन चिकित्सालय, इलाहाबाद।
४—अल्मोड़ा ..	(१) डफरिन अस्पताल, अल्मोड़ा।
	(२) वीमेन्स विन्ग, ब्रान्च डिस्पेंसरी, पिथौरागढ़।
	(३) कम्बाइन्ड चिकित्सालय, रानीखेत।
५—आज़मगढ़ ..	(१) महिला चिकित्सालय, आजमगढ़।
६—बहराइच ..	(१) डफरिन चिकित्सालय, बहराइच।
	(२) महिला चिकित्सालय, पयागपुर।
७—बलिया ..	(१) महिला चिकित्सालय, बलिया।
८—बनारस ..	(१) ईश्वरी मेमोरियल चिकित्सालय, रामनगर।
	(२) वीमेन्स विन्ग, लाबेट्ट चिकित्सालय, रामनगर।
	(३) वीमेन्स विन्ग, महाराजा चेतसिंह चिकित्सालय, ज्ञानपुर।
९—बांदा ..	(१) महिला चिकित्सालय, बांदा।
	(२) महिला चिकित्सालय, कर्वी।
१०—बाराबंकी ..	(१) डफरिन चिकित्सालय, बाराबंकी।
	(२) महिला चिकित्सालय, रुदौली।
११—बरेली ..	(१) डफरिन चिकित्सालय, बरेली।
	(२) महिला चिकित्सालय, आंवला।
	(३) महिला चिकित्सालय, नवाबगंज।
१२—बस्ती ..	(१) महिला चिकित्सालय, बस्ती।
१३—बिजनौर	(१) महिला चिकित्सालय, बिजनौर।
१४—बदायूं ..	(१) महिला चिकित्सालय, बदायूं।
	(२) महिला चिकित्सालय, इसलामनगर।
	(३) महिला चिकित्सालय, बिसौली।
१५—बुलन्दशहर..	(१) कस्तूरबा मेमोरियल, चिकित्सालय, बुलन्दशहर।
	(२) महिला चिकित्सालय, अनूपशहर।

जिला	राजकीय चिकित्सालय का नाम
१६—देहरादून ..	(१) सेवती क्षिमा महिला चिकित्सालय, देहरादून।
	(२) महिला चिकित्सालय, ऋषिकेश।
१७—देवरिया ...	(१) महिला चिकित्सालय, पडरौना।
१८—इटावा ..	(१) महिला चिकित्सालय, इटावा।
	(२) महिला चिकित्सालय, औरइया।
	(३) महिला चिकित्सालय, भरथना।
१९—एटा ..	(१) महिला चिकित्सालय, एटा।
२०—फैजाबाद ..	(१) डफरिन चिकित्सालय, फैज़ाबाद।
२१—फतेहगढ़ ..	(१) डफरिन अस्पताल, फर्रुखाबाद।
	(२) स्त्री अस्पताल, कायमगंज।
	(३) स्त्री अस्पताल, शमसाबाद।
२२—फतेहपुर ..	(१) श्रीमती रुस्तमजी डफरिन अस्पताल, फतेहपुर।
२३—गढ़वाल ..	(१) ब्रा च डिस्पेन्सरी, पौरी का नारी कक्ष।
२४—गाजीपुर ..	(१) डफरिन अस्पताल, गाजीपुर।
२५—गोंडा ..	(१) डफरिन अस्पताल, गोंडा।
२६—गोरखपुर ..	(१) डफरिन अस्पताल, गोरखपुर।
	(२) महिला चिकित्सालय, सिस्वा बाजार।
२७—हमीरपुर ..	(१) महिला चिकित्सालय, हमीरपुर।
२८—हरदोई ..	(१) महिला चिकित्सालय, हरदोई।
	(२) महिला चिकित्सालय, पिहानी।
	(३) महिला चिकित्सालय, बिलग्राम।
२९—जालौन ..	(१) महिला चिकित्सालय, उरई।
	(२) महिला चिकित्सालय, कोंच।
३०—जौनपुर ..	(१) राजा हरपाल सिंह महिला चिकित्सालय, जौनपुर।
	(२) महिला चिकित्सालय, साहबगंज।
३१—झांसी ..	(१) महिला चिकित्सालय, झांसी।
३२—कानपुर ..	(१) ए० एच० एम० डफरिन चिकित्सालय, कानपुर।
	(२) महिला चिकित्सालय, रूरा।
३३—खीरी ..	(१) डफरिन अस्पताल, खीरी।
	(२) महिला चिकित्सालय, गोला गोकरननाथ।
३४—लखनऊ ..	(१) डफरिन अस्पताल, लखनऊ।
३५—मथुरा ..	(१) महिला चिकित्सालय, मथुरा।
	(२) महिला चिकित्सालय, कोशीकलां।
३६—मैनपुरी ..	(१) महिला चिकित्सालय, मैनपुरी।
	(२) महिला चिकित्सालय, शिकोहाबाद।

जिला	राजकीय चिकित्सालय का नाम
३७—मेरठ ..	(१) डफरिन अस्पताल, मेरठ।
	(२) रामसरन दास सिल्वर जुबली महिला चिकित्सालय, गाजियाबाद।
	(३) महिला चिकित्सालय, बरौत।
	(४) महिला चिकित्सालय, बागपत।
३८—मिर्जापुर ..	(१) डफरिन अस्पताल, मिर्जापुर।
	(२) महिला चिकित्सालय, चुनार।
	(३) महिला चिकित्सालय, रार्बट्सगंज।
३९—मुरादाबाद..	(१) विक्टोरिया जनाना चिकित्सालय, मुरादाबाद।
	(२) महिला चिकित्सालय, हसनपुर।
४०—मुजफ्फरनगर	(१) महिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर।
	(२) शान्ता मेहता महिला चिकित्सालय, शामली।
	(३) महिला चिकित्सालय, जानसठ।
	(४) महिला चिकित्सालय, कान्डला।
	(५) महिला चिकित्सालय, कैराना।
४१—नैनीताल ..	(१) क्रॉस वेट महिला चिकित्सालय, नैनीताल।
	(२) महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी।
	(३) डा० बी० बी० लखोटिया सरकारी महिला चिकित्सालय, रामनगर।
४२—पीलीभीत ..	(१) डफरिन अस्पताल, पीलीभीत।
४३—प्रतापगढ़ ..	(१) डफरिन अस्पताल, प्रतापगढ़।
४४—रायबरेली ..	(१) डफरिन अस्पताल, रायबरेली।
	(२) महिला चिकित्सालय, बेहटा कलां।
४५—रामपुर ..	(१) महिला चिकित्सालय, रामपुर।
४६—सहारनपुर..	(१) डफरिन अस्पताल, सहारनपुर।
	(२) चैनराय महिला चिकित्सालय, हरद्वार।
४७—शाहजहांपुर..	(१) डफरिन अस्पताल, शाहजहांपुर।
४८—सीतापुर ..	(१) डफरिन अस्पताल, सीतापुर।
	(२) महिला चिकित्सालय, बिसवां।
	(३) महिला चिकित्सालय, मोहम्मदाबाद।
४९—सुल्तानपुर..	(१) अमेठी महिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर।
५०—टेहरी गढ़वाल	(१) महिला चिकित्सालय, टेहरी।
५१—उन्नाव ..	(१) लक्ष्मीपन्नालाल महिला चिकित्सालय, उन्नाव।
	(२) राजा शम्भू दयाल महिला चिकित्सालय, मौरावां।

तृतीय भाग

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय जो सन् १९५२-५३ तक स्थापित किये गये थे।

क्रम-संख्या	नाम जिला	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	नाम चिकित्सालय
१	२	३	४
१	आगरा ..	आयुर्वेदिक	मलपुरा, किरावली, जैन्धरी सैया, रुनुकता, दूरा।
		यूनानी	मोहम्मदाबाद।
२	इलाहाबाद	आयुर्वेदिक	सिकन्दरा, जसरा, बलरामपुर, सरायममरेज जसवा, भारतगंज, तिल्हापुर।
		यूनानी	चैल, मैंडारा।
३	अलीगढ़ ..	आयुर्वेदिक	भैन्कुरी, पहाड़पुर, चन्दौस, बेसवां, वाजिदपुर, मदराक, छर्रा।
		यूनानी	मुरसान, बरला।
४	आजमगढ़ ..	आयुर्वेदिक	कमलसागर, थेकमा, करमी, गोकुलपुरा, महराजगंज, सिपाह डीहपुर, रौनापार, बांसगांव, कोपागंज।
		यूनानी	मोहम्मदपुर, कोइल्सा, मेहनगर, अंजाम शहीद
५	अल्मोड़ा	आयुर्वेदिक	परौलिया, मुनान, जालमनी, कनालीछिना,
		यनानी	बड्डा, कोसी, दनियां, शीतला खेत, चौरादुरकी पट्टी, सीलोर-महादेवा धारचूला।
६	बांदा ..	आयुर्वेदिक	पलरा, बरगढ़, खुरहन्द, निलाथू, बिसेन्दा, जसपुरा, कालिन्जर।
		यूनानी	ज्योरा मुगली।
७	बरेली ..	आयुर्वेदिक	फतेहपुर (पूर्व), उर्ला शेरगढ़, पौनगला, बल्लिया, रिथौरा।
		यूनानी	मीरगंज, अलीगंज, चक्करपुर लम्पकन।
८	बनारस ..	आयुर्वेदिक	अलीनगर, मंगारी, बरायन, कथिरावां, कम्हरिया, झालूपुर, बबुरी, चौबेपुर, मोढ़ सुरियावां, सुधुवा, महराजगंज, उगापुर, कोईरौना, चौरी, बरूआ, साहबगंज, खरौन्जा, माधौसिंह (बाजार) उतरौठ, दुर्गागंज मटेथू, सिकन्दरपुर, केनियां धन तुलसी, रामनगर।
		यूनानी	मिरजामुराद।

क्रम-संख्या	नाम जिला	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	नाम चिकित्सालय
१	२	३	४
९	बिजनौर ..	आयुर्वेदिक	बरूकी, हरेवली, बैग राजपुर, नरौली, पेजनियां, भागूवाला (श्यामपुर)।
		यूनानी	हुसैनपुर, सहसपुर।
१०	बुलन्दशहर ..	आयुर्वेदिक ..	मन्डी, श्यामनगर, सरायघासी, अरनियां, जहांगीरपुर, बिसारख, ऊंचगांव, करौरा।
		यूनानी	खानपुर।
११	बलिया ..	आयुर्वेदिक	चकिया हरीपुर, बेलसरा, चित बड़ागांव, सहतवार, बीरपुर, दुरबेछपरा, टोला शिब्बनराम, रेवती, परसिया, कोटवा-नारायणपुर, रतनपुर।
		यूनानी	धुमरी।
१२	बदायूं ..	आयुर्वेदिक	कुंवरगांव, सिकरी, गंडहा, उसावं, मड़का, वली, नदरोली।
		यूनानी	भिरावटी।
१३	बस्ती ..	आयुर्वेदिक	विक्रम जोत, बखिरा, पथरा (बाजार), हरिहरपुर, जनवल, सलतनवां, महराजगंज सौहना, असनेहरा, सेमरी खान कोट, कलवारी, नवगांव, मगहर, पोखरा।
		यूनानी	कादिराबाद, बहादुरपुर, सेमरथावां।
१४	बहराइच ..	आयुर्वेदिक	सोनवा (खुरहरी), कटरा, कल्यानपुर, रामपुरवा, जौगढ़, परसिया चरनिया कोट, जमुनहा, बाबागंज, एरिया, नदवल।
		यूनानी	गम्भीरवा बाजार, नवाब गंज एलियाबाद।
१५	बाराबंकी ..	आयुर्वेदिक	उधौली, हरख, टिकैतनगर, पूरेशाह काममार, खेराबीरू, देहला।
		यूनानी	सिद्धौर, उस्मानपुर, मुसौली।
१६	देहरादून ..	आयुर्वेदिक	नागथाट, होरावाला, बिधौली, नागऊ, झाझरा, कुतबो, कोनैन, अशोकाश्रम, चौलियों, कस्तूरबा महिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नागघाट।

क्रम-संख्या	नाम जिला	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	नाम चिकित्सालय
१	२	३	४
१७	देवरिया ..	आयुर्वेदिक	खमपार, रवीन्द्रनगर, भटनी बाजार, गन्डेर, मौना, सराव, कोटवा बाजार।
		यूनानी	थारीभार ।
१८	एटा ..	आयुर्वेदिक	पोन्डारी, भंझोला, बहेरिया, करतला, सिधपुरा, मुरसवां, धुमरी ।
		यूनानी	बिलराम ।
१९	इटावा ..	आयुर्वेदिक	वेदपुरा, अजबपुर, अटसू अच्छल्दा, एरवा-कटरा, कुदरकोट, इकदिल ।
		यूनानी	बसरेहरा ।
२०	फर्रुखाबाद	आयुर्वेदिक	सिकन्दरपुर, सिकन्दरपुर खास, सराय प्रयाग, फतेहपुर, कीरतपुर, लहरा रज्जाक अलीपुर, सकरावा ।
		यूनानी	पीपरगांव, जनखट ।
२१	फैजाबाद ..	आयुर्वेदिक	पुरानाबाजार, कटेहरी, धबरआ, सेबरा, इल्लफातगंज, रनीवां आश्रम, आर्या बाजार, महुरआ ।
		यूनानी	बड़ागांव ।
२२	फतेहपुर	आयुर्वेदिक	बड़ागांव, मलावा, कान्धी, शाह, हसवा, नरेचा ।
		यूनानी	रक्षा पाल पुर ।
२३	गाजीपुर ..	आयुर्वेदिक ..	मैनपुर, नवली, कुडेशर, कुशी, कासिमाबाद, करीमुद्दीनपुर, मलसां ।
		यूनानी ..	दौलतनगर, जलालाबाद ।
२४	गोरखपुर	आयुर्वेदिक ..	अन्सौन्जी बाजार, भरोइया, जगदीशपुर, ब्रह्मपुर, रामकोला, कुरावल, मिठौरा बाजार, बाजार, शिवतरी, श्रृथीवारी, बासडीलाबाबु, सराय मभगवां ।
		यूनानी	गोपालपुर, पिपरौली ।
२५	गोंडा ..	आयुर्वेदिक	बनगैन, श्रीनगर, विद्यानगर, रामपुर, मझावा, पसका, रेहरा, गेंसडी, मछलीगांव ।
		यूनानी	महदेइया, कटरा बाजार ।

क्रम-संख्या	नाम जिला	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	नाम चिकित्सालय
१	२	३	४
२६	गढ़वाल	आयुर्वेदिक	चौपटा, पोंखरा, पोखरी खेत, चुरानी, दैवाल, खिर्सू, बछुवाबान, चन्द्रपुरी, पोबाऊं, हेलाग, बम्पा (छिनका)।
२७	हमीरपुर ..	आयुर्वेदिक	सिजनहारी, खरेला, गोहाट, सुमेरपुर, कनकुआ पुरैनी, पचखुरा बुजुर्ग, चरखारी, सुगरा झलोखर।
		यूनानी	कम्हरिया, कबरई।
२८	हरदोई ..	आयुर्वेदिक	भदैचा, बेरुआ, माधोगंज बरोली, भेन्सरी, हरियावां, नीर।
		यूनानी	कासिमापुर (भदरकला), बेहटा गोकुल।
२९	जालौन ..	आयुर्वेदिक	हरदोई गुजर कोटरा, रूराअडू, हदरुख, उमरी, डकोर, कुठोंड, उदानपुर।
		यूनानी	मुसमरिया, कदोरा।
३०	झांसी ..	आयुर्वेदिक	सेंमरी बड़ा गांव, भटपुरा (धौकार), सिंआवरी (मंडौरा), ककरवाई (इरिच) पाली, सकरार, रानीपुर, महाराजगंज, लौहगढ़, सहरौली।
३१	जौनपुर ..	आयुर्वेदिक	सिकरार, चन्दवक, बक्सा, पट्टी नरेन्द्रनगर, महराजगंज, वाजिरपुर, तिलौरा, मनीकलां।
		यूनानी	कलानपुर।
३२	खीरी ..	आयुर्वेदिक	ऊंचौलिया, बिलरान्यां राजागंज, फूलबेहढ़, आंभगवां, अलीगंज, मुन्डागालिब, ओयल।
		यूनानी ..	हैदराबाद।
३३	कानपुर	आयुर्वेदिक	रनिया, करसा, बड़ागांव, रूरा, रामनगर, मूसानगर।
		यूनानी	जिन्दौरा, दूल।
३४	लखनऊ ..	आयुर्वेदिक	गोसाईंगंज, शेखपुर, ससपन, कटराबक्कास, अलीगंज।
		यूनानी ..	खुशहालगंज, कनकहा, महोना, बिजनौर।

क्रम-संख्या	नाम जिला	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	नाम चिकित्सालय
१	२	३	४
३५	मेरठ ..	आयुर्वेदिक	भटियाना, अमरपुर, ररधना, बहादुरगढ़, पाटला, बलेनी, गजगेठी, डासना, विनय पुर।
		यूनानी	आसारा, सरूरपुर।
३६	मुरादाबाद	आयुर्वेदिक	कुन्दरकी, अकरालो, सियोन्दरा, पवांसा, उझारी, गजरौला।
		यूनानी	सिरसी, सहासपुर।
३७	मैनपुरी	आयुर्वेदिक	भरोल, अलीपुर पट्टी, छोटी किरावली, समान, हिन्दुपुर, भदान, बरनाहल।
		यूनानी	रापरी।
३८	मथुरा ..	आयुर्वेदिक	कुम्हा, मानिकपुर, मांठ, महाबन, सहार, बरौली, एंरिग, गिंडोह, उमरी, कमारा।
३९	मिर्जापुर ..	आयुर्वेदिक	विन्धमगंज, जमुई, तैनुआ, महोली, भुईली, रामनिवास धाम, शेरवा, नधिरा, शाहगंज।
		यूनानी	कुशा, अदलहाट।
४०	मुजफ्फरनगर ..	आयुर्वेदिक	बिरालसी, मच्छेरा, बबुरी, सलावर, मिर्जापुर, बघेरा।
		यूनानी	शाहपुर।
४१	नैनीताल ..	आयुर्वेदिक	दानपरेवा, हैराखान, बरधाऊ, भुवारा, नदेही, बागर, नथुवा खान।
४२	प्रतापगढ़ ..	आयुर्वेदिक	कटकामानपुर, छितपाल गढ़, गंडवारा बाजार, जामताली, अठेहा, उड़ैयाडीह लक्ष्मणपुर।
		यूनानी ..	बहलोलपुर, सोवेसा।
४३	पीलीभीत	आयुर्वेदिक	अमृता, बिथौराकलां, ईटगांव, ऐमी, घुमचई, चुर्रा, करेली।
		यूनानी	रसिया खानपुर।
४४	रायबरेली	आयुर्वेदिक	लोधाबारी, गरवारा, कन्दरावा, मेजरगंज हरचन्दपुर, राजामऊ।
		यूनानी	खिरनौं, मुस्तफाबाद।
४५	रामपुर ..	आयुर्वेदिक	रामपुर।
		यूनानी	रामपुर, बिजैया।

क्रम-संख्या	नाम जिला	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	नाम चिकित्सालय
१	२	३	४
४६	सीतापुर	आयुर्वेदिक	करोना, बड़ागांव, सरबाहनपुर, नीलगांव, धमोरा, नीमसार, बम्भौरा।
		यूनानी	बनसुरा, तालगांव, पैतेपुर।
४७	सुल्तानपुर ..	आयुर्वेदिक	कटावा, कुरेभार, जैसिंहपुर, टिकरमाफी, बल्लीपुर, रुपईपुर, गोरियाबाद।
		यूनानी	सैफुल्लागंज, बन्धुवाकलां।
४८	सहारनपुर ..	आयुर्वेदिक	रोहलकी दयालपुर, रायपुर, जगजीतपुर, बसेरा, किसान आश्रम, सिंधौली, हरिया, मुजफ्फराबाद, टिकरौल।
		यूनानी	सुल्तानपुर, कुनारी धौला, कैलासपुर।
४९	शाहजहांपुर ..	आयुर्वेदिक	कुरियांकलां, सेहरामऊ (दक्षिण), नहिल, जरीनपुर।
		यूनानी	कांट, भटपुरा, कम्हरिया, मतलूबपुर।
५०	टेहरी-गढ़वाल ..	आयुर्वेदिक	चमवा, चक्का, चमयाला, कम्यार, धटवारी, टनकौर, भारत अथूर, रैपुर, भटवारी, धानारी, बरकोट, रमोली, कीर्तिनगर, धुतमिलय, फकोडा गजोरा, दबलखाटल, अखोरा, हिन्दाऊर, धोधीखट्टू, थाडी बरथागढ़, कोरी, सिलवार, सिद्धसोढ़, सतेनगल सकलाना, मदननेगी, राजगढ़, पौसलवार, पोखाल, नौथावमुगरस सन्ती, नियालचामी लामगांव खरसाली, वाफलपानी, किल-किलेश्वर, जखनी धार, जखलभारदार, जखौली, ध्यासू, मरोगी, जैम्यादासगी, मखलौगी, हिसरियाखाल, हिंडालाखाल, गढ़वातगांव, नैटवार, दुगड्डा-लो गढ़, पोखरी, भल्डययाना, भारपुर, पघगांव।
५१	उन्नाव ..	आयुर्वेदिक	हैदराबाद, बेथर, शिवपुर ग्रान्ट, भगवतनगर पाठक, पुर, नवाबगंज, करदहा।
		यूनानी	मझगवां, सेवक।

उत्तर प्रदेश

चतुर्थ भाग

(राजकीय सहायता प्राप्त चिकित्सक १९५२–५३ के अन्त तक।)

क्रम-संख्या	नाम जिला	चिकित्सकों की संख्या	ग्राम
१	इलाहाबाद	३	मनौरी, पुरखास, तालाब तिवारी।
२	अलीगढ़	१	मेदपुर।
३	आजमगढ़	३	विन्दवल, बाजार गुसाईं, संजरपुर।
४	बाराबंकी	३	गिरौधी, रसौली, नवाबगंज।
५	फतेहपुर	१	कोट
६	गढ़वाल	२	पीरा दिराबल, कालरेन।
७	लखनऊ	१	जौरिया।
८	मुजफ्फरनगर	१	बरला।
९	सुलतानपुर	१	पुरी पलटन मिश्रा।
१०	सीतापुर	१	जुंगराजपुर।

पंचम भाग

जिला बोर्ड के सहायता प्राप्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय

सन् १९५२–५३ के अन्त तक

क्रम-संख्या	नाम जिला	नाम चिकित्सालय	आयुर्वेदिक एवं यूनानी
१	२	३	४
१	आगरा	१—जिगारा	आयुर्वेदिक
		२—रुपधानूं	आयुर्वेदिक
२	इलाहाबाद . .	१—बरौन	आयुर्वेदिक
		२—अमीरपुर	आयुर्वेदिक
		३—अजहा	यूनानी
३	आजमगढ़ . .	१—लाटघाट	आयुर्वेदिक
		२—जहांगीर गंज	यूनानी
४	अल्मोड़ा . .	१—बसौली	आयुर्वेदिक
		२—सियालदे	आयुर्वेदिक
५	बुलन्दशहर . .	१—चवेला	आयुर्वेदिक
६	बदायूं . .	१—सबलपुर	आयुर्वेदिक
		२—बेहटा गुसाईं	आयुर्वेदिक
७	बांदा . .	१—पैलानी	आयुर्वेदिक
८	बनारस . .	१—रामगढ़	यूनानी
		२—कमलपुर	आयुर्वेदिक
		३—मुगलसराय	आयुर्वेदिक
९	बस्ती . .	१—तेतरीबाजार	आयुर्वेदिक
		२—भाखटिया	यूनानी
१०	बहराइच . .	१—बकईना	आयुर्वेदिक
११	बलिया . .	१—असेगा	आयुर्वेदिक
१२	देहरादून . .	१—बरौथा	आयुर्वेदिक
		२—गजरारा	आयुर्वेदिक
		३—नहीकलां	आयुर्वेदिक
१३	देवरिया . .	१—पैकोली	आयुर्वेदिक
		२—सुकरौली	यूनानी
१४	एटा . .	१—राजमल	आयुर्वेदिक
		२—सहावर	यूनानी
१५	इटावा . .	१—रूरूगंज	आयुर्वेदिक
१६	फैजाबाद . .	१—अजरौली	आयुर्वेदिक
		२—दुलहीपुर	यूनानी
१७	फतेहपुर . .	१—असोधर	आयुर्वेदिक
		२—रसूलाबाद	आयुर्वेदिक
१८	फर्रुखाबाद . .	१—राजोपुर	आयुर्वेदिक
		२—बाबागंज	यूनानी
		३—इन्द्रगढ़	आयुर्वेदिक
		४—सूराह	आयुर्वेदिक
		५—धोरपर	आयुर्वेदिक

क्रम-संख्या	नाम जिला		नाम चिकित्सालय	आयुर्वेदिक एवं यूनानी
१	२		३	४
१९	गोरखपुर	..	१--उनवल	आयुर्वेदिक
२०	गढ़वाल	..	१--रुद्रप्रयाग	आयुर्वेदिक
			२--घाट	आयुर्वेदिक
			३--नन्द प्रयाग	आयुर्वेदिक
२१	हरदोई		१--करीमुद्दीनपुर	आयुर्वेदिक
			२--असही आजमपुर	यूनानी
२२	हमीरपुर	..	१--जराखार	आयुर्वेदिक
			२--मोदवा	यूनानी
२३	झांसी	..	१--झखीरा	आयुर्वेदिक
			२--तलौरा	आयुर्वेदिक
२४	जालौन	..	१--लवदली	आयुर्वेदिक
			२--जैसाराय क्लाऊ	आयुर्वेदिक
२५	खीरी	..	१--काफारा	आयुर्वेदिक
			२--सुन्दरवाल	यूनानी
२६	लखनऊ	..	१--जौरिया	आयुर्वेदिक
			२--निगोहां	आयुर्वेदिक
			३--अलीगंज	यूनानी
			४--हरौनी	आयुर्वेदिक
२७	मैनपुरी	..	१--कुशियारी	–
२८	मिर्जापुर	..	१--संगोवध	आयुर्वेदिक
२९	मथुरा	..	१--ओल	आयुर्वेदिक
३०	मुजफ्फरनगर	..	१--चोसाना	यूनानी
			२--भुखरेहरी	आयुर्वेदिक
३१	नैनीताल	..	१--खैराना	आयुर्वेदिक
			२--पहाखरी	आयुर्वेदिक
३२	प्रतापगढ़	..	१--बहागंज	आयुर्वेदिक
			२--बघरई	यूनानी
३३	रायबरेली	..	१--सरेनी	आयुर्वेदिक
			२--इन होना	यूनानी
			३--किशनदासपुर	आयुर्वेदिक
३४	सहारनपुर	..	१--पचकुआ	आयुर्वेदिक
			२--सोना अर्जुनपुर	यूनानी
३५	शाहजहांपुर	..	१--पायनदूरिया	आयुर्वेदिक
			२--दलालपुरा	यूनानी
			३--इन्दरपुर	आयुर्वेदिक
३६	सीतापुर	..	१--इंटगांव	आयुर्वेदिक
			२--सदारौर	यूनानी
३७	उन्नाव	..	१--शंकरपुर सराय	आयुर्वेदिक
			२--अचलगंज	यूनानी

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१३ पर)

सूची (ब)

प्रथम भाग

एलौपैथिक और देशी चिकित्सालय जो सन् १९५३–५४ में स्थापित किये गये।

जिला	एलौपैथिक	आयुर्वेदिक	यूनानी
१—अल्मोड़ा	.. स्यालदा	.. (१) गरब्यांग रुंग	..
		(२) मनौली	
२—अलीगढ़	.. सिंधारी जनाना अस्पताल, हाथरस (प्रांतीयकरण)	..	..
३—आजमगढ़	..	देवगांव	..
४—इटावा	भरथना (जनाना)	..	..
५—गढ़वाल	..	१—नन्द प्रयाग (प्रांतीयकरण)	..
		२—गौचर।	
६—जौनपुर	..	बरसाठी बाजार	..
७—झांसी	..	कटेरा	..
८—प्रतापगढ़	लछमनपुर	लोकय्यापुर	..
९—खीरी	बरवर	..	..
१०—बहराइच	१—बौन्दी २—गिलौला ३—लछमनपुर	प्रान्तीयकरण	..
११—बलिया	नवानगर	..	..
१२—बाराबंकी	मिटौली	..	..
१३—बान्दा	..	पहाड़ी बुजुर्ग	..
१४—बस्ती	गौर	..	..
१५—बनारस	बिरांव	..	..
१६—बुलन्दशहर	..	रामघाट	..
१७—मुजफ्फरनगर	कैराना (जनाना)	..	..
१८—गाजीपुर	..	..	पारा
१९—फर्रुखाबाद	..	..	जरारी
२०—नैनीताल	रामगढ़	..	..
२१—मिर्जापुर	..	रामगढ़	..
२२—मेरठ	..	बिनौली	..
२३—मथुरा	..	गोकुल	..
२४—सुल्तानपुर	दोस्तपुर	..	..
२५—देहरादून	ऋषिकेश (जनाना)	..	.

जिला	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	यूनानी
२६–देवरिया	१–फाजिलनगर	..	..
	२–भाटपार रानी		.. .
	३–खेतान जनाना अस्पताल पड़रौना (प्रान्तीयकरण)।		
२७–गोरखपुर	सिस्वा बाजार (जनाना)।	..	..
२८–हरदोई	पिहानी (जनाना) ..	..	..

सूची (ब)

द्वितीय भाग

एलोपैथिक और देशी चिकित्सालय जो सन् १९५४–५५ में स्थापित किये गये।

जिला	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	यूनानी
१–आगरा	१–होलीपुरा।	..	..
	२–फिरोजाबाद ..	..	..
२–अल्मोड़ा ..	१–मुन्स्यारी ..	..	..
	२–दनियां ..		
३–अलीगढ़ ..	अकाबाद ..	गौमठ	..
४–बलिया ..	दूभर ..	..	..
५–बान्दा ..	रसियन ..	..	..
६–बस्ती ..	शोहरतगढ़ ..	..	..
७–बनारस ..	..	सेवापुरी ..	..
८–बाराबंकी ..	..	...	सतरिख
९–हमीरपुर ..	इमिलिया ..	..	..
१०–झांसी ..	इरिच ..	..	..
११–खीरी ..	तिकोनियां ..	..	..
१२–उन्नाव ..	१–कटरा दीवान खेरा	जगजीवनपुर ..	..
	२–मौरावां		
१३–सीतापुर ..	महमूदाबाद (जनाना)	..	..
१४–नैनीताल ..	हल्द्वानी (जनाना) (प्रान्तीयकरण)	..	..
१५–मिर्जापुर ..	चोपान ..	मातवर ..	..
१६–बुलन्दशहर ..	खुर्जा ..	..	..
१७–कानपुर ..	रूरा (जनाना) ..	पुरा ..	..
१८–देवरिया ..	..	मथौली ..	..
१९–मैनपुरी ..	..	जैवन्ती ..	..
२०–हरदोई ..	..	गौनी गोन्डवा	..
२१–शाहजहांपुर ..	..	चान्दापुर	..

नत्थी ग

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१३ पर)

सूची 'स'

ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल जिनके लिए सरकारी भवन क्वार्टर सहित तैयार हो चुके हैं :—

जिला	क्रम संख्या	स्थान
१—मेरठ	१	सलावा ।
	२	सरूरपुर ।
	३	फरीदनगर ।
	४	लोनी ।
	५	दौला ।
	६	दतियाना ।
२—मुजफ्फरनगर ..	७	भोपा ।
३—गढ़वाल	८	लछमनझूला ।
	९	चेलूसेन ।
	१०	चकीसेन ।
	११	अडवानी ।
	१२	पोखरी नागनाथ ।
	१३	घाट ।
४—सहारनपुर ..	१४	फतेहपुर ।
	१५	सिर्सवा ।
५—आगरा ..	१६	बरहान ।
	१७	जगनेर ।
६—अलीगढ़ ..	१८	गोंडा ।
	१९	हुसैन ।
७—मथुरा	२०	नौझील ।
८—बुलन्दशहर ..	२१	शिकारपुर ।
	२२	राजघाट ।
	२३	जिवार ।
९—फर्रुखाबाद ..	२४	महमूदाबाद ।
१०—मैनपुरी	२५	करिया ।
११—कानपुर	२६	बरीपाल ।
	२७	रसलाबाद ।

जिला	क्र० सं०	स्थान
१२--झांसी ..	२८	गरौथा ।
	२९	वार ।
	३०	तालबिहाट ।
१३--बांदा	३१	मनिकपुर ।
	३२	मऊ ।
१४--बदायूं	३३	सेंदपुर ।
	३४	बिनावर ।
१५--सीतापुर	३५	पिसावां ।
१६--खीरी	३६	निघासन ।
१७--हरदोई	३७	पलिया ।
१८--शाहजहांपुर ..	३८	बांदा ।
१९--मुरादाबाद ..	३९	भोजपुर ।
२०--बिजनौर	४०	दिलारी ।
२१--नैनीताल ..	४१	बैतालघाट ।
	४२	जोस्यूड़ा ।]
२२--अल्मोड़ा	४३	सोमेश्वर ।
	४४	कपकोट ।
	४४-अ]	स्यालदे ।]
२३--लखनऊ ..	४५	नगराम ।
२४--उन्नाव ..	४६	गंज मुरादाबाद ।
२५--रायबरेली ..	४७	बछरावां ।
२६--गोंडा	४८	पारसपुर ।
	४९	शिवपुर ।
२७--बहराइच	५०	सोनवा ।
२८--गोरखपुर	५१	फरेन्दा ।
	५२	घाघा ।
	५३	सिसवा बाजार ।
२९--बस्ती	५४	रुधौली ।
	५४-अ	गौड़ ।
३०--देवरिया	५५	सलीमपुर ।
	५६	चौरीचौरा ।
	५६ अ	भाटपार रानी ।
	५६ ब	फाजिल नगर ।

जिला	क्र० सं०	स्थान
३१—इलाहाबाद ..	५७	कड़ा ।
	५८	सिरसा ।
३२—फैजाबाद ..	५९	बसखारी ।
	६०	खन्दासा ।
३३—सुल्तानपुर ..	६१	बाजार शुक्ल ।
	६२	जमन ।
..	६३	बाजार बल्दी राय ।
	६४	लम्बुआ ।
३४—मिर्जापुर	६५	राजगढ़ ।
	६६	बिन्धमगंज ।
३५—गाजीपुर ..	६७	नन्दगंज ।
	६८	सादत ।
३६—आजमगढ़ ..	६९	फूलपुर ।
	७०	अटरौलिया ।
३७—बलिया	७१	नरही ।
३८—इटावा । ..	७२	सहायल ।
	७३	उदी ।

इनके अलावा कोई आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने नहीं बने ।]

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१५ पर।)

बुन्देलखंड में खोली गयी पौधशालाओं तथा उन पर होने वाले व्यय की सूची

जिले का नाम	क्षेत्र	पौधशाला का नाम	बोये गये पौधों का नाम	पौधशाला खोले जाने की तारीख	पौधशाला का क्षेत्रफल	किया गया व्यय						कुल व्यय	
						१९५२–५३		१९५३-५४		१९५४–५५			
					एकड़	रुपया		रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०
झांसी ..	मोठ ..	१–केन्द्रीय सहकारी पौधशाला, लावां।	अमरूद, पपीता, जामुन, बेर, नींबू।	जूलाई, १९५२	४.३२	२,२००		१,१५०	०	४५२	२	३,८०२	२
		*२–बेलमाखुर्द, पौधशाला ..	नीम, टिमाटर।	जूलाई, १९५३	२.०	..		५८०	०	२२०	०	८००	०
		*३–पुलिया पौधशाला।	गोभी, धरमकल्ला, बैंगन, प्याज, मिर्च आदि।	जुलाई, १९५३	१.०	..		३७५	०	२२५	०	६००	०

,,	गुरसराय	..	केन्द्रीय पौधशाला	अमरूद, पपीता, कागजी नींबू, इमली, कलमी आम, कलमी सन्त्रा, मालटा, मीठा नीबू, टिमाटर, करमकल्ला, गोभी, बैंगन, प्याज (बीजों के लिए ।	१९५३–५४	२.०	..	१,४००	०	४,०००	०	५,४००	०
,,	मऊ	..	केन्द्रीय सहकारी पौधशाला	सन्त्रा, चौसा आम, लंगड़ा आम, सफेदा आम, दसहरी आ.म, मौसम्बी, कागजी नीबू, माल्टा, मीठा नीबू, अमरूद, अंगूर, पपीता, आंवला, अनार, कठल, केला खजूर, अशोक आदि	जून, १९५३	४.५	..	१७,२२८	१०	२,४५०	९	१९,६७९	३

*यह पौधशालायें निजी हैं, जिनके लिए कांटे दार तार दिया गया है ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३३८ एल० ए०—१९५५—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा